भावना संदेश

अप्रैल – 2018

भावना के अट्ठारहवें अधिवेशन दिनांक 23 फरवरी, 2018 की कुछ झलकियाँ

भावना प्रबंधकारिणी समिति

संरक्षक, निर्वाचित, मनोनीत एवं स्थाई पदाधिकारी

(पत्रांक : भावना/प–010/अ/588, दिनांक 23.03.2017 द्वारा पुनर्गठित)

संरक्षक सदस्य
श्री विजय कृष्ण शुंगलू
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (निवर्तमान)
अब अध्यक्ष, दिल्ली पब्लिक स्कूल सोसायटी
फोन : 0120–2513838 / 09810711820
ई. मेल: vkshunglu@yahoo.co.in

संरक्षक एवं विशिष्ट सदस्य
श्री अजय प्रकाश वर्मा, आई.ए.एस. (से.नि.)
पूर्व मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार
फोन : 0522–2395195 / 09415402554

संरक्षक एवं विशिष्ट सदस्य
न्यायमूर्ति घनश्याम दास अग्रवाल
पूर्व अध्यक्ष, नेशनल इन्डस्ट्रियल ट्रिब्युनल, मुम्बई,
न्यायाधीश (से.नि.), इलाहाबाद उच्च न्यायालय
फोन : 0522–2309327

संरक्षक एवं संस्थापक सदस्य
श्री कोमल प्रसाद वार्ष्णेय
प्रमुख अभियन्ता (से.नि.), लोक निर्माण विभाग, उ.प्र.
फोन : 0522–2321680 / 09415736256

संरक्षक एवं विशिष्ट सदस्य
श्री जगदीश गाँधी
शिक्षाविद्, संस्थापक प्रबंधक, सिटी मोन्टेसरी स्कूल्स, लखनऊ
फोन : 09415015030
ई. मेल: info@cmseducation.org

संरक्षक एवं विशिष्ट सदस्य
श्री ज्ञानेन्द्र कुमार खरे
अध्यक्ष (से.नि.), रेलवे बोर्ड, भारत
फोन : 0532–2624020 / 09335157680
ई.मेल: kharegk.ald@gmail.com

संरक्षक एवं विशिष्ट सदस्य
न्यायमूर्ति दिनेश कुमार त्रिवेदी
न्यायाधीश (से.नि.), इलाहाबाद उच्च न्यायालय
अध्यक्ष, उच्च जाति आयोग, बिहार
फोन : 0522–2302591 / 09415152086

संरक्षक एवं विशिष्ट सदस्य
श्री चंद्र प्रकाश श्रीवास्तव
मुख्य आयुक्त (से.नि.), कस्टम्स, सेन्ट्रल एक्साइज़ तथा सर्विस टैक्स
फोनः 0522–4073682 / 07754058564
ई.मेल: cps2806@gmail.com

संरक्षक एवं विशिष्ट सदस्य
न्यायमूर्ति सुधीर चन्द्र वर्मा
न्यायाधीश (से.नि.), इलाहाबाद उच्च न्यायालय तथा
पूर्व लोकायुक्त, उत्तर प्रदेश
फोन : 09415419439

संरक्षक एवं विशिष्ट सदस्य
पद्मश्री प्रो. महेन्द्र सिंह सोढा
पूर्व कुलपति, इन्दौर, लखनऊ तथा भोपाल विश्वविद्यालय,
फोन : 0522–2788033,
ई. मेल: msodha@rediffmail.com

संरक्षक एवं विशिष्ट सदस्य
परामर्शी, विधि तथा RTI प्रकोष्ठ

न्यायमूर्ति कमलेश्वर नाथ
न्यायाधीश (से.नि.), इलाहाबाद उच्च न्यायालय
फोन : 0522–2789033 / 09415010746
ई. मेल: justicekn@gmail.com

संरक्षक एवं विशिष्ट सदस्य
श्री राकेश कुमार मित्तल
प्रमुख सचिव (से.नि.), उ.प्र. शासन तथा मुख्य संयोजक, कबीर शान्ति मिशन
फोन : 0522–2309147 / 2307164 / 09415015859
ई. मेल: rakesh_mittal_2000@yahoo.com

संरक्षक एवं विशिष्ट सदस्य
न्यायमूर्ति करण लाल शर्मा
न्यायाधीश (से.नि.), इलाहाबाद उच्च न्यायालय
फोन : 0522–2997299 / 2398857 / 09415560824
ई. मेल: sunil.sharma.lko@gmail.com

संरक्षक एवं विशिष्ट सदस्य
श्री ओम् नारायण
निदेशक (से.नि.), कोषागार, उ.प्र.
फोनः 0522–3013010 / 09415515647
ई.मेल: omnarayan@hotmail.com

संरक्षक एवं विशिष्ट सदस्य
श्रीमती सुनन्दा प्रसाद, आई.ए.एस.(से.नि.)
पूर्व अध्यक्ष, राजस्व परिषद, उ.प्र.
फोन : 09839211040
ई.मेल: prasad_sunanda@hotmail.com

संस्थागत सदस्य

मिरर फ़ाउन्डेशन्स फ़ॉर सेल्फ़ इम्प्रूवमेन्ट एन्ड नेचुरल लिविन्ग
श्री पवन ग्रोवर, संस्थापक अध्यक्ष
फोन : 0522–4002197 / 2311168 / 09839035475
ई. मेल: pawangrover@yahoo.com

आस्था सेन्टर फ़ॉर जेरियाट्रिक मेडीसिन, पालिएटिव केयर, हॉस्पिटल, हॉस्पिस एन्ड सोशल वेलफ़ेयर सोसायटी
डॉ. अभिषेक शुक्ला, संस्थापक अध्यक्ष
फोन : 0522–3240000 / 09336285050
ई. मेल: enquiry@hospiceindia.org

शेष कवर पृष्ठ 3 पर

(सदस्यों में केवल आन्तरिक वितरण हेतु)

भावना संदेश

वर्ष : 18 अंक : 02 अप्रैल–2018

सम्पादन समिति

इं0 अमरनाथ – प्रधान सम्पादक
श्री सुशील कुमार शर्मा – सम्पादक
प्रो0 (डॉ0) अवनीश अग्रवाल – सह–सम्पादक

प्रकाशक

भारतीय वरिष्ठ नागरिक समिति
507, कसमण्डा रीजेन्ट अपार्टमेन्ट्स
पार्क रोड, लखनऊ–226001
दूरभाष : 0522–4016048 पं.सं.: 662/2000–01
वेबसाइट : www.bhavanaindia.org
ई–मेल : bhavanasindia.@gmail.com
Facebook page : Bharatiya Varishtha Nagarik Samiti
Bhavana google group: bhavana-lucknow@googlegroups.com

मुद्रक

क्रियेटिव इंक, हिमांशु सदन, 5 पार्क रोड, लखनऊ।
मो0 : 7398629394 9935526017
E-mail : creativesheebu@gmail.com

अनुक्रम

1.	सम्पादकीय	1-2
2.	भावना का संकल्प गीत एवं विज्ञापन की दरें	2
3.	भावना का 18वां महाधिवेशन (वार्षिक रिपोर्ट एवं पुनरीक्षित नियमावली सहित)	3-37
4.	भावना का डे-केयर सेन्टर एवं कुछ अन्य प्रकोष्ठों की कार्यवाही का विवरण	37-40
5.	दानदाताओं की सूची	41-43
6.	नये सदस्यों की सूची	44-45
7.	11.01.2018 की प्रबंधकारिणी समिति की बैठक	46
8.	शिवालय गाथा	47
9.	गायत्री मंत्र का महत्व	48-49
10.	बच्चों के मन में परीक्षा का भय दूर करना	50-51
11.	ISU3A की रिपोर्ट	51
12.	शिवाजी	52
13.	नववर्ष मिलन समारोह	53-54
14.	होली मिलन समारोह	55-56
15.	कवितायें	56-58
16.	जी.डी.पी. क्या है?	59
17.	वृक्ष कल्याणम्	60
18.	प्रबन्धकारिणी सूची का ब्यौरा	61-64

सम्पादकीय

मनुष्य, प्रकृति एवं पर्यावरण

प्राकृतिक अनुराग एवं प्रकृति-संरक्षण की चिंतनधारा भारतीय संस्कृति की सर्वोपरि विशेषता है। भारतीय ऋषि-मनीषियों को प्रकृति का पारदर्शी ज्ञान था। उन्हें पर्यावरण प्रणाली का संपूर्ण एवं समग्र ज्ञान था। उन्हें प्रकृति, जीव के अंतर्संबंधों और इन संबंधों से उपजे परिणाम, प्रभावों का पूर्ण अनुभव था। इसी कारण भारतीय संस्कृति में प्रकृति को माता के महनीय पद से अलंकृत किया जाता है और इसके घटक पंचतत्वों तथा वृक्ष-वनस्पतियों को देवतुल्य मानकर अभ्यर्थना की जाती है। प्रकृति और पर्यावरण की इन्हीं सब विशेषताओं के कारण ही यहां पर पर्यावरण-संरक्षण और इसके विकास के प्रति सतत जागरूकता बनी रही है। परंतु पर्यावरण के प्रति इस भावधारा के तिरोहित होते ही शोषण और शोषकरूपी आत्मघाती मनोवृति पनपी, जिसके अभिशप्त परिणाम से सभी परिचित हैं। मुझे स्मरण है कि वर्ष 2004 तक जब मैं सेवा में था एयर कन्डीशनर गाड़ी का प्रयोग कुछ उच्च अधिकारी ही करते थे जबकि वर्तमान में न्यून स्तर के अधिकारी भी एयर कन्डीशनर गाड़ियों का प्रयोग कर रहे हैं। इसी प्रकार घरों में भी एयर कन्डीशनरों की संख्या बहुत अधिक हो गयी है। अब जब इतनी गर्मी वातारण में फैलायी जा रही है तो वातावरण में अधिक गर्मी का होना स्वाभाविक है।

भारतीय मनीषियों ने प्रकृति को मातृत्व के रूप में सहज ही स्वीकारोक्ति दी है और स्वयं को इसका पुत्र मानकर ही इसकी शरण में जाते हैं। माता अपने पुत्र को आंचल में रखकर प्यार करती है। इसी कारण यहां पृथ्वी को प्रकृति का प्रतीक-प्रतिनिधि मानकर माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः का भाव भरा मंत्रोच्चारण किया जाता है। इसी भावोद्गार से ही हमें धरती बेजान-बंजर टुकड़ा मात्र नहीं लगती है। धरती हमारे लिए जीवंत प्रतिमा है और हम अपने प्राणों से इसका अर्ध्यदान करते हैं।

भारतीय ऋषियों ने संपूर्ण प्राकृतिक शक्तियों को ही देवता स्वरूप माना है और इनकी दिव्यता के प्रति श्रद्धा-सुमन अर्पित किए हैं। ऊर्जा के अजस्र और अक्षय स्रोत सूर्य को सूर्य देवो भव कहा गया है। सूर्य प्राणों का आधार है और इसके बिना पृथ्वी पर प्राणधारियों का अस्तित्व संभव नहीं है। संभवतः इसी तथ्य को ध्यान में रखकर ही उद्गार व्यक्त किया जाता है कि सूर्यदेव हमसे कभी जुदा न हों।

भारतीय संस्कृति में वायु को भी देवतुल्य मानकर यही

श्रद्धास्पद भाव अर्पित किया जाता है। औपनिषदिक मान्यता है कि वायु ही प्राण बनकर शरीर में वास करती है। यथा -

वायुवै वै प्राणो भूत्वा शरीरमाविशत्।

वायु के प्रति ऐसी पवित्र एवं दिव्य मान्यता हमें कभी भी इसे प्रदूषित करने की इजाजत नहीं देती है। ठीक इसी प्रकार जल को देवपद से विभूषित कर नदियों को जीवनदायिनी कहकर संबोधित किया गया है। गंगा नदी सर्वाधिक पुण्यतोया मानी जाती है। इसे पापनाशक नदी माना जाता है एवं कहा जाता है कि इसके दर्शन मात्र से मुक्ति मिल जाती है - गंगे, तव दर्शनात् मुक्तिः। आज यही सर्वाधिक प्रदूषित है।

अथर्ववेद के भूमि सूक्त में जल से प्रार्थना की गई है कि यह हमारे शरीर को सदा पवित्र बनाये रखें -

शुद्धा न आपस्तन्वे क्षरन्तु।

हमारी संस्कृति को अरण्य संस्कृति भी कहा जाता है। ऐसा कहने के पीछे अरण्य अर्थात् वन तथा हरे-भरे वृक्षों के प्रति श्रद्धा एवं सम्मान रखना है। आयुर्वेदाचार्यों की दृष्टि में देखें तो विश्व में ऐसी कोई वनस्पति नहीं, जो औषधि के गुणों से युक्त न हो। यहां पर वृक्षों को देवतुल्य मानकर इन्हें व्यर्थ रूप से काटने पर नैतिक प्रतिबंध लगाया गया है। इसलिए श्वेताश्वतरोपनिषद में वृक्षों को साक्षात् ब्रह्म के सदृश बताया गया है -

प्रकृति और पर्यावरण को बचाने, इसे फिर से संरक्षित, सुरक्षित और समृद्ध करने के लिए हमें इनके प्रति फिर से भावनात्मक संबंध स्थापित करने होंगे। भारतीय संस्कृति की प्राचीन मान्यताओं को सामयिक परिप्रेक्ष्य में कसौटी में कसकर फिर से हमें माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः का उद्घोष करना होगा। हमें प्रकृति के हर घटक को देवतुल्य मानकर इसको संरक्षित एवं विकसित करने का प्रयास-पुरुषार्थ करना चाहिए। अर्थात हमें अपने परिस्थिति-परिवेश के अनुकूल वृक्षारोपण का दायित्व उठाना चाहिए। यह पुण्यकर्म किसी साधना-आराधना से कम नहीं है। वृक्षारोपण के इस युगानुकूल धर्म को अपनाकर, सचराचर जगत के प्रति सदाशयता, दया एवं प्रेम की भावना को उभारकर ही प्रकृति और पर्यावरण के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि समर्पित कर सकते हैं। समाज में समृद्धि एंव व्यक्तित्व विकास का यही मूलमंत्र है। इस महामंत्र को फिर से उच्चारित एवं क्रियान्वित करने की आवश्यकता है। यही युग का आह्वान है। धरती-पुत्रों को इसे स्वीकारना ही चाहिए।

इं. सुशील कुमार शर्मा
8765351190

भावना का संकल्प गीत

भावना सहयोग, सेवा, स्वावलम्बन से चले,
भावना की राह में संकल्प का दीपक जले।

भावना में डूब के इतने सहिष्णु हम हुए,
आस्था, विश्वास के साँचे में हम फिर–फिर ढले।

भावना ये है बुजुर्गों को किसी भी हाल में,
इस बदलते दौर की तल्ख़ी न रत्ती भर खले।

भावना का एक ही सन्देश है सबके लिए,
शेष जीवन भर कोई अब जिन्दगी को न छले।

विश्व में इक मंच देने को वरिष्ठों के लिए,
भावना की 'शान्त' पलकों पे कई सपने पले।

– इं. देवकी नन्दन 'शान्त'

भावना सूत्र वाक्य

सन्देश नहीं मैं यहाँ स्वर्ग का लाया।
इस धरती को ही स्वर्ग बनाने आया।।

– श्री मैथिली शरण गुप्त

भावना संदेश - विज्ञापन दरें

रंगीन (चार रंगों में) पूर्ण पृष्ठ -	रु. 5000/-
रंगीन (चार रंगों में) आधा पृष्ठ -	रु. 3000/-
रंगीन (दो रंग में) पूर्ण पृष्ठ -	रु. 3000/-
रंगीन (दो रंगों में) आधा पृष्ठ-	रु. 2000/-
श्वेत श्याम (पूर्ण पृष्ठ) -	रु. 2000/-
श्वेत श्याम (आधा पृष्ठ) -	रु. 1200/-
श्वेत श्याम (चौथाई पृष्ठ) -	रु. 600/-
लघु विज्ञापन (1/8 पृष्ठ तक) -	रु. 300/-

विज्ञापन की उक्त दरें प्रति अंक है। एक ही विज्ञापन भावना संदेश के चार अंकों में निरन्तर प्रकाशित करवाने पर केवल तीन अंकों का विज्ञापन शुल्क स्वीकार होगा। विज्ञापन शुल्क का अग्रिम भुगतान करना होगा।

भावना की साधारण सभा की बैठक (अठारहवाँ वार्षिक महाधिवेशन), दिनांक 23 फरवरी, 2018, का कार्यवाही विवरण

सभा स्थल : राय उमानाथ बली प्रेक्षागृह, कैसरबाग,लखनऊ।

उपस्थिति: समिति के कुल 807 सदस्यों में से 122 सदस्य (26 प्रॉक्सी सहित) सभा में उपस्थित थे। कोरम पूरा था।

कार्यवाही विवरण

1. उद्घाटन सत्र के कार्यक्रम का संचालन भावना के सांस्कृतिक कार्य प्रकोष्ठ के सचिव एवं संयोजक, साहित्य-भूषण श्री देवकी नन्दन 'शान्त', द्वारा किया गया।

2. कार्यक्रम के संचालक, श्री देवकी नन्दन 'शान्त', के अनुरोध पर मुख्य अतिथि, माननीय प्रो. लक्ष्मी कान्त माहेश्वरी, निवर्तमान कुलपति, बिड़ला इन्स्टीट्यूट ऑफ़ टेक्नोलोजी एन्ड साइन्स, पिलानी, ने मंच पर आसन ग्रहण किया।

3. पुनः संचालक महोदय के अनुरोध पर भावना के अध्यक्ष माननीय श्री विनोद कुमार शुक्ल, संरक्षक सदस्य माननीय श्री कोमल प्रसाद वार्ष्णेय, संरक्षक सदस्य माननीय न्यायमूर्ति करण लाल शर्मा, वरिष्ठ नागरिक महासमिति उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष माननीय श्री श्याम पाल सिंह, हेल्पेज इन्डिया के निदेशक माननीय श्री अशोक कुमार सिंह तथा मनीषा मंदिर की संस्थापक अध्यक्ष माननीया डॉ. सरोजिनी अग्रवाल ने मंच पर आसन ग्रहण किया।

4. संचालक महोदय के अनुरोध पर मुख्य अतिथि एवं अध्यक्ष सहित सभी मंचासीन महानुभावों ने दीप प्रज्वलित करके सभा की कार्यवाही का औपचारिक शुभारम्भ किया। सभी उपस्थित जनों ने करतल ध्वनि से हर्ष व्यक्त किया।

5. तदुपरान्त संचालक महोदय के अनुरोध पर मुख्य अतिथि एवं अध्यक्ष सहित सभी मंचासीन महानुभावों का समिति के पदाधिकारियों ने पुष्प-गुच्छ समर्पित करके स्वागत किया।

6. तदनन्तर श्री देवकी नन्दन 'शान्त', के आह्वान पर उन्हीं के नेतृत्व में सभा में उपस्थित सभी जनों ने खड़े होकर भावना के संकल्प-गीत का सामूहिक सस्वर पाठ किया जिसमें भावना के उद्येश्यों एवं कार्यक्रमों का संक्षिप्त उल्लेख है।

7. अध्यक्ष महोदय ने मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथियों, अन्य अतिथियों, विशिष्ट सदस्यों, मीडिया के प्रतिनिधिगणों एवं सभी उपस्थित जनों का स्वागत किया।

8. पुनः संचालक महोदय के अनुरोध पर मुख्य अतिथि, मंचासीन विशिष्ट अतिथियों तथा अध्यक्ष महोदय द्वारा समिति के वयोवृद्ध सदस्यों, श्री कोमल प्रसाद वार्ष्णेय (संस्थापक संरक्षक सदस्य), श्री जग मोहन लाल वैश्य (विशिष्ट सदस्य), श्री लवकुश नारायण सेठ (विशिष्ट सदस्य), श्रीमती कुसुम सेठ (विशिष्ट सदस्य), श्री शिव आसाद अग्रवाल (आजीवन सदस्य), श्री पाल आवीण (आजीवन सदस्य) तथा श्री राधे श्याम गुप्ता (आजीवन सदस्य)को बारी बारी से माला एवं शॉल पहनाकर उनका सार्वजनिक अभिनन्दन किया गया। मंच पर विशिष्ट अतिथि के रूप उपस्थित मनीषा मंदिर की वयोवृद्ध संस्थापक अध्यक्ष डॉ. सरोजिनी अग्रवाल का भी पुष्प-गुच्छ देकर एवं अंगवस्त्र पहनाकर सार्वजनिक अभिनन्दन किया गया। इन सभी आदरणीयजनों ने सभा को सम्बोधित भी किया।

9. समिति की वार्षिक रिपोर्ट

तदनन्तर वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री सुशील शंकर सक्सेना ने समिति की वार्षिक रिपोर्ट अर्थात समिति में गत एक वर्ष में हुई गतिविधियों एवं आगामी लेखा-वर्ष में प्रस्तावित कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण सभा के समक्ष प्रस्तुत किया तथा अनुरोध किया कि इस पर अधिवेशन के आन्तरिक सत्र में सभी सदस्य अपने-अपने विचार अवश्य रखें ताकि सदन की इच्छा के अनुरूप ही समिति के अगले लेखा-वर्ष के लिए कार्यक्रम निर्धारित किए जा सकें। उन्होंने मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथियों तथा अन्य अतिथियों से भी अनुरोध किया कि वे भी इस विषय में अपने विचारों से हमें लाभान्वित करें ताकि तदनुसार समिति के भावी कार्यक्रमों को वरिष्ठ नागरिकों तथा समाज के निर्बल एवं असहायजनों के हितों के अनुरूप नियोजित किया जा सके। उन्होंने उन प्रस्तावों को भी सभा के विचारार्थ पढ़ा जो वरिष्ठ नागरिकों के हितार्थ केन्द्र तथा उत्तर प्रदेश सरकारों के सम्बंधित माननीय मंत्रियों तथा अधिकारियों को भेजे जाने प्रस्तावित हैं।

10. तदनन्तर मुख्य अतिथि तथा मंचासीन विशिष्ट-जनों द्वारा समिति के निम्नलिखित पदाधिकारियों का विगत सत्र में समिति के हित में किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए सार्वजनिक अभिनन्दन किया गया तथा उन्हें स्मृति चिन्ह एवं प्रशस्ति-पत्र दिए गए:

- श्री जगत बिहारी अग्रवाल, महासचिव (प्रशासन) का कार्य सर्वोत्तम पाया गया।
- श्री अनिल कुमार शर्मा, अध्यक्ष, एन.सी.आर. शाखा का कार्य सर्वोत्तम पाया गया।
- श्री अनिल कुमार शर्मा, अध्यक्ष, एन.सी.आर. शाखा का कार्य नए सदस्य बनाने में सर्वोत्तम पाया गया।
- श्री देवेन्द्र स्वरूप शुक्ल, उपमहासचिव (कार्यान्वयन) का कार्य अति उत्तम पाया गया।
- श्री जग मोहन लाल वैश्य, विशिष्ट सदस्य एवं अध्यक्ष, विद्युत पेंशनर्स परिषद का कार्य अति उत्तम पाया गया।
- श्री विशाल सिंह, सचिव, विजयश्री फ़ाउन्डेशन, का कार्य प्रसादम् सेवा प्रकल्प में अति उत्तम पाया गया।
- श्री राजेन्द्र कुमार चुघ, सचिव, प्रसादम् सेवा प्रकोष्ठ तथा सदस्य, सहयोग एवं सेवा प्रकोष्ठ, का कार्य अति उत्तम पाया गया।
- श्री ओम प्रकाश पाठक, सदस्य, सहयोग एवं सेवा प्रकोष्ठ, का कार्य अति उत्तम पाया गया।

इस कार्यक्रम को संचालित करते हुए वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री सुशील शंकर सक्सेना ने कहा कि निर्धारित मानदंडों पर उपरोक्त पदाधिकारी ही खरे उतरे हैं, इस लिए उन्हें ही सम्मानित किया गया है, किन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि अन्य पदाधिकारियों ने कोई कार्य नहीं किया है। उन्होंने कहा कि समिति की प्रगति में सभी का योगदान रहा है।

11. सभा को सम्बोधित करते हुए मुख्य अतिथि, माननीय लक्ष्मी कान्त माहेश्वरी ने अपने ओजस्वी सम्बोधन में कहा कि वे यह देख कर अत्यंत प्रसन्न हैं कि भावना अपने सदस्यों के माध्यम से समाज सेवा कर रही है। इससे उनका मन संतुष्ट एवं प्रफुल्लित होता होगा तथा निराशावादी विचार उनके पास आ भी नहीं पाते होंगे। उन्होंने भावना के उद्देश्यों एवं कार्यक्रमों की सराहना करते हुए कहा कि भावना इसी विचारधारा पर कार्य कर रही है और कदाचित इसीलिए इस संस्था से जुड़े बुजुर्गों में इतना उत्साह तथा इतनी ताजगी देखने को मिल रही है। उन्होंने कहा कि भावना के सदस्य दूसरों की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझकर काम करते हैं और इसीलिए इनके अंदर इतना अधिक सेवाभाव है। उन्होंने समिति के जनहितकारी कार्यक्रमों में अपना भी योगदान देने की इच्छा प्रकट की तथा कहा कि वे भी समिति की सदस्यता ग्रहण करना चाहेंगे।

12. कार्यक्रम में उपस्थित विशिष्ट अतिथियों ने भी सभा को सम्बोधित करते हुए अपने विचार प्रकट किए।

13. धन्यवाद ज्ञापन : संचालक महोदय के अनुरोध पर वरिष्ठ उपाध्यक्ष, श्री सुशील शंकर सक्सेना, ने सभा को सम्बोधित करते हुए मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथियों, अन्य अतिथियों, सभा में उपस्थित सभी अन्य सदस्यों, महिलाओं तथा मीडिया के प्रतिनिधियों को समस्त प्रबन्धकारिणी की ओर से धन्यवाद ज्ञापित किया तथा प्रबन्धकारिणी के उन सभी सदस्यों को भी धन्यवाद दिया जिन्होंने महाधिवेशन के आयोजन में अपना सक्रिय योगदान दिया।

इसके उपरान्त संचालक महोदय के अनुरोध पर अध्यक्ष महोदय ने सभा के उद्घाटन सत्र के समापन की घोषणा कर दी तथा सभी से सहभोज के लिए प्रस्थान करने हेतु निवेदन किया।

आन्तरिक सत्र

14. सहभोज के उपरान्त माननीय मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथियो एवं अन्य अतिथियों को ससम्मान विदा करने के बाद सभा के आन्तरिक सत्र का शुभारम्भ हुआ। महासचिव (प्रशासन) श्री जगत बिहारी अग्रवाल ने माननीय अध्यक्ष श्री विनोद कुमार शुक्ल,वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री सुशील शंकर सक्सेना, उपाध्यक्ष श्री तुंग नाथ कनौजिया तथा एन.सी.आर. शाखा के अध्यक्ष श्री अनिल कुमार शर्मा को मंच पर आसन ग्रहण करवाया।

15. अध्यक्ष महोदय की अनुमति लेकर महासचिव (प्रशासन) ने सभा के आन्तरिक सत्र की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए सभा के समक्ष साधारण सभा की विगत बैठक (सत्रहवाँ वार्षिक महाधिवेशन, दिनांक 05मार्च, 2017) का कार्यवाही विवरण

अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया। विचारोपरान्त सभा ने सर्वसम्मति से उसे अनुमोदित कर दिया।

16. तदुपरान्त अध्यक्ष महोदय की अनुमति लेकर महासचिव (प्रशासन), श्री जगत बिहारी अग्रवाल, ने सर्वप्रथम व-र्ा 2016-17 की सम्प्रेक्षक द्वारा सम्प्रेक्षित तथा चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा निरीक्षित बैलेन्स शीट तथा आय-व्यय लेखा सभा के समक्ष प्रस्तुत किया। साथ ही साथ उन्होंने उक्त वर्ष के बजट के सापेक्ष वास्तविक आय-व्यय का तुलनात्मक विवरण भी सभा के समक्ष प्रस्तुत किया। विचारोपरान्त सभा ने इन सभी अभिलेखों को सर्वसम्मति से अनुमोदित कर दिया।

पुनः महासचिव (प्रशासन) ने वर्ष 2018-19 के बजट प्रस्ताव निम्नानुसार प्रस्तुत किए :-

वर्ष 2018-19 के बजट प्रस्ताव

प्रस्तावित बजट में 50 नए आजीवन सदस्य, 25 आजीवन स्पाउस सदस्य, 100 विशिष्ट सदस्य, 100 विशिष्ट स्पाउस सदस्य, 2 संस्थागत सदस्य, 5 ग्रामीण संस्थागत सदस्य तथा 10 वॉलन्टियर सदस्य बनाए जाने का संकल्प है.।

प्रस्तावित आय रुपये में

1.	वर्ष 2017–18 का अवशेष (अनुमानित)		4275000.00
	अ. बैंक में फिक्स डिपाजिट – लखनऊ में –	350000.00	
	– ओबरा में –	125000.00	
	ब. बचत खाते में एवं नगद अवशेष (अनुमानित)	800000.00	
	स. एन.सी.आर.में ओल्ड एज होम प्रोजेक्ट हेतु दिनांक 31/03/2018 को उपलब्ध धनराशि (अनुमानित)	3000000.00	
2.	50 नये आजीवन सदस्य	50 X 2500.00	125000.00
3.	25 नये आजीवन स्पाउस सदस्य	25 X 500.00	12500.00
4.	100 नये आजीवन विशिष्ट सदस्य	100 X 6000.00	600000.00
5.	100 नये आजीवन विशिष्ट स्पाउस सदस्य	100 X 1000.00	100000.00
6.	2 नये संस्थागत सदस्य	2 X 6000.00	12000.00
7.	5 नये ग्रामीण संस्थागत सदस्य	5 X 2000.00	10000.00
8.	10 नये वॉलन्टियर सदस्य	10 X 1500.00	15000.00
9.	भावना संदेश शुल्क एवं विज्ञापन		200000.00
10.	समिति के विभिन्न कार्यक्रमों के लिए सम्भावित दान		800000.00
11.	शिक्षा सहायता योजना के लिए सम्भावित दान		400000.00
12.	डे–केयर केन्द्र में आने वाले सदस्यों से प्राप्त शुल्क	(12X250X50)	150000.00
13.	स्थापना दिवस एवं वार्षिक अधिवेशन से प्राप्त पंजीकरण शुल्क	(100x300)	30000.00
14.	एन.सी.आर.में ओल्ड एज होम प्रोजेक्ट हेतु सम्भावित अंशदान/दान		80000000.00
	कुल सम्भावित आय		**86729500.00**

प्रस्तावित व्यय रुपए में

1.	कार्यालय स्टेशनरी	80000.00
2.	टाईप/फोटोकापी	80000.00
3.	डाक टिकट/कोरियर/फैक्स	80000.00

प्रस्तावित व्यय रुपए में

4.	प्रचार–प्रसार सामग्री	80000.00
5.	टेलीफोन किराया	10000.00
6.	डाक रनर/चपरासी (पूर्णकालिक)	80000.00
7.	कार्यालय सहायक (पूर्णकालिक)	80000.00

8.	वार्षिक अधिवेशन पर व्यय		75000.00
9.	भावना–संदेश का प्रकाशन		75000.00
10.	मासिक विचार गोष्ठियों पर व्यय		40000.00
11.	चार्टर्ड अकाउन्टेण्ट की फीस		25000.00
12.	लीगल फीस		50000.00
13.	कम्प्यूटर एवं वेबसाइट का रख–रखाव		30000.00
14.	स्थापना दिवस एवं शिक्षा सहायता राशि वितरण समारोह पर व्यय		80000.00
15.	कार्यालय भवन किराया		0.00
16.	कार्यालय हेतु विद्युत व्यवस्था		0.00
17.	डे–केयर केन्द्र की फर्निशिन्ग पर होने वाला व्यय		120000.00
	अ. फर्नीचर	25000	
	ब. टी.वी. एवं डी.वी.डी. प्लेयर	40000	
	स. ए.सी.	30000	
	द. कारपेट, परदे आदि	25000	
	कुल	120000	
18.	डे–केयर केन्द्र के संचालन पर होने वाला व्यय		150000.00
	अ. केयर टेकर कम कम्प्यूटर आपरेटर	72000.00	
	ब. चपरासी/अटेन्डेण्ट	60000.00	
	स. समाचार पत्र व अन्य पढ़ने वाली सामग्री	12000.00	
	द. विद्युत व्यय तथा अन्य आवश्यक रखरखाव के व्यय	6000.00	
	कुल	150000.00	
19.	अन्य प्रकीर्ण व्यय		40000.00
		कुल सम्भावित व्यय	**1175000.00**

विभिन्न सेवा कार्यक्रमों पर व्यय

1.	भावना कम्पेनियनशिप	5000.00
2.	भावना हेल्पलाइन	5000.00
3.	भावना सेकेण्ड कैरियर	2500.00
4.	भावना सांस्कृतिक प्रकोष्ठ	25000.00
5.	भावना महिला प्रकोष्ठ	15000.00
6.	भावना सोशल सर्विस	300000.00
7.	भावना आध्यात्मिक सेवायें	25000.00
8.	भावना स्वास्थ्य सेवायें	80000.00
9.	भावना एजूकेशन एण्ड लिटरेसी सेवायें	400000.00
10.	येडा को ओल्ड एज होम प्रोजेक्ट हेतु खरीदी जाने वाली जमीन की किस्तें देने एवं ओल्ड एज होम के निर्माण आदि पर किया जाने वाला व्यय	80000000.00
11.	श्री अनिल कुमार शर्मा से लिये गये उधार की वापसी व्याज सहित	2854751.00
	योग	**83712251.00**
	कुल प्रस्तावित व्यय	**84887251.00**

कुल अनुमानित बचत (86729500.00–84887251.00) 1842249.00

विशेष :

1. व्यय आवश्यकतानुसार वास्तविक आय के अनुरूप कम से कम किया जायेगा।
2. प्रबंधकारिणी की बैठकों का व्यय गत वर्षो की भाँति समिति के पदाधिकारियों द्वारा ही बारी-बारी से वहन किया जाना प्रस्तावित है।
3. नए प्रस्तावित कार्यक्रमों के लिये आय के अनुरूप अतिरिक्त व्यय किया जाना भी प्रस्तावित है।
4. वर्ष 2016-17 में श्री अनिल कुमार शर्मा से ओल्ड एज़ होम प्रोजेक्ट हेतु येडा से जमीन लेने के लिये 4 प्रतिशत ब्याजपर 27 लाख रुपए का ऋण लिया गया है। विचारोपरान्त सभा ने सर्वसम्मति से इन बजट प्रस्तावों को अनुमोदित कर दिया।

17. नियमावली में संशोधन

सभा ने सर्वसम्मति से समिति की नियमावली में निम्नलिखित संशोधन अनुमोदित कर दिए:

भावना समिति नियमावली, तेरहवाँ संशोधन (2/2018)

वर्तमान नियम 16 के बाद नया नियम 17 निम्नानुसार स्थापित कर दिया गया:

17. पत्राचार का माध्यम

सभी प्रकार की बैठकों की सूचनायें, बैठकों के कार्यवृत्त तथा अन्य विवरण सदस्यों को सामान्यतः इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से ही प्रेषित किये जायेंगे। किन्तु किसी सदस्य द्वारा माँगे जाने पर उसे सम्बंधित जानकारी की कागजी प्रतिलिपि भी अवश्य ही उपलब्ध कराई जाएगी।

वर्तमान नियम'' 17. लेखा वर्ष'' का शीर्ष बदल कर '' 18. लेखा वर्ष'' कर दिया गया।

वर्तमान नियम'' 18. विघटन'' का शीर्ष बदल कर '' 19. विघटन'' कर दिया गया।

18. खुला सत्र

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से महासचिव(प्रशासन) ने खुला सत्र प्रारम्भ करते हुए सदस्यों से अनुरोध किया कि वे समिति की वार्षिक रिपोर्ट पर, मुख्य अतिथि महोदय के सम्बोधन में निहित बिन्दुओं पर तथा अन्य विभिन्न प्रस्तावों पर बारी-बारी से अपने-अपने विचार व्यक्त करें तथा यदि समिति एवं सदस्यों तथा समाज के कमजोर वर्ग के हित से सम्बन्धित कोई अन्य प्रस्ताव उनके पास हों तो उन्हें भी सदन के समक्ष रखें। सभा में उपस्थित सदस्यों ने तदनुसार अपने-अपने विचार सदन के समक्ष रखे। भली प्रकार विचार-विमर्श के उपरान्त सभा द्वारा सर्वसम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिए गए :

- एन.सी.आर. शाखा के अध्यक्ष श्री अनिल कुमार शर्मा ने कहा कि समिति की वार्षिक रिपोर्ट में उनकी शाखा के अंतर्गत कनावनी ग्राम में अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र में भावना द्वारा किए जा रहे कार्य का जिक्र भी होना चाहिए। उनके परामर्श का सम्मान करते हुए सभा ने वार्षिक रिपोर्ट मेंनिहित सभी बिन्दुओं एवं प्रस्तावों का अनुमोदन इस प्रतिबंध के साथ कर दिया कि वार्षिक रिपोर्ट में कनावनी ग्राम में अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र में भावना द्वारा किए जा रहे कार्य का विवरण भी उचित स्थान पर समाहित कर लिया जाएगा।
- उन प्रस्तावों को भी अनुमोदित कर दिया गया जो वरिष्ठ नागरिकों के हितार्थ केन्द्र तथा उत्तर प्रदेश सरकारों के सम्बंधित माननीय मंत्रियों तथा अधिकारियों को भेजे जाने प्रस्तावित हैं।

19. समापन सत्र

अध्यक्ष महोदय ने सभी सदस्यों का आह्वान किया कि :

- सदस्यगण सुप्त सदस्य बनकर न रहें अपितु समिति के कार्यक्रमों में अपना सक्रिय योगदान दें।
- प्रत्येक सदस्य आगामी वर्ष में अपने माध्यम से कम से कम दो नए सदस्य अवश्य ही बनवाने का प्रयास करे।
- जिन सदस्यों ने अपनी विवाह की तारीख समिति कार्यालय में अभी तक उपलब्ध नहीं कराई है वे कृपया यह अतिआवश्यक विवरण यथाशीघ्र उपलब्ध करा दें।
- बदले हुए पते, फोन नम्बर तथा/अथवा ई.मेल आई.डी. की जानकारी भी यथाशीघ्र उपलब्ध करा दें। पुराने सदस्यों के मोबाइल नम्बर समिति कार्यालय में उपलब्ध नहीं हैं। वे कृपया यह विवरण भी उपलब्ध करा दें।

• जिन सदस्यों की ई-मेल आई.डी. समिति कार्यालय में उपलब्ध नहीं है वे कृपया यह विवरण भी उपलब्ध करा दें। यह अति आवश्यक है क्योंकि अब से आगे सारा पत्राचार एवं सूचनाओं आदान प्रदान ई-मेल के माध्यम से ही किया जाएगा।

• सूचनाओं का आदान प्रदान ँजिंचच पर भी किया जाएगा। जिन सदस्यों के पास स्मार्ट मोबाइल फोन नहीं है वे कृपया इसकी व्यवस्था कर लें ताकि वे ई-मेल तथा/अथवा व्हाट्सैप के माध्यमों का उपयोग भली प्रकार कर सकें।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से महासचिव (प्रशासन) के अनुरोध पर वरिष्ठ उपाध्यक्ष, माननीय श्री सुशील शंकर सक्सेना ने सभी उपस्थित जनों को इस बैठक में आने के लिए धन्यवाद दिया तथा प्रबंधकारिणी के उन सभी सदस्यों को भी धन्यवाद दिया जो इस आयोजन के साथ सक्रिय रूप से जुड़े रहे तथा जिनके प्रयास से ही यह आयोजन सफल हो सका। उन्होंने श्री देवकी नन्दन 'शान्त' को विशेष रूप से धन्यवाद दिया कि उन्होंने अधिवेशन के उद्घाटन सत्र का बहुत ही कुशलता के साथ संचालन किया।

इसके उपरान्त अध्यक्ष महोदय द्वारा सभा के समापन की घोषणा कर दी गई।

जगत बिहारी अग्रवाल
महासचिव (प्रशासन)

Hon'ble Chief Guest of Annual Convention on 23rd February 2018

An Introduction of Prof. LaxmiKant Maheshwari, Chief Guest

Born on July 5, 1945 at Kasganj, U.P. in India, Professor Laxmi Kant Maheshwari obtained his M.Sc. (Physics) degree from the University of Lucknow (India) in 1965, and M.Sc. (Tech.) Electronics and Ph.D. degrees from the Birla Institute of Technology & Science, Pilani (India) in the years 1967 and 1971 respectively. He has published over 100 research papers in the areas of Semiconductor electronics, Instrumentation, Educational development and University-Industry linkages, etc. both in national and international journals and conference proceedings. Professor Maheshwari has served on the faculty of BITS since 1971 and has held the offices of Chief, Instrumentation Centre; Dean, Research & Consultancy, Deputy Director, Director, Pro-Vice Chancellor and Vice Chancellor of BITS, Pilani.

He was invited by the Government of Mauritius for having discussions on establishing a BITS Campus in Mauritius. The ITESO University, Guadalajara, Mexico also invited him to address the plenary session during the International Conference on 'School- Industry Partnership Asia- Jalisco 2005'. He was a member of FICCI Higher Education delegation visiting US universities along with HRD Minister, Shri Kapil Sibbal in October, 2009.

He has visited a number of universities/institutions in USA, Canada and other countries and participated in establishing educational collaborations with many institutions. Dr. Maheshwari is also the recipient of the year 1995 'Scientist of the Year' award established by the Gian Chand Jain Memorial Foundation, Ambala (India). He has received in 2008 'Science Councillor Award –2007' from Indian Society of Health, Environment, Education and Research (ISHEER), Jodhpur Centre, India. He is a Fellow of Institution of Electronics & Telecommunication Engineers (India), Member of IEEE, USA and WACE, USA.

He has been a member of Executive and Academic Councils of Central Universities of Kashmir, Karnataka, Kerala and North Eastern Hill University, Shillong, Meghalaya. He is also member of Governing and other academic bodies of over 20 institutions and universities in the Country. Since August 2010 till July 31,2014 he had been Professor-Emeritus and Advisor to Chancellor BITS, Pilani.

भावना का अठारहवाँ वार्षिक महाधिवेशन - 23 फरवरी, 2018
प्रमुख महासचिव का प्रतिवेदन (समिति की वार्षिक रिपोर्ट)

महाधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे भावना के निवर्तमान संस्थापक अध्यक्ष माननीय श्री कोमल प्रसाद वार्ष्णेय जी, मुख्य अतिथि, निवर्तमान कुलपति, बिड़ला इन्स्टीट्यूट ऑफ़ टेक्नोलोजी एन्ड साइन्स, पिलानी, माननीय प्रो. लक्ष्मी कान्त माहेश्वरी जी, भावना के अध्यक्ष श्री विनोद कुमार शुक्ल जी, मंचासीन सम्मानित विशिष्ट अतिथि-गण, सभा में पधारे सभी अन्य सम्मानित अतिथि-गण, भावना की सदस्य संस्थाओं के सम्मानित पदाधिकारी-गण, मीडिया के प्रतिनिधिगण, भावना के सभी सम्मानित सदस्य-गण तथा देवियो। मैं समस्त प्रबंधकारिणी की ओर से तथा अपनी ओर से भी समिति के इस अठारहवें वार्षिक महाधिवेशन में आप सबका स्वागत एवं अभिनन्दन करता हूँ।

मान्यवर, भारत में अभी वरिष्ठ नागरिकों की संख्या कुल जनसंख्या की लगभग 10 प्रतिशत है। चिकित्सा क्षेत्र में नये-नये अन्वेषण तथा सुविधाओं के रहते एवं निजी स्वास्थ्य के प्रति अधिक जागरूकता होने के फलस्वरूप वरिष्ठ नागरिकों की औसत आयु में निरन्तर वृद्धि हो रही है। अनुमान है कि वर्ष 2050 तक देश में वरिष्ठ नागरिकों की संख्या कुल जनसंख्या की लगभग 20 प्रतिशत हो जाएगी। अतः यह आवश्यक है कि वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं रहन-सहन के प्रति शासन अपनी जिम्मेदारियाँ समझे तथा उनके सुचारू एवं सुरक्षित जीवन की व्यवस्था सुनिश्चित करे। किन्तु विगत में देश के वरिष्ठ नागरिकों ने यह अनुभव किया कि केन्द्र एवं राज्य सरकारें उनकी ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दे रही हैं। केन्द्र एवं राज्य सरकारों की इसी उदासीनता को देखते हुए वरिष्ठ नागरिकों ने संगठित होकर अपने हित की योजनायें बनाने तथा उनका समय-बद्ध कार्यान्वयन करने हेतु सरकारों को बाध्य करने का संकल्प लिया। तभी देश भर में भिन्न-भिन्न स्थानों पर वरिष्ठ नागरिक समितियों के गठन हुए। भारतीय वरिष्ठ नागरिक समिति (भावना) की स्थापना भी इसी दृष्टिकोण से वर्ष 2000 में की गयी।

भावना का प्रमुख उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों के हितों की प्रभावी एडवोकेसी करना है। बुजुर्गों में स्वावलम्बन, सहयोग, सहिष्णुता एवं सेवा की भावना बलवती करना भी समिति का उद्देश्य है ताकि उनमें सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हो एवं वे प्रसन्न, स्वस्थ तथा सार्थक जीवन जी सकें। भावना ने अपने उद्येश्यों में समाज के कमजोर वर्ग यथा निराश्रित महिलाओं, बेसहारा बच्चों, दिव्यांगजनों तथा निर्बल एवं असहायजनों के कल्याण जैसे विषयों को भी सम्मिलित किया है और यही सर्वजन-हितकारी कार्यक्रम भावना को वरिष्ठ नागरिकों की अन्य समितियों से भिन्न बनाते हैं। मुझे यह कहते हुए गर्व महसूस होता है कि जहाँ अन्य वरिष्ठ नागरिक समितियाँ केवल वरिष्ठ नागरिकों के हित-चिंतन में ही लगी रहती हैं वहीं भावना समाज के निर्बल-असहाय वर्ग के कल्याण हेतु कार्यों को प्रधानता देती है। भावना का प्रत्येक सदस्य स्वयं को समाज से जुड़ा हुआ महसूस करता है तथा यथासम्भव विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में अपना सहयोग प्रदान कर प्रसन्नता का अनुभव करता है। अपनी इन्हीं विशेषताओं के कारण भावना उत्तर प्रदेश की ही नहीं अपितु पूरे देश की अग्रणी वरिष्ठ नागरिक समितियों में से एक है। वर्तमान में भावना के व्यक्तिगत सदस्यों की संख्या 890 से अधिक हो चुकी है तथा इस संख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही है। वरिष्ठ नागरिकों का हित-चिन्तन करने वाली 14 अन्य स्वैच्छिक संस्थायें भावना की संस्थागत सदस्य हैं। यदि इन संस्थाओं के सदस्यों की संख्याओं को जोड़ा जाए तो भावना की सदस्य-संख्या लाखों में पहुँचती है। भावना का मुख्यालय लखनऊ में है। इसके चार शाखा कार्यालय क्रमशः ओबरा (कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण सोनभद्र जनपद), उन्नाव (कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण उन्नाव जनपद), नोयडा (कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) तथा येडा (कार्य क्षेत्र निर्माणाधीन भावना ओल्ड एज होम परिसर) में स्थापित तथा क्रियाशील हैं।

भावना ने अपने उद्येश्यों की पूर्ति हेतु निम्नलिखित प्रकोष्ठों का गठन करके उनके दायित्वों का निर्धारण किया है। प्रत्येक प्रकोष्ठ अपने दायित्वों के अनुरूप योजनायें बनाकर उन्हें कार्यान्वित करता है:

1. वाह्य सम्पर्क प्रकोष्ठ, 2. शिक्षा सहायता प्रकोष्ठ, 3. ग्राम्यांचल एवं निर्धन-जन सेवा प्रकोष्ठ, 4. सहयोग एवं सेवा प्रकोष्ठ, 5. वैकल्पिक चिकित्सा प्रकोष्ठ, 6. प्रसादम् सेवा प्रकोष्ठ, 7. सांस्कृतिक कार्य प्रकोष्ठ, 8. महिला सशक्तिकरण

प्रकोष्ठ, 9. पर्यावरण संरक्षण प्रकोष्ठ, 10. डे-सेन्टर प्रबंधन प्रकोष्ठ, 11. भावना-प्रकाशन प्रकोष्ठ, 12. विधि तथा आर. टी.आई. प्रकोष्ठ, 13. संसाधन प्रबन्ध प्रकोष्ठ, 14. प्रशिक्षण गोष्ठियों एवं कार्यशालायें प्रकोष्ठ तथा 15. अनौपचारिक शिक्षण प्रकोष्ठ। हर प्रकोष्ठ में संयोजक सहित आवश्यकतानुसार ऐसे सदस्यों का ही मनोनयन किया गया है जिनकी सम्बन्धित कार्य/विषय में रुचि है।

मान्यवर!, अब मैं विगत महाधिवेशन के बाद से अब तक भावना द्वारा किये गए, किए जा रहे तथा भविष्य के लिए नियोजित कार्यक्रमों/योजनाओं का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत कर रहा हूँ।

1. लोकतांत्रिक व्यवस्था में संख्या बल का विशेष महत्व होता है। इसलिए समिति ने अपनी सदस्य संख्या बढ़ाने के साथ-साथ वरिष्ठ नागरिकों के लिये काम करने वाली कुछ संस्थाओं को अपने साथ जोड़ने तथा कुछ अन्य संस्थाओं से जुड़ने के कार्य को प्राथमिकता दी है। ऐसा करना इसलिये आवश्यक था क्योंकि केन्द्र एवं राज्य सरकारों से वरिष्ठ नागरिकों के अधिकार एवं सुविधायें प्राप्त करने हेतु माँगों में एकरूपता होनी चाहिये थी। अपने इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु भावना ने कई राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ अंतरंग सम्बंध स्थापित किए हैं, जिनमें World U3A, U3A Asia Pacific Alliance, HelpAge Internation, HelpAge India, HelpYourNGO, All India Senior Citizens Confederation (AISCCON), Indian Society of Univerisities of Third Age (ISU3As). Senior Citizens Confederations of Delhi, Uttarakhand, Chandigarh, Nepal and Daman तथा अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद एवं वरिष्ठ नागरिक महासमिति उत्तर प्रदेश आमुख हैं। भावना ने अब तक जिन 14 संस्थाओं को संस्थागत सदस्यों के रूप में अपने साथ जोड़ा है उनके नाम तथा अन्य विवरण समिति द्वारा प्रकाशित अद्यतन सदस्यता सूची के पृष्ठ 3 में निहित हैं।

2. माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण अधिनियम 2007 केन्द्र सरकार द्वारा लागू कर दिया गया था तथा कुछ राज्य सरकारों ने भी इस अधिनियम को अपने राज्यों में अंगीकृत कर लिया था किन्तु उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे लागू नहीं किया था। उत्तर प्रदेश में इसे लागू करवाने हेतु भावना द्वारा हेल्पेज इण्डिया सहित अन्य वरिष्ठ नागरिक समितियों के साथ मिलकर सम्मिलित प्रयास किये गये। फलस्वरूप 28 अगस्त, 2012 को उत्तर प्रदेश शासन द्वारा इस अधिनियम को अंगीकार कर लिया गया तथा 14 फरवरी, 2014 को ''उत्तर प्रदेश माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण एवं कल्याण नियमावली 2014'' की अधिसूचना जारी कर दी गई। इस नियमावली में निहित कुछ प्राविधानों का अनुपालन शनैःशनैः हो रहा है किन्तु अधिकतर पर कार्यवाही अभी शेष है। हम उन्हें भी लागू करवाने हेतु लगातार प्रयत्नशील हैं।

3. हेल्पेज इण्डिया, वरिष्ठ नागरिक महासमिति उत्तर आदेश तथा भावना द्वारा अन्य समितियों के साथ मिलकर किये गये प्रयासों के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश शासन द्वारा ''उत्तर प्रदेश राज्य वरिष्ठ नागरिक नीति'' 21 मार्च, 2016 को अधिसूचित कर दी गई। नीति के अनुरूप व्यवस्थायें होनी अभी शेष हैं। हम इस नीति में निहित प्राविधानों का अनुपालन कराने हेतु निरंतर प्रयासरत हैं।

4. वरिष्ठ नागरिकों के हितों के अनुरूप प्रभावी कार्यवाही के लिए आवश्यक है कि केन्द्र तथा राज्यों में पृथक वरिष्ठ नागरिक कल्याण मंत्रालय गठित किए जायें। हम इस हेतु निरंतर प्रयासरत हैं किन्तु अभी हमारे प्रयास फलीभूत नहीं हो सके हैं। हम इस दिशा में आगे भी सफलता मिलने तक निरंतर प्रयासरत रहेंगे।

5. **शिक्षा सहायता योजना** – भावना द्वारा वर्ष 2007 में निर्धन किन्तु मेधावी छात्र/छात्राओं को आर्थिक सहायता पहुँचाने के उद्देश्य से प्रारम्भ की गयी इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक शिक्षा सत्र में कक्षा 8 तक के हर छात्र/छात्रा को 1200 रुपये, कक्षा 9 व 10 के हर छात्र/छात्रा को 1800 रुपये तथा कक्षा 11 व 12 के हर छात्र/छात्रा को 2000 रुपये की सहायता प्रदान की जाती है। गत वर्ष तक अर्थात शिक्षा सत्र 2016-17 तक 37 विद्यालयों के 892 छात्रों/छात्राओं को 11,83,200 रुपए की आर्थिक सहायता दी जा चुकी थी। वर्तमान शिक्षा सत्र 2017-18 में 31 विद्यालयों के 138 छात्रों/छात्राओं को 1,61,000 रुपयों की आर्थिक सहायता दी गयी है। इन छात्रों/छात्राओं में 13 बच्चे दृष्टिहीन हैं। इस प्रकार भावना द्वारा प्रारम्भ से वर्तमान शिक्षा सत्र 2017-18 तक 1030 छात्रों/छात्राओं को कुल 13,44,200 रुपये की धनराशि वितरित की

गयी है।

मान्यवर!, विगत शिक्षा सत्र 2016-17 से भावना ने उन छात्रों/छात्राओं को स्नातक कक्षाओं में अध्ययन हेतु भी आर्थिक सहयोग देना प्रारम्भ कर दिया है जिन्होंने समिति से सहयोग लेते हुए कक्षा 12 की परीक्षा उत्तम अंको से उत्तीर्ण की थी। विगत सत्र में ऐसी दो छात्राओं तथा वर्तमान सत्र में चार छात्राओं में से प्रत्येक को स्नातक कक्षाओं में अध्ययन के लिए 6,000 रुपए का आर्थिक सहयोग दिया गया।

भावना के स्थापना दिवस समारोहों में प्रति वर्ष आर्थिक सहायता के अतिरिक्त सभी छात्रों/छात्राओं को सदस्यों द्वारा उपहार भी दिये जाते रहे हैं। इस वर्ष भी समिति के महिला सशक्तिकरण प्रकोष्ठ की सचिव श्रीमती अर्चना गोयल द्वारा सभी छात्रों/छात्राओं को एक-एक स्टेनलेस स्टील का गिलास भेंट किया गया। श्रीमती मंजुला सक्सेना, श्री जितेन्द्र सरीन, श्री जगत बिहारी अग्रवाल, श्री प्रदीप कुमार गोयल तथा डा. नरेन्द्र देव द्वारा मिलकर कक्षा 11 के प्रत्येक छात्र/छात्रा को एक एक कलाई घड़ी तथा कक्षा 12 के प्रत्येक छात्र/छात्रा को एक एक कैलकुलेटर भेंट किया गया। श्री जगत बिहारी अग्रवाल तथा श्री प्रदीप कुमार गोयल द्वारा मिलकर बी.एससी. द्वितीय वर्ष की छात्राओं को एक-एक कैलकुलेटर तथा प्रथम वर्ष की छात्राओं को एक-एक डाक्यूमेन्ट फोल्डर भेंट किये गये। सभी छात्र/छात्राओं को डा. नरेन्द्र देव द्वारा लिखित तथा भावना द्वारा प्रकाशित पुस्तिका ''स्वस्थ्य रहने के सफल उपाय'' भी दी गयी।

6. **<u>अनौपचारिक शिक्षण योजना</u>** - इस योजना के अन्तर्गत उन बच्चों को साक्षर एवं संस्कारित करने का प्रयास किया जाता है जो अत्यन्त गरीब हैं या लावारिस हैं तथा जिन्हें हम Street Children कहकर भी सम्बोधित करते हैं। भावना ने ऐसे बच्चों को साक्षर बनाने एवं संस्कारित करने के उद्देश्य से झुग्गी- झोपड़ियों की बस्तियों में अनौपचारिक शिक्षण केन्द्रों की श्रृंखला स्थापित करने एवं संचालित करने का निर्णय लिया है। इस अभियान के अन्तर्गत पहला शिक्षण केन्द्र लखनऊ में मई 2015 से लखनऊ-बिजनौर मार्ग पर बिजली पासी चौराहे के समीप औरंगाबाद रेलवे क्रासिंग के पार स्थित मानसरोवर योजना के सेक्टर-पी में स्थापित एवं संचालित है जहाँ 35 बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इस हेतु दो महिला शिक्षकों को नियुक्त किया गया है। इस केन्द्र पर वेतन आदि को मिलाकर लगभग एक लाख रूपये का वार्षिक व्यय होता है। इस केन्द्र में बच्चों को साक्षर बनाने के साथ-साथ उन्हें अच्छे संस्कार भी दिये जाते हैं तथा उन्हें उत्साहित करने के उद्देश्य से स्वतंत्रता दिवस तथा गणतंत्र दिवस के अवसर पर विविध कार्यक्रमों के आयोजन भी किए जाते हैं। सदस्यों द्वारा बच्चों को पर्वों के अवसर पर उपहार भी भेंट किये जाते हैं। अभी 17 जनवरी 2018 को सभी बच्चों को सर्दी से बचाने के उद्देश्य से स्वेटर/जैकेट वितरित किए गए। पर्याप्त संसाधन उपलब्ध होते ही ऐसा ही एक अन्य केन्द्र यथाशीघ्र प्रारम्भ करने का प्रयास किया जा रहा है।

भावना की एन.सी.आर. शाखा द्वारा भी इस मद में महत्वपूर्ण काम किया जा रहा है। इन्दिरापुरम, गाजियाबाद के पास कनावनी ग्राम में स्थित महापंडित राहुल अनौपचारिक विद्यालय में इन्फ्रास्ट्रक्चर बेहतर करने, हैन्डपम्प लगवाने, बच्चों को पुस्तकें आदि आदान करने में विगत दो वर्षों में एक लाख रुपए से अधिक का योगदान शाखा के सदस्यों द्वारा दिया जा चुका है।

7. **<u>ग्राम्यांचल एवं निर्धन-जन सेवा योजना</u>** - इस योजना के अन्तर्गत लखनऊ तथा आस-पास के क्षेत्रों में प्रकोष्ठ के सदस्यों द्वारा स्थानीय गणमान्य व्यक्तियों की सहायता से निर्धन जरूरतमन्द लोगों को चिन्हित किया जाता है तथा इन पूर्व चिन्हित लोगों को नये कम्बलों का वितरण किया जाता है। वरिष्ठ नागरिक, नेत्रहीन, विधवा तथा दिव्यांग व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाती है। कम्बल वितरण हेतु चिन्हित व्यक्तियों के निवास के समीपस्थ ग्राम में भावना द्वारा निर्धारित तिथि व समय पर एक कैम्प लगाया जाता है तथा स्थानीय गणमान्य व्यक्तियों यथा ग्राम प्रधान आदि की उपस्थिति में पूर्व चिन्हित व्यक्तियों को एक एक नया कम्बल प्रदान किया जाता है। कैम्प में उपस्थित हुए शेष व्यक्तियों को नये पुराने वस्त्र एवं अन्य उपयोगी वस्तुयें वितरित की जाती हैं। गत् वर्षों की भाँति इस वर्ष भी शीत ऋतु में निम्नानुसार कैम्प लगाकर नये कम्बलों, नये पुराने वस्त्रों तथा उपयोगी वस्तुओं का वितरण किया गयाः-

- 24 दिसम्बर, 2017 को ग्राम सैरपुर, ब्लाक चिनहट, जिला लखनऊ में 83 नए कम्बल एवं नये पुराने वस्त्र।

- 01 जनवरी, 2018 को ग्राम मिर्जापुर-सुमहरी, ब्लाक पुरवा, जिला उन्नाव में 200 नये कम्बल तथा नये पुराने वस्त्र।
- 06 जनवरी, 2018 को ग्राम कुरौली, ब्लाक हसनगंज, जिला उन्नाव में 100 नये कम्बल एवं नए पुराने वस्त्र।
- 14 जनवरी, 2018 को ग्राम किशनपुर कौड़िया, ब्लाक सरोजिनीनगर, जिला लखनऊ में 100 नये कम्बल एवं नए पुराने वस्त्र।
- 15 जनवरी, 2018 को ग्राम नबीपनाह, ब्लाक मलिहाबाद, जिला लखनऊ में 110 नए कम्बल एवं नए पुराने वस्त्र।
- 17 जनवरी, 2018 को भावना अनौपचारिक शिक्षण केन्द्र, बिजनौर रोड, लखनऊ में बच्चों को 48 नए स्वेटर व जैकेट।
- 18 जनवरी, 2018 को चन्द्रिका देवी मन्दिर, ब्लाक बी.के.टी., जिला लखनऊ में 107 नये कम्बल तथा नए पुराने वस्त्र।

इन कैम्पों में उपस्थित हुए जन-समूहों को केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रहीं विविध जनोपयोगी योजनाओं की जानकारी दी गई ताकि लोग जानकारी के अभाव में लाभ से वंचित न रह जाएं। इन कैम्पों में लोगों को भारत के संविधान के उन प्राविधानों की जानकारी भी दी गई जो ग्रामवासियों से सीधे सम्बंधित हैं। प्रत्येक कैम्प में सरल हिन्दी में लिखी ''जागो गणराज्य जागो'' नामक पुस्तक की कुछ प्रतियाँ भी वितरित की गईं। कैम्पों में उपस्थित जन-समूहों को स्वच्छता अभियान की जानकारी देने के साथ ही अच्छी जीवन शैली अपना कर बिना दवाओं के स्वस्थ्य रहने के तौर-तरीकों से भी जागरूक किया गया।

8. **निःशुल्क विशाल चिकित्सा शिविर का आयोजन** - हर वर्ष की भाँति इस वर्ष के चिकित्सा शिविर का आयोजन 17 दिसम्बर, 2017 को भावना द्वारा, आस्था वृद्ध रोग चिकित्सालय तथा एस.सी. त्रिवेदी मेमोरियल ट्रस्ट बाल एवं महिला चिकित्सालय के साथ मिलकर श्री राम औद्योगिक अनाथालय परिसर, सेक्टर-आई, अलीगंज, लखनऊ में किया गया। शिविर का शुभारम्भ श्री आशु जैन, आई.आर.एस., महानिदेशक, आयकर विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा किया गया। इस अवसर पर 81 वर्ष से भी अधिक आयु के वरिष्ठ साहित्यकार एवं प्रखर चिन्तक, साहित्य भूषण डा. किशोरी शरण शर्मा को मुख्य अतिथि द्वारा माल्यार्पण करके, अंगवस्त्र पहना कर तथा स्मृति चिन्ह देकर उनका सार्वजनिक अभिनन्दन किया गया। कार्यक्रम के संचालक श्री देवकी नन्दन ''शान्त'' ने उनके जीवन के प्रमुख पहलुओं पर प्रकाश डाला तथा उनकी साहित्यिक उपलब्धियों के बारे में बताया। उन्हें सम्मान पत्र भी समर्पित किया गया।

चिकित्सा शिविर में बच्चों, स्त्रियों एवं पुरुषों के विशिष्ट एवं सामान्य रोगों का विशेषज्ञ डाक्टरों द्वारा परीक्षण किया गया तथा आवश्यतानुसार चिकित्सा-परामर्श दिया गया। विशेषज्ञों के परामर्श के अनुसार मरीजों को पाँच से दस दिनों की दवाइयाँ भी निःशुल्क उपलब्ध करायी गयीं। शिविर में 816 मरीज़ों का पंजीकरण किया गया। सभी के फायब्रोस्कैन, एच.बी.ए.1सी., हेपेटाइटिस बी., लिपिड प्रोफाइल, मधुमेह, रक्तचाप, ई.सी.जी., बॉडी वेट, बी.एम.डी., बी.एम.आई., थाईराइड, पी.एफ.टी., एल.एफ.टी., यूरिक एसिड, प्रोटीन यूरिया, के.एफ.टी. एच पायलोरी, डायबिटिक रेटीनोपैथी तथा न्यूरोपैथी सहित लगभग 10,000 रुपये मूल्य के परीक्षण निःशुल्क किये गये। इस शिविर को सफल बनाने में वृद्ध-रोग विशेषज्ञ डा. अभिषेक शुक्ला, स्त्री-रोग विशेषज्ञ डा. अमिता शुक्ला, अस्थि-रोग विशेषज्ञ डा. कुणाल भल्ला, दंत-रोग विशेषज्ञ डा. सुधांशु अग्रवाल तथा फिजियोथेरेपिस्ट डा. अमित कुमार सिंह सहित 40 से अधिक फार्मास्यूटिकल एवं डायग्नोस्टिक कम्पनियों के विशेषज्ञों का योगदान सराहनीय रहा। आस्था वृद्ध रोग चिकित्सालय, एस.सी. त्रिवेदी स्मारक ट्रस्ट चिकित्सालय, श्री राम औद्योगिक अनाथालय तथा भावना के सम्मानित सदस्यों द्वारा दिया गया भरपूर सहयोग सराहनीय रहा।

9. **भावना समर्थित प्रसादम् सेवा योजना** - भावना की सदस्य संस्था विजयश्री फाउण्डेशन द्वारा लखनऊ के किंग जार्ज मेडिकल कॉलेज के चिकित्सालय परिसर में चिकित्सालय में भर्ती गरीब मरीजों के तीमारदारों को दोपहर का भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ''प्रसादम् सेवा'' कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। इस योजना के अन्तर्गत गरीब मरीज़ों के

पूर्व-चिह्नित तीमारदारों को निःशुल्क सात्विक एवं ताजा भरपेट भोजन स्वच्छ वातावरण में भोजन-कक्ष में आसनों पर बैठाकर कराया जाता है। इस सेवा के लिये मेडिकल कॉलेज प्रशासन द्वारा स्थान उपलब्ध कराया गया है तथा बिजली पानी की सुविधा भी निःशुल्क उपलब्ध कराई गयी है। विजयश्री फाउण्डेशन के सचिव श्री विशाल सिंह के निष्ठापूर्वक कार्य एवं सेवा को देखते हुये उनके अनुरोध पर भावना द्वारा इस सेवा को अंगीकार करके यथासंभव सहायता देने का संकल्प लिया गया है। वर्तमान में इस योजना के अन्तर्गत लगभग 250 लोग प्रतिदिन भोजन ग्रहण करते हैं। भावना द्वारा विजयश्री फाउन्डेशन को प्रसादम् सेवा कार्यक्रम हेतु विगत एक वर्ष में 5,00,400 रुपए का सहयोग दिया जा चुका है। भावना द्वारा गत वर्ष 20,000 रुपए मूल्य का एक रेफ्रिजेरेटर खरीद कर दिया गया था तथा इस वर्ष 1,30,000 रुपयों की लागत से एक ई-रिक्शा भी उपलब्ध कराया गया है।

10. **<u>उच्चकोटि का वृद्धाश्रम बनाने की योजना</u>** - भावना के आवेदन पर यमुना एक्सप्रेस वे इंडस्ट्रियल डेवलेपमेन्ट अॅथारिटी (YEIDA), ग्रेटर नोएडा द्वारा Institutional Plot Scheme 2016 के अन्तर्गत 3000 वर्गमीटर माप का एक विकसित प्लाट एक उच्चकोटि का वृद्धाश्रम बनाने हेतु भावना की एन.सी.आर. शाखा को आबंटित किया जा चुका है। प्लाट का कब्जा मार्च 2018 तक मिल जाने की आशा है। इस प्लाट की कीमत 1,76,00,000 रुपए है। अभी तक येडा की माँग के अनुरूप भावना ने 27 लाख रुपये ब्याज पर उधार लेकर भुगतान कर दिया है। शेष धनराशि का भुगतान भी किश्तों में किया जाना है। वृद्धाश्रम के निर्माण हेतु आवश्यक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है। अभी तक 25 सदस्यों ने एक-एक लाख रुपए की प्रारम्भिक धनराशि भावना को दान दे कर आश्रम में अपना स्थान आरक्षित करा लिया है। आशा है शीघ्र ही अन्य सदस्यों द्वारा भी प्रेरित होकर आरक्षण कराया जाएगा। आश्रम में कुल 190 सदस्यों के रहने की व्यवस्था होगी। आश्रम में सभी आवश्यक सुविधाओं का भी प्रबन्ध किया जायेगा। प्रस्तावित निर्माण हेतु आर्किटेक्ट नियुक्त कर लिया गया है। उसने ले आउट प्लान तथा अन्य नक्शे आदि बना लिए है। प्लाट की कीमत एवं निर्माण कार्यों में लगभग 12 करोड़ की लागत आने का अनुमान है। यद्यपि इतनी बड़ी धनराशि का प्रबन्ध किया जाना एक चुनौती पूर्ण कार्य है किन्तु भावना की नव-सृजित ओल्ड एज होम येडा शाखा के अध्यक्ष श्री अनिल कुमार शर्मा तथा उनकी टीम इस चुनौतीपूर्ण कार्य का सामना करने हेतु एक प्रभावी योजना बनाकर कार्य कर रही है। आशा है भावना अपने मिशन में सफल रहेगी।

ऐसे ही एक उच्चस्तरीय सुविधाओं से युक्त ''समुत्कर्ष आश्रय'' आर.के. फाउण्डेशन के सहयोग से लखनऊ-हरदोई रोड पर आम्रपाली वाटर रिसोर्ट के नजदीक बनाने की योजना पर विचार-मंथन चल रहा है। भावना एवं आर.के. फाउण्डेशन के बीच योजना के कार्यान्वयन की सहमति बनते ही इस योजना को मूर्त रूप देने का कार्य प्रारम्भ होने की पूरी संभावना है।

11. **<u>भावना बहुउद्देश्यीय वरिष्ठ नागरिक डे-क्लब</u>** - वरिष्ठ नागरिकों को सामाजिक जानकारी एवं मनोरंजन उपलब्ध कराने के उद्येश्य से इस क्लब की स्थापना भावना के विशिष्ट सदस्य <u>श्री सुभाष चन्द्र विद्यार्थी के निवास 1/22, सेक्टर सी, प्रियदर्शिनी कॉलोनी, लखनऊ</u> में उनके पिता स्वर्गीय सूरज प्रसाद के स्मारक के रूप में की गई है। यहाँ भावना के सदस्य एवं आस पास रहने वाले अन्य वरिष्ठ नागरिक एकत्र होकर समाचार पत्र, पत्रिकायें आदि पढ़ते हैं तथा यहाँ उपलब्ध इन्डोर गेम्स यथा कैरम, शतरंज आदि का आनन्द लेने के साथ-साथ परस्पर वार्तालाप एवं गपशप करते हैं।

12. **<u>भावना चैरिटेबल फिज़ियोथेरेपी क्लीनिक</u>** - भवन संख्या 534/89 के ए-1, सेक्टर-एम, अलीगंज, लखनऊ में स्थापित इस क्लीनिक में सभी प्रकार के उपकरण, यथाः Shortwave Diathermy, Interferencial Therapy, Ultrasound Therapy, Muscle Stimulator, Combo Therapy, Traction Unit, Wax Bath, Quadriceps Chair, Shoulder Wheel आदि उपलब्ध हैं। सभी उपकरण भावना को हेल्पेज इण्डिया के सौजन्य से निःशुल्क प्राप्त हैं। यह क्लीनिक भावना के वॉलन्टियर सदस्य डा. अमित कुमार सिंह, विशेषज्ञ फिजियोथेरेपिस्ट, के सहयोग से ''नो प्रॉफिट, नो लॉस'' के आधार पर संचालित किया जा रहा है।

13. **<u>महिला सशक्तिकरण के कार्य</u>** - महिलाओं में स्वावलम्बन एवं सहयोग की सोच बलवती कराने तथा निर्धन एवं निरक्षर महिलाओं व बालिकाओं को व्यक्तिगत स्वच्छता एवं स्वास्थ्य के प्रति जागरूक कराने के लिये भावना की महिला

सदस्यों द्वारा संचालित महिला सशक्तिकरण प्रकोष्ठ अत्यंत सक्रिय है। यह प्रकोष्ठ वृद्धाश्रमों एवं बालिकाओं के स्कूलों में निर्धन एवं जरूरतमन्द बालिकाओं एवं महिलाओं को नवरात्रि, मकर संक्रान्ति, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस तथा अन्य त्यौहारों पर खानपान एवं उनके उपयोग की अन्य वस्तुओं का वितरण कर उन्हें सहयोग प्रदान करता है। भावना के स्थापना दिवस के अवसर पर शिक्षा सहायता राशि प्राप्त करने आये बच्चों को इस प्रकोष्ठ द्वारा उनके उपयोग की अनेकों वस्तुएं उपहार में दी जाया करती हैं। भावना के होली-मिलन उत्सव, नव-वर्ष उत्सव, तीजोत्सव के आयोजनों को सफल बनाने में इस प्रकोष्ठ का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण एवं सराहनीय हुआ करता है।

14. **सहयोग एवं सेवा कार्यक्रम** – भावना ने लखनऊ नगर में अपने सदस्यों एवं अन्य बुजुर्गों की देख भाल एवं उनसे निरन्तर सम्पर्क बनाए रखने के उद्येश्य से ''सहयोग एवं सेवा प्रकोष्ठ'' का गठन किया है। प्रको-ठ के सदस्यों को अलग अलग इलाकों के दायित्व सौंपे गए हैं। इस प्रकोष्ठ के सदस्यों के निम्नलिखित दायित्व हैं:

- आपात स्थिति में यथावांछित सहयोग करना।
- एकाकी जीवन जी रहे प्रति वरिष्ठ नागरिकों के सम्पर्क में रहकर उनकी यथावश्यक देखभाल में सहयोग करना।
- भावना के दिवंगत हो चुके पुरुष सदस्यों की विधवाओं से सम्पर्क कर उनकी देखभाल की उचित व्यवस्था सुनिश्चित करना।
- अपने क्षेत्र के सदस्यों हेतु पिकनिक, गोष्ठी आदि के आयोजन करना।
- सदस्यों को जन्मदिन तथा विवाह की वर्षगाँठ के अवसर पर शुभकामनाएं प्रेषित करना।
- वैवाहिक जीवन के 50 वर्ष पूर्ण होने पर उनका सार्वजनिक अभिनन्दन करना।

15. **पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम** – विश्व में दिन प्रतिदिन बढ़ते वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण तथा जल प्रदूषण के कारणों से मनुष्यों एवं अन्य प्राणियों के स्वास्थ्य एवं जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। विकास कार्यों हेतु वृक्षों की कटान तथा परमाणु परीक्षणों, पेट्रोल-डीजल जैसे ईधनों की खपत में वृद्धि होने के कारण एक भयावाह स्थिति उत्पन्न हो गयी है। सम्पूर्ण विश्व इससे चिन्तित है तथा प्रदूषण के रोकथाम के उपाय किये जा रहे हैं। मनुष्यों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव को देखते हुये यह आवश्यक हो गया है कि पर्यावरण के संरक्षण हेतु जागरूकता फैलायी जाये। वृद्धजनों पर इसके प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुये भावना ने भी जागरूकता फैलाने की दृष्टि से ''पर्यावरण संरक्षण प्रकोष्ठ'' का गठन किया है। इस प्रकोष्ठ का मुख्य कार्य गोष्ठियों आदि के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करना एवं प्रदूषण की रोकथाम हेतु उचित लाभकारी उपायों के बारे में सुझाव देना है। भावना द्वारा हर वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को एक सार्वजनिक गोष्ठी आयोजित की जाती है। इस वर्ष के आयोजन निम्नवत रहेः

- 29 मई, 2017 को प्रकोष्ठ के सचिव श्री पाल प्रवीण द्वारा प्रभात प्रशान्त वालन्टियर ब्यूरो व अलीगंज वैदिक सत्संग के सहयोग से गोष्ठी का आयोजन किया गया।
- 5 जून, 2017 को सेक्टर-सी, प्रियदर्शिनी कॉलोनी, लखनऊ के नव-विकसित संध्या पार्क में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया तथा पौधारोपण भी किया गया।
- 11 जून, 2017 को, विपुल खण्ड-2, गोमती नगर, लखनऊ के प्रसिद्ध समन्वय पार्क में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया।

16. **वैकल्पिक चिकित्सा कार्यक्रम** – भावना की मान्यता है कि सामान्यतः जब तक अपरिहार्य न हो तब तक लोगों को आधुनिक चिकित्सा पद्धति से इलाज कराने से बचना चाहिए क्योंकि इस पद्धति से इलाज के दुष्परिणाम बहुत हैं। भावना का वैकल्पिक चिकित्सा प्रकोष्ठ इसी मान्यता पर कार्य करता है। प्रकोष्ठ के सचिव, डॉ. नरेन्द्र देव हैं जो अन्य सदस्यों एवं अन्य अनुभवी लोगों के साथ मिलकर समय-समय पर गोष्ठियाँ, सेमिनार तथा प्रशिक्षण शिविर आयोजित कर लोगों को बिना औषधि के स्वस्थ्य रहने के उपाय बताते हैं। उनके द्वारा एक्यूप्रेशर के सम्बन्ध में भी जानकारी दी जाती है तथा प्रशिक्षण भी दिया जाता है। इस वर्ष उनके द्वारा लखनऊ में 06 भिन्न भिन्न स्थानों पर तीन दिवसीय प्रशिक्षण शिविर

आयोजित किये गये जिनके माध्यम से कुल 87 प्रतिभागियों को एक्यूप्रेशर चिकित्सा विधा में प्रशिक्षित किया गया।

उनके द्वारा लखनऊ में ही निम्नलिखित जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किये गयेः

क्र.सं.	स्थान	प्रतिभागी	दिनांक
1.	एस.आर. ग्लोबल स्कूल, सीतापुर रोड	नवीं कक्षा के 28 लड़कियां एवं 48 लड़के	06.03.2017
2.	मिरण्ड होटल, निराला नगर	बैंक ऑफ बड़ौदा के सेवानिवृत्त अधिकारीगण	19.04.2017
3.	हिन्द इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, सीतापुर रोड	450 विद्यार्थी एवं शिक्षक	25.04.2017
4.	सेन्ट्रल स्कूल समीप आई.आई.एम.	100 विद्यार्थी एवं शिक्षक	28.06.2017
5.	सी.आई.पी.ई.टी. कालेज, कानपुर रोड	90 विद्यार्थी	17.07.2017
6.	रजत पी.जी. कालेज	200 विद्यार्थी एवं शिक्षक	26.07.2017
7.	रजत वीमेन्स कालेज	200 विद्यार्थी एवं शिक्षक	27.07.2017
8.	रजत कालेज ऑफ मैनेजमेन्ट	200 विद्यार्थी एवं शिक्षक	04.08.2017
9.	रजत गर्ल्स डिग्री कालेज	300 विद्यार्थी एवं शिक्षक	30.09.2017
10.	रजत को-एजूकेशन डिग्री कालेज	300 विद्यार्थी एवं शिक्षक	25.08.2017
11.	टी.डी. गर्ल्स इण्टर कालेज	700 विद्यार्थी एवं शिक्षक	27.10.2017
12.	सी.डी.आर.आई. ऑडिटोरियम	60 रिसर्च स्कॉलर	27.10.2017
13.	रजत कॉलेज न्यू बैच	130 विद्यार्थी एवं शिक्षक	13.11.2017
14.	लोरेटो कान्वेन्ट कॉलेज	पूरा ऑडीटोरियम	25.11.2017
15.	माँ चन्द्रिका देवी अस्पताल	विद्यार्थी एवं शिक्षक	23.12.2017

उनके द्वारा विभिन्न ग्राम्यांचल एवं निर्धन-जन सेवा शिविरों में भी उपस्थित हुए लोगों को स्वच्छता तथा जीवनशैली को सुधार कर औषधियों के सेवन के बिना बीमारियों से बचने के उपायों के प्रति जागरूक किया गया।

17. **<u>सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन</u>** – भावना के सदस्यों एवं उनके परिजनों के सामूहिक मेल-मिलाप तथा मनोरंजन के उद्देश्य से नव-वर्ष मिलन एवं होली-मिलन के रूप में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन किए जाते हैं। इन कार्यक्रमों की संरचना एवं प्रस्तुति सांस्कृतिक कार्य प्रकोष्ठ तथा महिला सशक्तिकरण प्रकोष्ठ के द्वारा मिलकर की जाती है। इन कार्यक्रमों में सदस्यों एवं उनके परिजनों द्वारा बड़ी संख्या में भाग लिया जाता है इसलिए कार्यक्रमों के आयोजन हेतु बड़ी तथा खुली जगह की आवश्यकता पड़ती है जो भावना के माननीय सम्प्रेक्षक श्री मनोज कुमार गोयल तथा सचिव श्रीमती अर्चना गोयल के सौजन्य से उपलब्ध होता है। गत महाधिवेशन के बाद होली-मिलन का रंगारंग कार्यक्रम 21 मार्च, 2017 को गोयल फार्म हाउस में आयोजित हुआ तथा इस वर्ष नव-वर्ष मिलन का कार्यक्रम भी 07 जनवरी, 2018 को गोयल फार्म हाउस में ही आयोजित हुआ।

18. **<u>भावना के प्रकाशन</u>** – प्रकाशन सम्बंधी सभी कार्य भावना के सम्पादन प्रकोष्ठ द्वारा सम्पन्न किए जाते हैं। भावना के त्रैमासिक मुख-पत्र, ''भावना-सन्देश'', का संपादन एवं प्रकाशन गत 17 वर्षों से नियमित रूप से किया जा रहा है तथा इसके माध्यम से समिति की गतिविधियों की जानकारी तथा शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों एवं योजनाओं की जानकारी सदस्यों को उपलब्ध करायी जाती है। पत्रिका में सम-सामयिक, साहित्यिक एवं आध्यात्मिक रचनाओं का प्रकाशन भी होता है। भावना अपने सदस्यों द्वारा रचित कई पुस्तकों का प्रकाशन भी कर चुकी है। इनमें ''भावना-संदेश'' के पूर्व प्रधान सम्पादक स्व. श्री धर्मवीर सिंह की तीन पुस्तकें, वर्तमान सदस्य श्री उदयभान पाण्डेय की एक पुस्तक तथा डॉ. नरेन्द्र देव की एक पुस्तिका उल्लेखनीय है।

19. **<u>विधिक एवं आर.टी.आई. सम्बंधी कार्य</u>** – भावना द्वारा ''सूचना का अधिकार कानून'' का सार्थक एवं सकारात्मक उपयोग करके जन साधारण, विशेषकर सदस्यों, को जो सरकारी तंत्र की उपेक्षा के कारण कठिनाइयाँ महसूस करते हैं, उन्हें सहायता पहुँचाने का कार्य किया जाता है। सदस्यों को उनकी माँग पर विधिक परामर्श भी दिया जाता है। सदस्यों को अपनी वसीयत बनाने हेतु प्रेरित किया जाता है एवं वसीयत बनाने में उनकी सहायता भी की जाती है। इन दायित्वों का निर्वहन भावना के विधि एवं आर.टी.आई. प्रकोष्ठ द्वारा किया जाता है।

20. **प्रशिक्षण गोष्ठियाँ एवं कार्यशालाएं** – भावना द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के हितों से सम्बंधित सम-सामयिक विषयों पर समय समय पर गोष्ठियाँ/कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं। इस हेतु अलग प्रशिक्षण गोष्ठियाँ एवं कार्यशालाएं प्रकोष्ठ गठित है।

21. **संसाधन प्रबन्धन** – यद्यपि सामान्यतः अपने अपने कार्यक्रमों के लिए संसाधनों का प्रबंध सम्बंधित प्रकोष्ठ ही करते हैं तथापि भावना के विशिष्ट चिह्नित कार्यक्रमों हेतु बड़े संसाधनों को जुटाने के उद्देश्य से संसाधन प्रबंध प्रकोष्ठ भी गठित है।

22. **विभिन्न अस्पतालों/चिकित्सकों के साथ दीर्घ कालीन अनुबन्ध** – अपने सदस्यों को सभी प्रकार की चिकित्सा सुविधायें नगण्य दरों पर उपलब्ध कराने हेतु भावना द्वारा लखनऊ में आस्था वृद्ध रोग चिकित्सालय, अवध मल्टीस्पेशियलिटी हॉस्पिटल, सुधा डेन्टल क्लीनिक तथा स्वास्थ्य एवं जड़ी बूटी विकास संस्थान के साथ दीर्घकालीन अनुबंध किये गये हैं। भावना के लखनऊ निवासी अधिकतर सदस्य इन सुविधाओं का लाभ भी उठा रहे हैं।

23. **अतिवरिष्ठ सदस्यों का सार्वजनिक अभिनन्दन** – भावना के प्रत्येक वार्षिक महाधिवेशन के अवसर पर उस समय तक 80 वर्ष तथा अधिक आयु प्राप्त कर चुके सदस्यों को विशेष रूप से आमंत्रित करके उनका सार्वजनिक अभिनन्दन किया जाता है तथा उनके स्वस्थ रहते हुए दीर्घायु की कामना की जाती है। आज इस महाधिवेशन में ऐसे 36 सदस्यों को आमंत्रित किया गया था। उनमें से उपस्थित सदस्यों का अभिनन्दन करते हुये हमें अपार हर्ष का अनुभव हो रहा है।

24. **भावना तथा इसके सदस्यों की विशिष्ट उपलब्धियाँ** – विगत् महाधिवेशन के बाद से अब तक भावना तथा इसके निम्नलिखित सदस्यों को विशिष्ट सम्मान मिले हैं:

- भावना की एन.सी.आर. शाखा ने 14 से 17 दिसम्बर, 2017 तक गाजियाबाद में आयोजित ''हिन्दू आध्यात्मिक एवं सेवा मेला 2017'' में एक बड़ी एवं भव्य स्टाल लगाई जिसकी अत्यधिक प्रशंसा हुई। मेला समिति द्वारा प्रमाण-पत्र भी दिया गया।
- ग्लोबल इकोनोमिक प्रोग्रेस एन्ड रिसर्च एसोसिएशन, नई दिल्ली के द्वारा 19 नवम्बर, 2017 को बंगलोर में आयोजित 48वीं नेशनल यूनिटी कॉन्फ्रेन्स में भावना के अतिवरिष्ठ सदस्य डॉ. राजेन्द्र नाथ कालड़ा को ''नेशनल सिटिज़नशिप स्वर्ण पदक'' से सम्मानित किया गया।
- साउथ एशिया मैनेजमेंट एसोसिएशन के द्वारा 27 से 29 जनवरी, 2018 तक एम.आर.पी. सरदार पटेल महिला पी. जी. कॉलेज, बाराबंकी में आयोजित 9वीं अंतर्राष्ट्रीय कान्फ्रेन्स में भावना की विशिष्ट सदस्य प्रो. ऊषा बाजपेयी को ''इन्टरनेशनल प्राइड ऑफ़ एजूकेशनिस्ट स्वर्ण पदक'' से सम्मानित किया गया।
- लखनऊ के आस्था हॉस्पिस के जैसा ही एक हॉस्पिस गाँधी नगर में स्थापित करने हेतु परामर्श के लिए गुजरात के राज्यपाल ने डॉ. अभिषेक शुक्ला को निमंत्रित किया। तदनुसार 30 जनवरी, 2018 को महामहिम के साथ डॉ. ए.के. शुक्ला की मीटिंग सम्पन्न हुई।
- भावना की सदस्य संस्था विजयश्री फ़ाउन्डेशन के सचिव श्री विशाल सिंह को 08 से 17 सितम्बर, 2017 तक लखनऊ में आयोजित हुए 15वें राष्ट्रीय पुस्तक मेले में उत्कृष्ट समाज सेवा के लिए ''दधीच'' सम्मान दिया गया।
- राजभवन, लखनऊ में इस वर्ष 17 व 18 फरवरी को आयोजित पुष्प एवं शाक-भाजी प्रदर्शनी में निर्णायक दल में एक निर्णयकर्ता भावना के महासचिव (कार्यान्वयन), श्री योगेन्द्र प्रताप सिंह, थे। उल्लेखनीय है कि इस प्रदेश-स्तरीय वार्षिक प्रदर्शिनी की आयोजन समिति के अध्यक्ष महामहिम राज्यपाल हैं तथा सचिव माननीय मुख्य सचिव जी हैं।

25. **भावना के विशिष्ट योगदान** –

- भावना द्वारा अपनी सदस्य संस्था विजयश्री फ़ाउन्डेशन को प्रसादम् सेवा प्रकल्प की रसोई में आयोग के लिए एक नया बड़ा रेफ्रीजरेटर तथा सामान की ढुलाई के लिए एक नया ई-रिक्शा प्रदान किया गया।
- भावना द्वारा अपनी सदस्य संस्था आस्था सेन्टर फ़ॉर जेरियाट्रिक मेडीसिन, पालिएटिव केयर हॉस्पिटल, हॉस्पिस एन्ड सोशल वेलफ़ेयर सोसायटी को चिकित्सालय में प्रयोग के लिए एक नई व्हील चेयर प्रदान की गई। यह व्हील चेयर

भावना को उपमहासचिव श्री सतपाल सिंह ने अपनी स्वर्गीय पत्नी श्रीमती सरोजिनी सिंह की स्मृति में भेंट की थी।

26. **<u>भावना के संवैधानिक दायित्व</u>** –

- नियमावली के अनुसार प्रतिवर्ष भावना की प्रबन्धकारिणी की चार बैठकें होना चाहिये। तदनुसार विगत महाधिवेशन के बाद से अब तक भावना की चार बैठकें आयोजित हुईं। भावना की वार्षिक आम-सभा की बैठक (वार्षिक महाधिवेशन) भी हर वर्ष निर्धारित समय पर आयोजित होती चली आ रही है।
- भावना के आय-व्यय का वार्षिक लेखा-जोखा (बैलैन्स शीट) नियमानुसार समय से सम्प्रेक्षक तथा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट से प्रमाणित कराया जाता है तथा आयकर रिटर्न भी हर वर्ष समय से जमा किया जाता है।
- भावना के प्रत्येक लेखा-वर्ष हेतु प्रस्तावित आय-व्यय का बजट वार्षिक आम-सभा में प्रस्तुत करके अनुमोदित कराया जाता है।
- भावना के प्रत्येक लेखा-वर्ष हेतु प्रस्तावित कार्य-योजना वार्षिक आम-सभा में प्रस्तुत करके अनुमोदित कराई जाती है। गत वार्षिक आम-सभा द्वारा अनुमोदित वर्तमान लेखा-वर्ष की कार्य-योजना की प्रगति के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जिन योजनाओं/कार्यक्रमों को जारी रखने का संकल्प लिया गया था उन पर प्रभावी कार्यवाही कर जारी रखा गया है तथा आगे भी जारी रखा जायेगा। संसाधनों की कमी के कारण कुछ कार्य सम्पन्न नहीं हो पाये हैं जिन्हें आगामी वर्ष में पूर्ण करने के प्रयास किए जायेंगे।

मान्यवर, गत दिनों भावना ने अपने सम्मानित संरक्षक सदस्य न्यायमूर्ति ईश्वर सहाय माथुर, संस्थापक सदस्य डा. हरीश चन्द्रा, विशिष्ट सदस्य रमेश चन्द्र तिवारी, विशिष्ट सदस्य रघुनन्दन पांडे, विशिष्ट सदस्य श्रीमती सरोजिनी सिंह, आजीवन सदस्य ध्रुव चन्द्रा, आजीवन सदस्य देवी प्रसाद गोयल, आजीवन सदस्य श्रीमती माया सिंह, आजीवन सदस्य ज्ञान प्रकाश पान्डे, आजीवन सदस्य दयाशंकर चौबे, आजीवन सदस्य सीताराम मेहरोत्रा, आजीवन सदस्य शिव शंकर गुप्ता, आजीवन सदस्य नरेश भार्गव, आजीवन सदस्य घनश्याम दास गुप्ता, आजीवन सदस्य श्रीमती सुमन गोयल, आजीवन सदस्य सम्पत राम श्रीवास्तव, आजीवन सदस्य ज्ञानदेव गुप्ता तथा आजीवन सदस्य श्रीमती सुमित्रा शुक्ल को खो दिया है। भावना के लिए यह एक अपूरणीय क्षति है, फिर भी इसे नियति का चक्र मानकर तसल्ली करने के अलावा हमारे पास अन्य कोई विकल्प नहीं है।

मान्यवर, भावना की सभी कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन समिति के सम्मानित सदस्यों तथा अन्य सुधी, सहृदय एवं संवेदनशील महानुभावों/संस्थाओं के आर्थिक सहयोग से ही होता है। अतः मैं इस मंच के माध्यम से सभी से अपील करता हूँ कि वे स्वयं भावना को यथा सामर्थ्य अधिक से अधिक आर्थिक सहयोग प्रदान करने की कृपा करें तथा अपने परिजनों एवं इष्ट मित्रों को भी इस पुण्य के कार्य हेतु प्रेरित करें। यह आपकी ही संस्था है तथा आपके द्वारा ही संचालित है। इसके उत्थान एवं गतिशीलता से जहाँ एक ओर आपका ही कुछ न कुछ भला होने वाला है, वहीं दूसरी ओर आने वाली नई बुजुर्ग पीढ़ी भी लाभान्वित होगी। मैं भावना की प्रबंधकारिणी की ओर से तथा अपनी ओर से भी उन सभी दानदाताओं का हृदय से आभारी हूँ जिनके आर्थिक सहयोग के कारण ही हम अपने लक्ष्यों को किसी सीमा तक पूरा करने में समर्थ हो सके हैं। मैं भावना के संरक्षक मण्डल के प्रति सम्मान व्यक्त करता हूँ जिनके मार्गदर्शन में समिति दिन-प्रति-दिन प्रगति की ओर अग्रसर है तथा अपने उद्येश्यों की प्राप्ति में सफल हो पा रही है। आज के सभाध्यक्ष परम आदरणीय श्री कोमल प्रसाद वार्ष्णेय जी, मुख्य अतिथि परम आदरणीय प्रो. लक्ष्मी कान्त माहेश्वरी जी, भावना के अध्यक्ष माननीय श्री विनोद कुमार शुक्ल, मंचासीन सभी माननीय विशिष्ट अतिथिगण, सभा में उपस्थित सभी अन्य अतिथिगण, भावना एवं अन्य संस्थाओं के पदाधिकारीगण तथा भावना के सभी सम्मानित सदस्यगण, सभी मीडियाकर्मी, उपस्थित देवियों एवं सज्जनों का आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने सभा में उपस्थित होकर एवं धैर्यपूर्वक इस रिपोर्ट को सुनकर हमें कृतार्थ किया। जय भावना, जय भारत।

(जगत बिहारी अग्रवाल)
महासचिव (प्रशासन)
कृते प्रमुख महासचिव

भारतीय वरिष्ठ नागरिक समिति नियमावली
फरवरी, 2018 तक संशोधित

1. संस्था का नाम : इस संस्था का नाम ''भारतीय वरिष्ठ नागरिक समिति'' होगा। संस्था का संक्षिप्त नाम ''भावना'' होगा।

2. संस्था का पता : इस संस्था का प्रधान कार्यालय ''507, कसमन्डा अपार्टमेन्ट्स, 2, पार्क रोड, हजरतगंज, लखनऊ (उ.प्र.) -226001'' में स्थापित होगा।

3. व्याख्या : इस नियमावली में, जब तक प्रसंग में अन्यथा अपेक्षित न हो तब तक,

3.1 ''संस्था'' : शब्द का तात्पर्य''भारतीय वरिष्ठ नागरिक समिति'' अथवा ''भावना'' से होगा।

3.2 ''परिवार'' शब्द का तात्पर्य सदस्य के पूरे ''परिवार अथवा परिजन'' से होगा जिसमें सदस्य के माता-पिता, पति-पत्नी, : पुत्र, पुत्रियां, पुत्रवधू, दामाद, पौत्र एवं पौत्रियां सम्मिलित होंगे, चाहे वे सदस्य पर आश्रित हों या न हों।

4. संस्था का कार्यक्षेत्र : इस संस्था का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण भारत होगा।

5. संस्था की सदस्यता : 5.1 व्यक्तिगत सदस्यता : 50 वर्ष या उससे अधिक आयु के भारतीय नागरिक तथा प्रवासी भारतीय (विदेशों में बसे भारतीय मूल के लोग) इस संस्था के व्यक्तिगत सदस्य बन सकेंगे।

5.2 संस्थागत सदस्यता : भारत में तथा भारत के बाहर अन्य देशों में स्थित गैर राजनैतिक सरकारी, अर्ध-सरकारी अथवा गैरसरकारी समाजसेवी संस्थायें तथा ऐसे वाणिज्यिक संस्थान, जो भारत की समाजसेवी संस्थाओं को सहयोग देने में रुचि रखते हों, इस संस्था के संस्थागत सदस्य बन सकेंगे।

5.3 वॉलन्टियर सदस्यता : 50 वर्ष से कम आयु के भारतीय नागरिक तथा प्रवासी भारतीय (विदेशों में बसे भारतीय मूल के लोग) इस संस्था के वॉलन्टियर सदस्य बन सकेंगे।

6. संस्था का उद्देश्य : इस संस्था का उद्देश्य बुजुर्गों का समग्र कल्याण है। जाति, उपजाति, धर्म, वर्ण, लिंग अथवा आर्थिक स्थिति का भेद किए बिना अधिक से अधिक बुजुर्गों को जीवन पर्यन्त सम्मान के साथ सुखी एवं स्वस्थ रहने में यथा सम्भव सहयोग देना इस संस्था का प्रमुख संकल्प होगा। यह संस्था बुजुर्गों में स्वावलम्बन, सहयोग, सहिष्णुता एवं सेवा की भावना बलवती करने का हर संभव प्रयास करेगी ताकि उनमें सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह निरंतर होता रहे एवं वे प्रसन्न, स्वस्थ तथा सार्थक जीवन जी सकें। संस्था के सारे कार्यक्रम एवं सेवाएँ बुजुर्गों के हितों के अनुरूप ही संचालित होंगी। यह संस्था बुजुर्गों को सक्रिय बनाये रखने तथा उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़े रखने के उद्देश्य से उनके सहयोग से समाज के कमजोर वर्ग, यथा, निराश्रित महिलाओं एवं बच्चों, विकलांगों तथा निर्बल, निर्धन एवं असहाय जनों के कल्याण के लिए भी कार्य करेगी तथा देश एवं समाज हित के अन्य कार्य भी करेगी। यह संस्था युवाओं में बुजुर्गों की समस्याओं के प्रति जागृति एवं संवेदनशीलता उत्पन्न करके उन्हें बुजुर्गों की सहायता करने के लिए प्रेरित करेगी। यह संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए शासन से, देश एवं विदेश की अन्य संस्थाओं से तथा देश एवं विदेश के संवेदनशील व्यक्तियों से धन, सम्पत्ति तथा सेवाओं का दान-अनुदान प्राप्त करेगी। यदि आवश्यक हुआ तो ऋण भी प्राप्त करेगी।

7. सदस्यता के प्रकार : 7.1 संस्थापक सदस्य : संस्था के जिन सदस्यों ने मिलकर संस्था की स्थापना की तथा नियमावली बनाकर सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के अंतर्गत प्रारम्भिक रजिस्ट्रेशन कराया, वे संस्था के संस्थापक सदस्य के रूप में परिभाषित होंगे।

7.2 आजीवन सदस्य : जो पात्र व्यक्ति संस्था को दो हजार पाँच सौ रूपये का एक मुश्त, अथवा प्रबंधकारिणी द्वारा अनुमोदित किश्तों में, भुगतान करेगा वह संस्था का आजीवन सदस्य होगा। आजीवन सदस्य की मृत्यु होने पर उसकी पत्नी अथवा उसका पति स्वतः ही संस्था का आजीवन सदस्य हो जायेगा। उस पर नियम 5 में वर्णित आयु-सीमा का प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा।

सदस्य के जीवित रहते हुए यदि उसकी पत्नी (अथवा पति) भी संस्था का आजीवन सदस्य बनना चाहे तो उसे इस

हेतु आजीवन सदस्यता शुल्क के रूप में मात्र पाँच सौ रूपये का ही भुगतान करना होगा। उस पर नियम 5 में वर्णित आयु सीमा का प्रतिबंध लागू होगा।

7.3 विशिष्ट सदस्य : जो पात्र व्यक्ति संस्था को छः हजार रूपये अथवा उससे अधिक धनराशि का भुगतान आजीवन सदस्यता हेतु एकमुश्त, अथवा प्रबंधकारिणी द्वारा अनुमोदित किश्तों में, करेगा वह संस्था का विशिष्ट सदस्य बनाया जायेगा। विशिष्ट सदस्य की मृत्यु होने पर उसकी पत्नी (अथवा उसका पति) स्वतः ही संस्था की विशिष्ट सदस्य हो जायेगी। उस पर नियम 5 में वर्णित आयु-सीमा का प्रतिबंध लागू नहीं होगा।

सदस्य के जीवित रहते हुए यदि उसकी पत्नी (अथवा पति) भी संस्था का सदस्य बनना चाहे तो उसे विशिष्ट सदस्य बनने के लिए मात्र एक हजार रूपये तथा आजीवन सदस्य बनने के लिए मात्र पाँच सौ रूपये का भुगतान सदस्यता शुल्क के रूप में करना होगा। उस पर नियम 5 में वर्णित आयु-सीमा का प्रतिबंध लागू होगा।

7.4 संरक्षक सदस्य : प्रबंधकारिणी को यह अधिकार होगा कि वह संस्था के उद्येश्य से सहमत किसी भी पात्र व्यक्ति को, जिसे समाज में उच्च कोटि की प्रतिष्ठा प्राप्त हो, संस्था का संरक्षक सदस्य बनाकर सम्मानित करे।

7.5 संस्थागत सदस्य :

7.5.1- भारत की सरकारी तथा अर्ध-सरकारी संस्थाओं एवं वाणिज्यिक संस्थानों के लिये संस्थागत सदस्यता हेतु निर्धारित आजीवन शुल्क पच्चीस हजार रुपये होगा। अन्य देशों की सरकारी तथा अर्ध-सरकारी संस्थाओं एवं वाणिज्यिक संस्थानों के लिये संस्थागत सदस्यता हेतु निर्धारित आजीवन शुल्क पचास हजार रुपये होगा। संस्थागत सदस्यता ग्रहण करने वाला प्रत्येक सरकारी, अर्ध-सरकारी तथा वाणिज्यिक संस्थान अपने प्रतिष्ठान से अधिकतम पांच प्रतिनिधियों को मनोनीत करेगा जो संस्था की साधारण सभा में उनका प्रतिनिधित्व करेंगे। वे साधारण सभा के सदस्य माने जायेंगे। उनके अधिकार तथा कर्तव्य संस्था के आजीवन तथा विशिष्ट सदस्यों के समान ही होंगे।

7.5.2- गैरसरकारी समाजसेवी संस्थाओं के लिये संस्थागत सदस्यता हेतु निर्धारित आजीवन शुल्क उनके द्वारा संस्था की साधारण सभा में उनका प्रतिनिधित्व करने हेतु नामित किए जाने वाले प्रतिनिधियों की संख्या पर आधारित होगा। भारत में जिला मुख्यालयों पर विद्यमान संस्थाओं के एक प्रतिनिधि के लिए यह शुल्क छः हजार रुपये होगा, दो प्रतिनिधियों के लिए यह शुल्क बारह हजार रुपये होगा, तीन प्रतिनिधियों के लिए यह शुल्क अठारह हजार रुपये होगा, चार प्रतिनिधियों के लिए यह शुल्क चौबीस हजार रुपये होगा तथा पांच प्रतिनिधियों के लिए यह शुल्क तीस हजार रुपये होगा। जिला मुख्यालयों से भिन्न स्थानों पर विद्यमान संस्थाओं को ग्रामीण माना जाएगा। ग्रामीण संस्थाओं के लिए निर्धारित आजीवन सदस्यता शुल्क भी उपरोक्तानुसार प्रतिनिधियों की संख्या के आधार पर ही क्रमशः दो हजार रुपए, चार हजार रुपए, छः हजार रुपए, आठ हजार रुपए तथा दस हजार रुपए होगा। विदेशी संस्थाओं के लिए सभी शुल्क भारत में जिला मुख्यालयों पर विद्यमान संस्थाओं के लिए लागू शुल्क के दुगने होंगे। कोई भी संस्थागत सदस्य संस्था की साधारण सभा में उसका प्रतिनिधित्व करने हेतु पांच से अधिक प्रतिनिधियों को मनोनीत नहीं कर सकेगा। मनोनीत प्रतिनिधि संस्था की साधारण सभा के सदस्य माने जायेंगे। उनके अधिकार तथा कर्तव्य संस्था के आजीवन तथा विशिष्ट सदस्यों के समान होंगे।

7.5.3- प्रबंधकारिणी को यह अधिकार होगा कि वह किसी संस्था या संस्थान से सदस्यता के निर्धारित शुल्क का भुगतान उसकी आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन करके दो या अधिक किश्तों में प्राप्त करने की अनुमति प्रदान कर दे।

7.6 वॉलन्टियर सदस्य : संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु समय दान देने अथवा किसी भी अन्य वैध प्रकार से सहयोग देने का इच्छुक पचास वर्ष से कम आयु का जो पात्र व्यक्ति संस्था को एक हजार पाँच सौ रुपए का एक मुश्त, अथवा प्रबंधकारिणी द्वारा अनुमोदित किश्तों में, भुगतान करेगा वह संस्था का वॉलन्टियर सदस्य बन जाएगा। ऐसे सदस्य की सदस्यता पचास वर्ष की आयु पूरी होते ही स्वतः समाप्त हो जाएगी। तब उसके समक्ष एक माह के भीतर अवशेष सदस्यता शुल्क का भुगतान करके आजीवन सदस्य अथवा विशिष्ट सदस्य बन जाने का विकल्प उपलब्ध रहेगा।

7.7 उपनियम 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5.1, 7.5.2 तथा 7.6 में श्रेणीबद्ध सभी सदस्यों के सभी अधिकार समान होंगे। किन्तु मतदान में भाग लेने का अधिकार तथा प्रबंधकारिणी के किसी पद के लिए चुनाव में भाग लेने का

अधिकार संरक्षक सदस्य को तभी होगा जब वह संस्था का उपनियम 7.1, 7.2 तथा 7.3 में से किसी एक उपनियम में परिभाषित सदस्य भी हो। वॉलन्टियर सदस्य को मतदान में भाग लेने का अधिकार तथा प्रबंधकारिणी के किसी पद के लिए चुनाव में भाग लेने का अधिकार कभी नहीं होगा।

7.8 उपनियम 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5.1, 7.5.2 तथा 7.6 में परिभाषित सदस्यता उसी पात्र व्यक्ति को दी जायेगी जिसकी स्वीकृति प्रबंधकारिणी देगी।

8. सदस्यता हेतु आवेदन

संस्था का आजीवन सदस्य, विशिष्ट सदस्य, संस्थागत सदस्य अथवा वॉलन्टियर सदस्य बनने हेतु निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन प्रस्तुत करना होगा तथा उसके साथ प्रबंधकारिणी द्वारा निर्धारित समस्त वांछित अभिलेख भी प्रस्तुत करने होंगे। आवेदन प्रपत्र के साथ संस्था की नियमावली भी आवेदक को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जायेगी। आवेदन पर प्रबंधकारिणी अथवा उसके द्वारा इस हेतु मनोनीत अन्य कोई समिति विचार करके निर्णय देगी। अनुकूल निर्णय होने पर ही किसी पात्र आवेदक को आवेदित सदस्यता प्रदान की जायेगी।

9. सदस्यता की समाप्ति : निम्नलिखित में से कोई एक अथवा अनेक कारण होने पर प्रबंधकारिणी की स्वीकृति से किसी भी सदस्य की सदस्यता समाप्त कर दी जायेगी :-

9.1 सदस्य की मृत्यु होने पर।

9.2 सदस्य के पागल हो जाने पर।

9.3 सदस्य के छः माह से अधिक अवधि तक लगातार बिना किसी सूचना के लापता रहने पर।

9.4 सदस्य द्वारा समाज विरोधी तथा/अथवा संस्था विरोधी कार्य करने पर।

9.5 निर्धारित तिथि तक सदस्यता शुल्क न जमा करने पर।

9.6 सदस्य द्वारा अपने बारे में गलत सूचनायें देने पर अथवा सही सूचनायें छिपाने पर।

9.7 सदस्य द्वारा संस्था के साथ धोखाधड़ी करने पर।

9.8 सदस्य के अपराधिक तथा/अथवा अनैतिक गतिविधियों में लिप्त होने पर।

9.9 उपरोक्त उपनियम 9.1 से 9.8 तक सूचीबद्ध कारणों में से कोई कारण न होने के बावजूद यदि प्रबंधकारिणी संस्था के हित में किसी सदस्य की सदस्यता समाप्त करना अनिवार्य समझेगी तो भी उस सदस्य की सदस्यता समाप्त कर दी जायेगी। ऐसा निष्कासित सदस्य प्रबंधकारिणी के निर्णय के विरूद्ध संस्था की साधारण सभा में अपनी अपील प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र होगा।

10. साधारण सभा

10.1 गठन : संस्था के सभी श्रेणी के सभी सदस्य साधारण सभा के सदस्य होंगे।

10.2 बैठकें : साधारण सभा की सामान्य बैठक वर्ष में एक बार वार्षिक अधिवेशन के रूप में सामान्यतः फरवरी माह में हुआ करेगी। विशेष परिस्थिति में प्रबंधकारिणी की स्वीकृति से बैठक के माह में परिवर्तन भी किया जा सकेगा। सामान्य वार्षिक बैठक हेतु कम से कम 30 दिन पूर्व सूचना दी जायेगी। आवश्यकता पड़ने पर विशेष बैठक कभी भी 30 दिन की पूर्व सूचना देकर बुलाई जा सकेगी। असाधारण परिस्थिति में विशेष बैठक मात्र 15 दिन की पूर्व सूचना देकर बुलाई जा सकेगी। यही व्यवस्थायें शाखा स्तरीय साधारण सभा पर भी लागू होंगी। शाखा स्तरीय साधारण सभा की सामान्य बैठक वर्ष में एक बार सामान्यतः जनवरी माह में हुआ करेगी।

: साधारण सभा की सामान्य बैठक का कोरम उपनियम 7.1, 7.2, 7.3, 7.5.1 तथा 7.5.2 में परिभाषित कुल सदस्यों की संख्या का एक तिहाई अथवा एक सौ, जो भी कम हो, होगा। किन्तु विशेष बैठक का कोरम अनिवार्य रूप से कुल सदस्यों की संख्या का एक तिहाई होगा। साधारण सभा की बैठक में जो सदस्य किसी कारण से स्वयं व्यक्तिगत रूप से सम्मिलित न हो पा रहे हों वे प्राक्सी प्रपत्र के माध्यम से किसी अन्य वयस्क व्यक्ति को अपने स्थान पर बैठक में उपस्थित होने तथा मत

देने हेतु मनोनीत कर सकेंगे।

10.4 अधिकार एवं कर्तव्य :साधारण सभा के निम्नलिखित अधिकार एवं कर्तव्य होंगे :-

10.4.1- संस्था के सर्वोच्च अधिकार साधारण सभा में ही निहित होंगे।

10.4.2- संस्था के कार्य संचालन हेतु साधारण सभा द्वारा अपने सदस्यों में से ही केन्द्र स्तर पर एक प्रबंधकारिणी का गठन किया जायेगा। शाखाओं के कार्य संचालन हेतु प्रत्येक शाखा की साधारण सभा द्वारा शाखा अध्यक्ष तथा शाखा सचिव का चुनाव किया जायेगा। शाखा अध्यक्ष तथा शाखा सचिव प्रबंधकारिणी से निर्देश प्राप्त करेंगे। प्रबंधकारिणी को निर्देश साधारण सभा द्वारा दिये जायेंगे।

10.4.3 - संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु तथा उसकी उन्नति एवं विकास के लिए नीति निर्धारण साधारण सभा द्वारा ही किया जायेगा।

11. प्रबंधकारिणी

11.1 गठन : प्रबंधकारिणी का गठन संस्था के उपनियम 7.1, 7.2, 7.3, 7.5.1 तथा 7.5.2 में परिभाषित सदस्यों में से ही साधारण सभा के बहुमत के आधार पर होगा। प्रबंधकारिणी के सदस्य संस्था के पदाधिकारी कहलायेंगे। साधारण सभा द्वारा चुने जाने वाले पदाधिकारियों की संख्या बीस होगी। इनके पदनाम निम्नवत् होंगे-

अध्यक्ष-एक, वरिष्ठ उपाध्यक्ष- एक, उपाध्यक्ष- एक, प्रमुख महासचिव- एक, महासचिव (प्रशासन)- एक, महासचिव (कार्यान्वयन)- एक, महासचिव (एडवोकेसी)- एक, उप महासचिव- चार, कोषाध्यक्ष- एक, सह-कोषाध्यक्ष- एक, सम्प्रेक्षक- एक तथा सदस्य- छः।

उपरोक्त के अतिरिक्त संस्था की विभिन्न शाखाओं के शाखा अध्यक्ष तथा शाखा सचिव भी प्रबंधकारिणी के पदेन सदस्य होंगे।

संस्था के सभी संस्थापक सदस्य प्रबंधकारिणी के सदस्य जीवनपर्यन्त रहेंगे। वे प्रबंधकारिणी के स्थाई मार्गदर्शक सदस्य होंगे।

संस्था के कार्य संचालन हेतु आवश्यकतानुरूप अध्यक्ष द्वारा प्रमुख महासचिव तथा तीनों महासचिवों की सलाह से प्रबंधकारिणी में अधिकतम 30 सदस्यों को मनोनीत किया जायेगा। आवश्यकतानुसार कुछ सदस्यों को प्रबंधकारिणी में स्थाई आमंत्री के रूप में भी मनोनीत किया जा सकेगा। निर्वाचित सदस्यों, मनोनीत सदस्यों तथा मनोनीत स्थाई आमंत्रियों को कार्यभार एवं तदनुरूप पदनाम अध्यक्ष द्वारा प्रमुख महासचिव तथा तीनों महासचिवों की सलाह से आबंटित किये जायेंगे।

संस्था के सभी संरक्षक एवं विशिष्ट सदस्य प्रबंधकारिणी के मानद सदस्य होंगे, किन्तु यदि वे प्रबंधकारिणी के किसी पद पर निर्वाचित अथवा मनोनीत नहीं होंगे तो प्रबंधकारिणी में किसी विषय पर मतदान की स्थिति आने पर उन्हें तटस्थ रहना होगा।

संस्था के वॉलन्टियर सदस्यों में से आवश्यकतानुसार किन्हीं को भी प्रबंधकारिणी में, निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले बीस पदों को छोड़कर अन्य किन्हीं भी पदों पर, मनोनीत किया जा सकेगा। मनोनीत वॉलन्टियर सदस्य को केवल अपने पद से सम्बंधित विषय पर मतदान का अधिकार होगा।

11.2 बैठकें : प्रबंधकारिणी की सामान्य बैठकें वर्ष में कम से कम चार बार (प्रत्येक तीन माह में एक बार) अवश्य होंगी। आवश्यकतानुसार अतिरिक्त बैठकें भी महासचिव (प्रशासन) द्वारा अध्यक्ष के अनुमोदन से बुलाई जा सकेंगी। प्रबंधकारिणी के दो तिहाई निर्वाचित सदस्यों की मांग पर अथवा दो तिहाई संस्थापक सदस्यों की मांग पर विशेष बैठक कभी भी बुलाई जा सकेगी। विशेष परिस्थिति में अध्यक्ष सीधे स्वयं भी प्रबंधकारिणी की बैठक बुला सकेंगे। सामान्य परिस्थितियों में बैठक की सूचना कम से कम सात दिन पूर्व दी जायेगी। विशेष परिस्थिति में अध्यक्ष की सहमति से प्रबंधकारिणी की बैठक मात्र तीन दिन की नोटिस पर भी बुलाई जा सकेगी।

11.3 गणपूर्ति (कोरम) : प्रबंधकारिणी की बैठकों के लिए कोरम पाँच सदस्यों का होगा किन्तु प्रत्येक बैठक में निम्नलिखित पदाधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी -

(क) अध्यक्ष अथवा वरिष्ठ उपाध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष

(ख) महासचिव (प्रशासन) अथवा उनसे सम्बद्ध उपमहासचिव (ग) कोषाध्यक्ष अथवा सह-कोषाध्यक्ष

प्रतिबंध यह है कि दो तिहाई पदाधिकारियों की मांग पर बुलाई गई विशेष बैठक का कोरम अनिवार्य रूप से प्रबंधकारिणी की कुल सदस्य संख्या का दो तिहाई होगा।

11.4 रिक्त स्थानों की पूर्ति : प्रबंधकारिणी में आकस्मिक रूप से हुए रिक्त स्थान की पूर्ति शेष कार्यकाल के लिए साधारण सभा के सदस्यों में से प्रबंधकारिणी द्वारा मनोनीत करके की जायेगी।

11.5 अधिकार एवं कर्तव्य :प्रबंधकारिणी के निम्नलिखित अधिकार एवं कर्तव्य होंगे :'

11.5.1-आगामी वर्ष के लिए संस्था का वार्षिक बजट तथा विगत वर्ष का आय-व्यय लेखा (बैलेंस शीट) तैयार करके सम्प्रेक्षक से उसका सम्प्रेक्षण कराके साधारण सभा से पारित कराना।

11.5.2- संस्था के उद्येश्यों की पूर्ति हेतु तथा उसकी उन्नति एवं विकास के लिए साधारण सभा द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों के अनुरूप कार्य-संचालन करना।

11.5.3-संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति तथा उसकी उन्नति एवं विकास के लिए विचार करके प्रस्ताव बनाकर साधारण सभा के सम्मुख स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करना।

11.6 कार्यकाल : प्रबंधकारिणी के निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष होगा। विशेष परिस्थिति में प्रबंधकारिणी द्वारा यह अवधि एक वर्ष और बढ़ाई जा सकेगी। मनोनीत सदस्यों तथा स्थाई आमंत्रियों का कार्यकाल अधिकतम एक वर्ष होगा।

11.7 चुनाव : कार्यकाल समाप्त होने की तिथि से तीस दिन पूर्व से ही प्रबंधकारिणी के चुनाव की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी जायेगी। चुनाव कराने हेतु साधारण सभा के सदस्यों में से किसी सदस्य को प्रबंधकारिणी द्वारा चुनाव अधिकारी मनोनीत किया जायेगा। चुनाव अधिकारी ही चुनाव की समस्त प्रक्रिया सम्पन्न करायेगा, वही चुनाव परिणाम घोषित करेगा तथा वही नये चुने गये पदाधिकारियों को पद व गोपनीयता की शपथ दिलायेगा। स्थाई पदाधिकारियों (संस्थापक सदस्यों) को छोड़कर अन्य सभी पदाधिकारियों का चुनाव साधाण सभा द्वारा किया जायेगा। चुनाव हेतु प्रत्याशी के लिए आवश्यक होगा कि वह नामांकन प्रपत्र दाखिल करने के दिनांक तक संस्था का आजीवन सदस्य अथवा विशिष्ट सदस्य बन चुका हो अथवा संस्थागत सदस्य का प्रतिनिधि मनोनीत हो चुका हो। मतदान में साधारण सभा का वही सदस्य भाग ले सकेगा जो या तो संस्थापक सदस्य हो या चुनाव के दिन तक संस्था का आजीवन सदस्य अथवा विशिष्ट सदस्य बन चुका हो अथवा संस्थागत सदस्य का प्रतिनिधि मनोनीत हो चुका हो।

11.8 दायित्व : संस्था के द्वारा लिये जा रहे ऋण के लिए जमानत के रूप में संस्था की चल व अचल सम्पत्ति गिरवी रखी जायेगी। लिये गये ऋण को चुकाने का दायित्व सामूहिक रूप से सभी पदाधिकारियों का होगा। संस्था द्वारा कोई भी ऋण, प्रबंधकारिणी के दो तिहाई बहुमत की स्वीकृति के उपरान्त ही लिया जाएगा।

12. पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य

12.1 अध्यक्ष : समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा। प्रस्तावों पर मतदान करायेगा। प्रस्तुत प्रस्तावों का क्रम निश्चित करेगा। किसी प्रस्ताव के पक्ष तथा विपक्ष में मतों की संख्या समान होने पर निर्णायक मत देगा। संस्था के संचालन की व्यवस्था पर नजर रखेगा। नियम 11.1 में निहित प्राविधानानुसार कार्य की आवश्यकतानुरूप प्रबंधकारिणी में प्रमुख महासचिव तथा तीनों महासचिवों की सलाह से सदस्यों को मनोनीत करके उन्हें कार्यभार एवं पदनाम आबंटित करेगा। समुचित कारण होने पर किसी पदाधिकारी, अथवा पूरी प्रबंधकारिणी (स्थाई पदाधिकारियों को छोड़कर) को ही, स्थाई पदाधिकारियों की सहमति से, निलम्बित, निष्कासित अथवा भंग करेगा। पूरी प्रबंधकारिणी भंग हो जाने की दशा में स्थाई पदाधिकारियों की सहमति से कार्यवाहक प्रबंधकारिणी का गठन करेगा। प्रतिबंध यह है कि अध्यक्ष द्वारा किये गये निलम्बन, निष्कासन अथवा भंग किये जाने के आदेशों तथा कार्यवाहक प्रबंधकारिणी के गठन के आदेशों का साधारण सभा की अगली बैठक में ही अनुमोदन होना अनिवार्य होगा।

12.2 वरिष्ठ उपाध्यक्ष : अध्यक्ष की अनुपस्थिति में समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा, प्रस्तावों पर मतदान करायेगा, प्रस्तुत प्रस्तावों का क्रम निश्चित करेगा तथा किसी प्रस्ताव के पक्ष व विपक्ष में मतों की संख्या समान होने पर निर्णायक मत देगा। वह वे सभी कार्य भी करेगा जो प्रबंधकारिणी द्वारा उसे सोंपे जायेंगे। अध्यक्ष की अकाल मृत्यु होने अथवा उनके त्यागपत्र देने (एवं उसके स्वीकार होने) अथवा नियम-9 में दिये गये कारणों से उनकी सदस्यता समाप्त होने अथवा अन्य किसी कारण से अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाने पर वरि-ठ उपाध्यक्ष ही अध्यक्ष के सभी अधिकारों एवं कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।

12.3 उपाध्यक्ष : अध्यक्ष तथा वरिष्ठ उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा, प्रस्तावों पर मतदान करायेगा, प्रस्तुत प्रस्तावों का क्रम निश्चित करेगा तथा किसी प्रस्ताव के पक्ष व विपक्ष में मतों की संख्या समान होने पर निर्णायक मत देगा। वह वे सभी कार्य भी करेगा जो प्रबंधकारिणी द्वारा उसे सोंपे जायेंगे। अध्यक्ष तथा वरिष्ठ उपाध्यक्ष की अकाल मृत्यु होने अथवा उनके त्यागपत्र देने (एवं स्वीकार होने) अथवा नियम-9 में दिये गये कारणों से उनकी सदस्यता समाप्त होने अथवा अन्य किसी कारण से अध्यक्ष तथा वरिष्ठ उपाध्यक्ष के पद रिक्त हो जाने पर उपाध्यक्ष ही अध्यक्ष तथा वरिष्ठ उपाध्यक्ष के सभी अधिकारों एवं कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।

12.4 प्रमुख महासचिव : तीनों महासचिवों के कार्यों का पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण करेगा। संस्था के प्रचार-प्रसार के लिए कार्य करेगा। अन्य संस्थाओं एवं सामाजिक कार्य कर रहे व्यक्तियों के साथ सम्वाद तथा समन्वय स्थापित करेगा। अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा/अथवा प्रबंधकारिणी के निर्देश पर अथवा स्वविवेकानुसार वे सभी कार्य करेगा तथा/ अथवा कराएगा जो उसे संस्था के हित के लिए आवश्यक लगेंगे।

12.5 महासचिव (प्रशासन) : संस्था का कार्यकारी अधिकारी होगा। संस्था के अभिलेखों को सुरक्षित रखेगा। साधारण सभा तथा प्रबंधकारिणी की बैठकें आयोजित करायेगा। बैठकों की कार्यवाहियों के विवरण लेखबद्ध करायेगा। आगामी वर्ष का बजट बनाकर प्रबंधकारिणी से अनुमोदित कराकर साधारण सभा के समक्ष प्रस्तुत करेगा तथा पारित करायेगा। विगत वर्ष का आय-व्यय लेखा (बैलेंस शीट) बनाकर सम्प्रेक्षक से प्रमाणित कराकर, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट से निरीक्षित कराकर प्रबंधकारिणी से अनुमोदित कराकर साधारण सभा के सम्मुख प्रस्तुत करेगा तथा पारित करायेगा। संस्था की उन्नति एवं विकास के लिये दान, अनुदान, चन्दा, ऋण आदि प्राप्त करेगा तथा उसे संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु व्यय करेगा। संस्था की ओर से समस्त अभिलेखों, कानूनी दस्तावेजों, बैनामों, पत्राचार आदि पर हस्ताक्षर करेगा। संस्था के लिए चल व अचल सम्पत्ति का प्रबंध करेगा। संस्था के कर्मचारियों की नियुक्ति, पदोन्नति, पदावनति, निष्कासन करेगा। कर्मचारियों को सभी प्रकार के दंड तथा/अथवा पारितोषिक देने हेतु सक्षम होगा। संस्था के संचालन, उन्नति एवं विकास के लिए आवश्यक सभी कार्य करेगा। वह ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जो संस्था के उद्देश्यों के विपरीत हो अथवा साधारण सभा तथा प्रबंधकारिणी द्वारा दिये गये निर्देशों के विपरीत हो। प्रमुख महासचिव की अकाल मृत्यु हो जाने अथवा उनके त्यागपत्र देने (एवं उसके स्वीकार होने) अथवा नियम-9 में दिये गये कारणों से उनकी सदस्यता समाप्त हो जाने अथवा अन्य किसी कारण से आमुख महासचिव का पद रिक्त हो जाने पर महासचिव (प्रशासन) ही प्रमुख महासचिव के सभी अधिकारों एवं कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।

12.6 महासचिव (कार्यान्वयन) : उपनियम 12.7 के अंतर्गत महासचिव (एडवोकेसी) को सोंपे गए कार्यों को छोड़ कर संस्था द्वारा किए जाने वाले सार्वजनिक हित के शेष समस्त कार्यों का साधारण सभा तथा प्रबंधकारिणी द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुरूप कार्यान्वयन करेगा। संस्था के संचालन, उन्नति एवं विकास के लिए आवश्यक सभी कार्य करेगा। वह ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जो संस्था के उद्देश्यों के विपरीत हो अथवा साधारण सभा तथा प्रबंधकारिणी द्वारा दिये गये निर्देशों के विपरीत हो। महासचिव (प्रशासन) की अकाल मृत्यु हो जाने अथवा उनके त्यागपत्र देने (एवं उसके स्वीकार होने) अथवा नियम-9 में दिये गये कारणों से उनकी सदस्यता समाप्त हो जाने अथवा अन्य किसी कारण से महासचिव (प्रशासन) का पद रिक्त हो जाने पर महासचिव (कार्यान्वयन) ही महासचिव (प्रशासन) के सभी अधिकारों एवं कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।

12.7 महासचिव (एडवोकेसी) : बुजुर्गों की अंतर्राष्ट्रीय संस्था World University of Third Age

(WU3A), राष्ट्रीय संस्था Indian Society of Universities of Third Age (ISU3As), राष्ट्रीय संस्था All India Senior Citizens Confederation (AISCCON), प्रादेशिक संस्था वरिष्ठ नागरिक कल्याण महासमिति उत्तर प्रदेश, प्रादेशिक संस्था वरिष्ठ नागरिक महासमिति उत्तर प्रदेश एवं भावना की संस्थागत सदस्य संस्थाओं सहित अन्य सभी प्रकार की सरकारी/गैर-सरकारी समाजसेवी संस्थाओं से नियमित सम्पर्क, संवाद एवं समन्वय का समस्त कार्य करेगा। बुजुर्गों के हित के विषयों पर पहले से विद्यमान सभी अधिनियमों, नियमों तथा नीतियों को उत्तर प्रदेश में लागू कराने हेतु तथा नए वांछित अधिनियमों, नियमों तथा नीतियों को केन्द्र/प्रदेश सरकार से स्वीकृत कराकर उन्हें भी लागू कराने हेतु प्रभावी कार्यवाहियाँ करेगा तथा निरंतर करता रहेगा। प्रिन्ट तथा इलेक्ट्रॉनिक समाचार-तंत्र (Media) के साथ नियमित सम्पर्क, संवाद एवं समन्वय का समस्त कार्य करेगा। समिति की वेबसाइट को संचालित करने तथा समय समय पर अपडेट करते रहने सम्बंधी समस्त कार्य करेगा। तात्कालिक अनिवार्यता के अनुरूप वरिष्ठ नागरिकों के हित के तथा संस्था के प्रचार-प्रसार के लिए आवश्यक सभी अन्य कार्य भी करेगा। वह ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जो संस्था के उद्देश्यों के विपरीत हो अथवा साधारण सभा तथा प्रबंधकारिणी द्वारा दिये गये निर्देशों के विपरीत हो। महासचिव (कार्यान्वयन) की अकाल मृत्यु हो जाने अथवा उनके त्यागपत्र देने (एवं उसके स्वीकार होने) अथवा नियम-9 में दिये गये कारणों से उनकी सदस्यता समाप्त हो जाने अथवा अन्य किसी कारण से महासचिव (कार्यान्वयन) का पद रिक्त हो जाने पर महासचिव (एडवोकेसी) ही महासचिव (कार्यान्वयन) के सभी अधिकारों एवं कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।

12.8 <u>उपमहासचिव :</u> एक एक उप महासचिव क्रमशः आमुख महासचिव, महासचिव (प्रशासन), महासचिव (कार्यान्वयन) तथा महासचिव (एडवोकेसी) से सम्बद्ध रहेगा तथा उन्हीं के द्वारा सौंपे गये कार्य करेगा। महासचिव (एडवोकेसी) की अकाल मृत्यु हो जाने अथवा उनके त्यागपत्र देने (एवं उसके स्वीकार होने) अथवा नियम-9 में दिये गये कारणों से उनकी सदस्यता समाप्त हो जाने अथवा अन्य किसी कारण से महासचिव (एडवोकेसी) का पद रिक्त हो जाने पर उनसे सम्बद्ध उपमहासचिव ही महासचिव (एडवोकेसी) के सभी अधिकारों एवं कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।

12.9 <u>कोषाध्यक्ष :</u> महासचिव (प्रशासन) के प्रति उत्तरदायी होगा। वार्षिक बजट बनायेगा। आय-व्यय का लेखा रखेगा। वार्षिक आय-व्यय लेखा (बैलेंस शीट) बनायेगा तथा सम्प्रेक्षक से प्रमाणित एवं चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट से निरीक्षित करायेगा। प्रबंधकारिणी द्वारा अनुमोदित बैंक (बैंकों) में संस्था के नाम से खाते खुलवायेगा। वह संस्था की आय पूरी की पूरी अनिवार्य रूप से बैंक खाते में यथाशीघ्र किन्तु विलम्बतम एक सप्ताह में नियमित रूप से जमा करेगा। आय का कोई भी अंश वह व्यय हेतु रोकेगा नहीं। पाँच हजार रूपये से अधिक धनराशि का भुगतान क्रास्ड-चेक से करेगा। दस हजार रूपये से अधिक धनराशि के भुगतान एकाउन्ट पेयी चेक से करेगा। वह अधिकतम पाँच हजार रूपये बैंक से निकालकर संस्था के कैश-चेस्ट में रखेगा जिससे वह महासचिव (प्रशासन) द्वारा अनुमोदित सभी छोटी धनराशि के भुगतान नगद करेगा। रोकड़ बही (कैश बुक) प्रतिदिन नियमित रूप से लिखेगा। प्रत्येक माह के अंतिम दिन रोकड़ बही क्लोज करेगा तथा महासचिव (प्रशासन) से सत्यापित करायेगा। सभी प्रचलित लेखा-नियमों का पालन करेगा।

वह शाखा स्तर पर शाखा अध्यक्ष तथा शाखा सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से संचालित होने वाले बैंक खाते खुलवाना सुनिश्चित करेगा तथा उनका पर्यवेक्षण करेगा। प्रबंधकारिणी द्वारा समय-समय पर लिये गये निर्णयों के अनुरूप वह शाखा स्तरीय बैंक खातों से प्रधान कार्यालय हेतु निर्धारित अंश के अनुसार धनराशि प्रधान कार्यालय के बैंक खाते में ट्रान्सफर कराना सुनिश्चित करेगा। वह शाखाओं के आय-व्यय लेखे आदि समय से बनवाना सुनिश्चित करेगा तथा शाखाओं की रोकड़ बही का भी समय-समय पर पर्यवेक्षण करेगा।

12.10 <u>सह-कोषाध्यक्ष :</u> कोषाध्यक्ष के प्रति उत्तरदायी होगा तथा उनको आबंटित दायित्वों के निर्वहन में उन्हें यथावांछित सहयोग देगा। कोषाध्यक्ष की अकाल मृत्यु हो जाने अथवा उनके त्यागपत्र देने (एवं उसके स्वीकार होने) अथवा नियम-9 में दिये गये कारणों से उनकी सदस्यता समाप्त हो जाने अथवा अन्य किसी कारण से कोषाध्यक्ष का पद रिक्त हो जाने पर सह-कोषाध्यक्ष ही कोषाध्यक्ष के सभी अधिकारों एवं कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। किन्ही अपरिहार्य कारणों से कोषाध्यक्ष के एक सप्ताह से अधिक अवधि के लिए अनुपस्थित रहने पर उस अवधि में भी सह-कोषाध्यक्ष ही कोषाध्यक्ष के सभी अधिकारों एवं कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।

12.11 सम्प्रेक्षक : संस्था के वार्षिक आय-व्यय खाते (बैलेंस शीट) तथा तत्संबंधी अभिलेखों की जांच करेगा तथा उनकी सत्यता प्रमाणित करेगा। अध्यक्ष अथवा प्रबंधकारिणी अथवा साधारण सभा के आदेश पर संस्था के हिसाब-किताब की वर्ष के बीच में भी आवश्यकतानुसार जांच करेगा।

12.12 शाखा अध्यक्ष : शाखा स्तर की समान्य बैठकों की अध्यक्षता करेगा। प्रस्तावों पर मतदान करायेगा। प्रस्तुत प्रस्तावों का क्रम निश्चित करेगा। किसी प्रस्ताव के पक्ष व विपक्ष में मतों की संख्या समान होने पर निर्णायक मत देगा। शाखा के कार्य संचालन हेतु शाखा सचिव की सलाह से शाखा कार्यकारिणी का गठन करेगा जिसमें शाखा की आवश्यकतानुसार उचित संख्या में सदस्यों को मनोनीत करेगा। इन मनोनीत सदस्यों को शाखा सचिव की सलाह से कार्यभार तथा तदनुरूप पदनाम आबंटित करेगा। प्रबंधकारिणी की बैठकों में शाखा सचिव के साथ, अथवा उनकी अनुपस्थिति में अकेले ही, अपनी शाखा का प्रतिनिधित्व करेगा। संस्था की साधारण सभा तथा प्रबंधकारिणी द्वारा लिये गये निर्णयों के अनुरूप प्रमुख महासचिव, महासचिव (प्रशासन), महासचिव (कार्यान्वयन) तथा/अथवा महासचिव (एडवोकेसी) से प्राप्त निर्देशों के अनुसार शाखा के अंतर्गत कार्य संचालन सुनिश्चित करेगा। वह शाखा मुख्यालय पर अपने तथा शाखा सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से संचालित होने वाला समिति का शाखा स्तरीय बैंक खाता खुलवायेगा तथा संचालित करायेगा। शाखा स्तर पर प्राप्त समस्त प्रकार की धनराशि वह इसी बैंक खाते में जमा करवाना सुनिश्चित करायेगा। प्रबंधकारिणी द्वारा समय-समय पर लिए गए निर्णयों के अनुरूप वह इस शाखा स्तरीय बैंक खाते से प्रधान कार्यालय हेतु निर्धारित अंश के अनुसार धनराशि प्रधान कार्यालय के बैंक खाते में ट्रान्सफर कराते रहना सुनिश्चित करेगा। वह अपनी शाखा के आय-व्यय लेखे आदि समय से बनवाना सुनिश्चित करेगा तथा शाखा की रोकड़ बही का प्रत्येक माह के अंतिम दिन परीक्षण करके उस पर प्रतिहस्ताक्षर करेगा। वह सुनिश्चित करेगा कि शाखा स्तर पर देनदारियों के भुगतान हेतु वही प्रक्रिया अपनाई जाये जो नियम 12.9 के अंतर्गत कोषाध्यक्ष के लिये निर्धारित है।

12.13 शाखा सचिव : संस्था का शाखा स्तरीय कार्यकारी अधिकारी होगा। शाखा के समस्त कार्यों का साधारण सभा तथा प्रबंधकारिणी द्वारा लिये गये निर्णयों के अनुरूप प्रमुख महासचिव, महासचिव (प्रशासन), महासचिव (कार्यान्वयन) तथा/अथवा महासचिव (एडवोकेसी) से प्राप्त निर्देशों के अनुसार संचालन करेगा। शाखा स्तरीय सामान्य बैठकें आयोजित करायेगा तथा इन बैठकों में पारित प्रस्तावों को प्रबंधकारिणी के विचारार्थ महासचिव (प्रशासन) के पास भेजेगा। शाखा के कार्य संचालन हेतु शाखा अध्यक्ष से शाखा कार्यकारिणी का गठन करायेगा जिसमें शाखा की आवश्यकतानुसार उचित संख्या में सदस्यों को मनोनीत करायेगा। इन मनोनीत सदस्यों को शाखा अध्यक्ष द्वारा कार्यभार तथा तदनुरूप पदनाम आबंटित करायेगा। प्रबंधकारिणी की बैठकों में शाखा अध्यक्ष के साथ, अथवा उनकी अनुपस्थिति में अकेले ही, अपनी शाखा का प्रतिनिधित्व करेगा। शाखास्तरीय अभिलेखों को सुरक्षित रखेगा।

वह शाखा मुख्यालय पर शाखा अध्यक्ष तथा अपने संयुक्त हस्ताक्षर से संचालित होने वाला समिति का शाखा स्तरीय बैंक खाता खुलवायेगा तथा संचालित करेगा। शाखा स्तर पर प्राप्त समस्त प्रकार की धनराशि वह इसी बैंक खाते में जमा करेगा। प्रबंधकारिणी द्वारा समय-समय पर लिए गए निर्णयों के अनुरूप वह इस शाखा स्तरीय बैंक खाते से प्रधान कार्यालय हेतु निर्धारित अंश के अनुसार धनराशि प्रधान कार्यालय के बैंक खाते में ट्रांसफर करायेगा। वह अपनी शाखा के आय-व्यय लेखे आदि समय से बनाना सुनिश्चित करेगा। वह शाखा की रोकड़ बही नियमित रूप से प्रतिदिन लिखेगा तथा प्रत्येक माह के अंतिम दिन क्लोज करके शाखा अध्यक्ष से परीक्षण करायेगा तथा उस पर उनके प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त करेगा। वह शाखा का मासिक आय-व्यय लेखा बनाकर शाखा अध्यक्ष से प्रतिहस्ताक्षर कराकर नियमित रूप से प्रति माह महासचिव (प्रशासन) को भेजेगा। वह शाखा स्तर पर देनदारियों के भुगतान हेतु वही प्रक्रिया अपनायेगा जो नियम 12.9 के अंतर्गत कोषाध्यक्ष के लिए निर्धारित है। किसी भी भुगतान के लिए शाखा अध्यक्ष का अग्रिम अनुमोदन आवश्यक होगा।

वह ऐसा कोई कार्य अथवा पत्राचार नहीं करेगा जो संस्था के उद्देश्यों तथा प्रमुख महासचिव, महासचिव (प्रशासन), महासचिव(कार्यान्वयन) तथा/अथवा महासचिव (एडवोकेसी) द्वारा दिये गये निर्देशों के विपरीत हो।

13.नियमावली संशोधन

संस्था की नियमावली में संशोधन साधारण सभा में उपस्थित सदस्यों की संख्या के दो तिहाई सदस्यों की सहमति से

ही हो सकेगा।

14. संस्था का कोष : संस्था का समस्त धन प्रबंधकारिणी द्वारा अनुमोदित बैंक (बैंकों) में संस्था के नाम से खाता खोलकर उसमें सुरक्षित रखा जाएगा। समिति के प्रधान कार्यालय के बैंक खाते महासचिव (प्रशासन) तथा कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षरों से ही खोले जायेंगे तथा संचालित होंगे। शाखा स्तरीय बैंक खाते शाखा अध्यक्ष तथा शाखा सचिव के संयुक्त हस्ताक्षरों से खोले जायेंगे तथा संचालित होंगे। वार्षिक अनुमान से अधिक धनराशि यदि कोष में होगी तो उसे फिक्स्ड डिपाजिट अथवा अधिक ब्याज वाले शत-प्रतिशत सुरक्षित किसी खाते में रखा जायेगा। सभी खाते संस्था के नाम से होंगे तथा सभी खातों का संचालन एवं परिचालन प्रधान कार्यालय स्तर पर महासचिव (प्रशासन) तथा कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षरों से एवं शाखा स्तर पर शाखा अध्यक्ष तथा शाखा सचिव के संयुक्त हस्ताक्षरों से ही होगा। यदि किन्हीं अपरिहार्य कारणों से महासचिव (प्रशासन) अथवा/ तथा कोषाध्यक्ष के साथ साथ सह-कोषाध्यक्ष की भी 15 दिन से अधिक अवधि की अनुपस्थिति होने जा रही हो तो अध्यक्ष द्वारा महासचिव (प्रशासन) के स्थान पर महासचिव (कार्यान्वयन) को तथा कोषाध्यक्ष के स्थान पर किसी अन्य पदाधिकारी को प्रधान कार्यालय के बैंक खाते संचालित एवं परिचालित करने हेतु अधिकृत किया जायेगा। शाखा स्तर पर ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होने पर वैकल्पिक व्यवस्था महासचिव (प्रशासन) द्वारा अध्यक्ष की सहमति से की जायेगी।

15. अदालती कार्यवाही : संस्था की ओर से अथवा संस्था के विरूद्ध सभी मुकदमों की कार्यवाही महासचिव (प्रशासन) के पदनाम से ही होगी।

16.अभिलेखों का रखरखाव : संस्था के आय-व्यय एवं लेखा संबंधी सभी अभिलेखों के रखरखाव का दायित्व कोषाध्यक्ष का होगा। शेष सभी अभिलेखों के रखरखाव का दायित्व महासचिव (प्रशासन) का होगा।

17. पत्राचार का माध्यम : सभी आकार की बैठकों की सूचनायें, बैठकों के कार्यवृत्त तथा अन्य विवरण सदस्यों को सामान्यतः इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से ही प्रेषित किये जायेंगे। किसी सदस्य द्वारा माँगे जाने पर उसे माँगी गई जानकारी की कागजी प्रतिलिपि भी अवश्य ही उपलब्ध कराई जाएगी।

18. लेखा वर्ष : संस्था का लेखा वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च होगा।

19. विघटन : यदि किन्हीं अपरिहार्य परिस्थितियों में संस्था का विघटन होगा तो विघटन एवं विघटित सम्पत्ति का निस्तारण सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 13 तथा 14 के अंतर्गत किया जायेगा।

Resolutions passed in BHAVANA's 18th Annual Convention on 23rd February, 2018

1. Considering that the number of senior citizens (age 60+) in the country is increasing fast that will grow to 32.6 crores in 2025 and that 2/3rd of the country's elderly population is financially weak and 11% very old(age 80+) who need economic and healthcare support, and that the interests of present 10 crore senior citizens population in the country need to be looked after better both at the Centre and the States, the Convention requests the **Honorable Prime Minister of India** to create **an exclusive Ministry for Senior Citizens and to appoint a National Commission on Older Persons**. Similar organizational structure should be replicated at the state level too.

2. Noting that one of the important reasons for State governments not implementing the welfare schemes meant for senior citizens is the absence of a clear cut communication channel between the governments [both Central and State] and the beneficiaries, and considering the inability to fully mobilize senior citizens particularly at the grass root level and thus build effective pressure groups which is a healthy requirement in a democratic environment, and considering that very often many politicians, bureaucrats and even senior citizens themselves are not fully aware of the policies and programmes for their welfare due

to their inadequate dissemination, and considering that BHAVANA is the largest and most vibrant registered representative organization of senior citizens in Uttar Pradesh, and have been in the forefront of representing the important problems of senior citizens in U.P., and considering that it has held regular annual conventions during the last eighteen years in Lucknow, the capital of U.P. to create awareness among senior citizens, the Convention requests the **Honorable Minister for Social Welfare, U.P.to recognize BHAVANA as the State Level Association of Older Persons** as recommended in para 96 of NPOP 1999 and para 4.4 of **U.P. State Policy of Senior Citizens** to mobilize senior citizens, articulate their interests, promote and undertake programmes and activities for their well being and to advise the state government on all matters relating to senior citizens.

3. Considering that Senior Citizens are prone to many health problems and their financial resources are on the decline day by day due to inflation, the Convention resolves that both state and central governments should be urged to provide Health Insurance to all senior citizens as mandated in NPOP adopted by government of India in 1999 and U.P. State Policy of Senior Citizens.

a) Any **Health Insurance Scheme** that may be implemented must conform to minimum requirements given below:

- Premium must be very modest and should not go on increasing with age.
- There should be no entry [at least for the first 3 to 5 years] or exit restrictions.
- There should be no restriction for pre-existing diseases.
- This should be fully subsidized for BPL and on graded premium sharing basis to APL senior citizens.
- There should be no restriction of family size.
- Coverage should be a reasonable amount say `ten lakhs on a floater basis.

Aarogyasri of Andhra Pradesh meets all the requirements mentioned above and this scheme should be replicated in all states.

a) To urge GOI to come up with a comprehensive scheme to take care of senior citizens belonging to BPL category suffering from terminal illnesses like: Alzheimer's disease, Cancer etc by providing palliative care, reservation of beds, home care financing etc.

b) To implement National Program of Healthcare for the Elderly (NPHCE) fully in letter and spirit and in all districts of the Country.

Considering that senior citizens are physically weak and financially not sound due to high costs of inflation, the Convention requests Honorable **Minister for Railways** to:

- Allow 50% concession in TOTAL train fare to male senior citizens also as has been already done in the case of women senior citizens.
- Extend the Concession for Tickets bought under Tatkal Quota also.
- Consider Very Old Persons (age 80+) as disabled and therefore allow the facility of one accompanying free assistant/attendant.
- Provide, in suburban trains, special compartments for senior citizens (similar to ladies, disabled etc).
- Provide at all major railway stations amenities like lifts, elevators, ramps, porters, wheel chairs etc.
- Provide for separate Qs with seating arrangements for senior citizens while booking tickets at railway tickets booking windows.

- Railway Reservation charges while booking tickets must be removed for senior citizens.
- Under-passes should be built at all railway stations having two or more platforms. At Lucknow(NR) station, the already existing under-pass should be extended to platforms nos. 6 & 7 also.

5. Considering that senior citizens are physically weak and financially not sound due to high costs of inflation, the Convention requests Honorable **Minister for Road Transport, U.P.** to:

- Allow 50% concession in TOTAL bus fare to senior citizens (age 60+).
- Consider Very Old Persons (age 80+) as disabled and therefore allow the facility of one accompanying free assistant/attendant.
- All seats in buses should be treated as reserved for senior citizens. Bus conductors and drivers must get seats vacated to get senior citizens properly seated.

6. Considering the inflationary pressure faced by the senior citizens, high cost of medicines forming a major part of health expenditure, this Convention unanimously resolves and requests the **Union Minister for Chemicals and Fertilizers** to promote the availability of low cost **generic medicine**s of essential drugs by

- Promoting Generic medicines outlets in all States.
- Insisting on doctors prescribing generic medicines only where-ever available.
- Insisting on printing reasonable/affordable MRP on generic medicine packages.
- Implement "free medicines distribution through government hospitals" scheme recently announced by the GOI, fully in letter and spirit throughout India.
- Bring all the drugs identified as the essential drugs under the price control regime.

7. Considering that most senior citizens up to the age of 75 remain healthy and active, their experience and knowledge are assets to the society, this Convention resolves and requests the **Ministry of HRD and Ministry of Labour**to consider raising the retirement age of government employees to 65 years.

8. Considering that, even after eight years of enactment by the parliament, many state governments are yet to notify (accept), the **Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act 2007** or to fully operationalize the Act, by framing Rules under the Act, Setting up Tribunals, Announcing Maintenance officers etc., this Convention resolves and requests the **Ministry of Social Justice and Empowerment** to vigorously **pursue all state governments to fully implement the Act**in all respects expeditiously and give the provisions in the Act adequate publicity both in print and electronic media.

9. Considering that financial resources of senior citizens keep depleting day by day on account of inflation and that their major sources of income are only pensions or lifelong savings during low costeconomy years, the Convention resolves to urge the **Ministry of Finance** to make the following changes in **Direct Taxes Code**:

a) Income Tax Exemption for Senior Citizens should be at leastRs 5.00 Lakhs for the age group of 60 to 80 years and complete tax exemption for 80+.

b) Senior Citizens should be fully exempted from the purview of **Tax Deduction at Source** for interest Income on Deposits.

c) Persons who take care of senior citizens should be given concession in Income Tax.

10. Considering that a large number of senior citizen retirees are pensioners from central/state governments and from PSUs and that there are a number of perennial

unsolved issues relating to their pensions and post retirement benefits, this Convention resolves to request **the Ministry of HRD, Ministry of Finance, Ministry of Defence and Ministry of Labour and Employment and other relevant ministries to seek remedial measures as follows:**

(a) In line with **Universal PensionPrinciple** promoted by Aruna Roy and others, grant **Minimum Universal Pension of Rs5000/-** or 50% of minimum wage (whichever is more) per month per person, to all 60+ senior citizens in both unorganized & organized sectors with the provision of automatic revision of the quantum corresponding to minimum wage & inflation.

(b) **Removal of disparities**:

- Remove disparities in revision of pension within the homogeneous groups of pre 2006.
- Remove, among defence pensioners, disparities between uniformed sector and civilian sector.

(c) Restore **Commuted Portion of Pension** of all Central/State/PSU pensioners in 12 years as was recommended by 5th CPC instead of present 15years.

(d) Additional old age pension to all superannuated Central/State/PSUpensioners should start from the age of 65years @ 5% of the basic pension with provision of enhancement by 5% every 5years.

11. Noting that the working Group on Social Welfare has made extensive recommendations to the then **Planning Commission** with specific reference to senior citizens welfare for 12th Five Year Plan including clear budget proposals for Old Age Homes, RSBY, Old Age Pension, National Institute of Ageing, Helplines, National Council of Senior Citizens, separate department for senior citizens etc and appreciating the efforts done by the working group regarding senior citizens welfare for the first time, this Convention resolves to request the **NITI Aayog NOT TO DILUTE the recommendations of the Working group** in any way but to push the agenda forcefully with concerned ministries for complete implementation of all recommendations.

12 Observing that there are large sums of money lying idle as Unutilized Funds/Unclaimed amounts with Institutions like Nationalized Banks, dividends on Stocks, Income Tax refunds, EPF, LIC, PPF, Post Office Savings Accounts, etc, which are mostly out of investments belonging to senior citizens, and the total amount of this accumulation is estimated to be over ` 22000 crores, this Convention resolves to urge the **Ministry of Finance** to utilize this amount as corpusfor setting up a **Senior Citizens Welfare Fund** and that this Fund augmented periodically by levying a surcharge/welfare tax on the creamier layers of the society.

13. Considering that majority of senior citizens suffer progressively on account of inflation, this Convention resolves to request Reserve Bank of India to introduce "Inflation Indexed Bonds" @ 12% to mitigate the sufferings of elderly community against inflationary pressures.

This Convention also resolves to urge **Ministry of Finance** and **Ministry of Social Justice & Empowerment** to cover all projects related to welfare of senior citizens for funding by big corporate houses under the head **"Corporate Social Responsibility"**.

J.B. Agarwal
General Secretary(Admn.)

भावना का अठारहवाँ वार्षिक महाधिवेशन सोल्लास सम्पन्न

उत्तर प्रदेश में माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 एवं उत्तर प्रदेश माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण तथा कल्याण नियमावली 2014 तथा उत्तर प्रदेश राज्य वरिष्ठ नागरिक नीति के प्राविधानों को येन केन प्रकारेण यथाशीघ्र पूर्णतः लागू कराना भारतीय वरिष्ठ नागरिक समिति (भावना) के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता का कार्य होगा। यह घोषणा 23 फरवरी, 2018 को राय उमानाथ बली प्रेक्षागृह में सम्पन्न हुए भावना के अठारहवें वार्षिक महाधिवेशन में सर्वसम्मति से की गई। इस अवसर पर भावना-सदस्यों के साथ-साथ वरिष्ठ नागरिकों की तथा उनका हित-चिन्तन करने वाली कई अन्य संस्थाओं के पदाधिकारी भी उपस्थित थे।

बैठक में इन ज्वलंत तथ्यों पर विचार किया गया कि वर्तमान समय में वरिष्ठ नागरिकों की संख्या देश में कुल आबादी की 10 प्रतिशत है जो वर्ष 2050 तक बढ़कर 22 प्रतिशत हो जाएगी, अर्थात प्रत्येक चार में एक व्यक्ति वरिष्ठ नागरिक होगा। 73 प्रतिशत वरिष्ठ नागरिक निरक्षर हैं तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। 70 प्रतिशत वरिष्ठ नागरिक ग्रामों में रहते हैं। 66 प्रतिशत इतने गरीब हैं कि उन्हें दो वक्त की रोटी भी नसीब नहीं है। अनपढ़ होने के कारण उन्हें जीविकोपार्जन हेतु शारीरिक श्रम पर ही निर्भर होना पड़ता है। इतना भयावह परिदृश्य होने के बावजूद उत्तर प्रदेश सरकार तथा केन्द्र सरकार भी वरिष्ठ नागरिकों की समस्याओं के प्रति अब तक पूर्णतः उदासीन रही है। विचारोपरांत बैठक में वरिष्ठ नागरिकों के हित के 14 प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किए गए तथा निर्णय लिया गया कि आने वाले दिना में भावना द्वारा इन के अनुरूप ही यथा वान्छित कार्यवाही की जाएगी। भावना द्वारा वरिष्ठ नागरिकों की तथा उनका हित-चिन्तन करने वाली अन्य संस्थाओं के सहयोग से प्रदेश के हर नगर एवं ग्राम में बिना जाति, धर्म, वर्ण, लिंग अथवा आर्थिक स्थिति का भेद किए सभी वरिष्ठ नागरिकों को जागरूक करने के प्रयास किए जायेंगे ताकि वे उन सुविधाओं से वंचित न रहें जो शासन से उन्हें पहले से ही अनुमन्य हैं तथा उन सुविधाओं की वे साधिकार माँग कर सकें जो उन्हें मिलनी चाहिए।

भावना द्वारा निर्बल एवं असहाय जनों के हित में चलाए जा रहे विभिन्न सेवा प्रकल्प यथावत जारी रखने का निर्णय भी इस बैठक में लिया गया। तदनुसार समिति द्वारा प्रायोजित एवं वित्त-पोषित शिक्षा सहायता योजना का लाभ आगामी शिक्षा-सत्र में भी कक्षा 8 तथा नीचे की कक्षाओं में पढ़ रहे कम से कम 100 गरीब मेधावी बच्चों को 1200 रुपए की दर से उपलब्ध कराया जाएगा। वर्तमान सत्र में भावना से सहयोग प्राप्त जो बच्चे कक्षा 8 तथा 9 की परीक्षा में कम से कम 60 प्रतिशत अंकों से उत्तीर्ण होंगे उन्हें क्रमशः कक्षा 9 तथा 10 में पढ़ने के लिए 1800 रुपए की दर से सहयोग दिया जाएगा। इसी प्रकार वर्तमान सत्र में भावना से सहयोग प्राप्त जो बच्चे कक्षा 10 व 11 की परीक्षा में कम से कम 60 प्रतिशत अंकों से उत्तीर्ण होंगे उन्हें क्रमशः कक्षा 11 तथा 12 में पढ़ने के लिए 2000 रुपए की दर से सहयोग दिया जाएगा। शहरी तथा ग्रामीण गरीब एवं विकलांगजनों के हित की सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों को दिलाने हेतु भावना उनके तथा शासनतंत्र के बीच सकारात्मक कड़ी का काम करेगी। आगामी शीत ऋतु में लखनऊ जनपद तथा निकटवर्ती अन्य जनपदों के नगरीय तथा ग्रामीण इलाका में भिन्न-भिन्न स्थानों परनिर्धन-जन सेवा शिविर आयोजित करके कम से कम 800पूर्व-चिन्हित निर्धन परिवारों को प्रति परिवार एक एक नया ऊनी कम्बल प्रदान किया जाएगा तथा कम से कम 2000 निर्धन पुरुषों-महिलाओं-बच्चों को पहनने-ओढ़ने-बिछाने के ऊनी-सूती कपड़े, बर्तन आदि दिए जायेंगे।

अधिवेशन के उद्घाटन सत्र मेंभावना के वयोवृद्ध सदस्यों, माननीय श्री कोमल प्रसाद वार्ष्णेय, श्री जगमोहन लाल वैश्य, श्री लवकुश नारायण सेठ, श्रीमती कुसुम सेठ, श्री शिव प्रसाद अग्रवाल, श्रीपाल आवीण तथा श्री राधे श्याम गुप्ता का माल्यार्पण करके एवं अंगवस्त्र पहनाकर उनका सार्वजनिक अभिनन्दन किया गया।

अधिवेशन में विशिष्ट अतिथि के रूप उपस्थित मनीषा मंदिर की वयोवृद्ध संस्थापक अध्यक्ष डॉ. सरोजिनी अग्रवाल का भी पुष्प-गुच्छ देकर एवं अंगवस्त्र पहना कर उनका सार्वजनिक अभिनन्दन किया गया।

कार्यक्रम में भावना की प्रबंधकारिणी के निम्नलिखित सदस्यों को स्मृति-चिन्ह/प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया क्योंकि उनके कार्य विगत सत्र में अतिउत्तम तथा सर्वोत्तम पाए गए थेः

- श्री जगत बिहारी अग्रवाल, महासचिव (प्रशासन) का कार्य सर्वोत्तम पाया गया।
- श्री अनिल कुमार शर्मा, अध्यक्ष, एन.सी.आर. शाखा का कार्य सर्वोत्तम पाया गया।
- श्री अनिल कुमार शर्मा, अध्यक्ष, एन.सी.आर. शाखाकाकार्य नए सदस्य बनाने में सर्वोत्तम पाया गया।
- श्री देवेन्द्र स्वरूप शुक्ल, उपमहासचिव (कार्यान्वयन) का कार्य अतिउत्तम पाया गया।
- श्री जगमोहन लाल वैश्य, विशिष्ट सदस्य एवं अध्यक्ष, विद्युत पेंशनर्स परिषद का कार्य अतिउत्तम पाया गया।
- श्री विशाल सिंह, सचिव, विजयश्री फ़ाउन्डेशन, का कार्य प्रसादम् सेवा प्रकल्प में अतिउत्तम पाया गया।
- श्री राजेन्द्र कुमार चुघ, सचिव, प्रसादम् सेवा प्रकोष्ठ तथा सदस्य, सहयोग एवं सेवा प्रकोष्ठ, का कार्य अतिउत्तम पाया गया।
- श्री ओम प्रकाश पाठक, सदस्य, सहयोग एवं सेवा प्रकोष्ठ, का कार्य अतिउत्तम पाया गया।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, बिट्स पिलानी के पूर्व कुलपति लक्ष्मी कान्त माहेश्वरी ने अपने सम्बोधन में कहा कि उन्हें यह देख कर प्रसन्नता हो रही है कि भावना अपने सदस्यों के माध्यम से समाजसेवा कर रही है। इससे उनका मन संतुष्ट एवं प्रफुल्लित होता होगा तथा निराशावादी विचार उनके पास आ भी नहीं पाते होंगे। उन्होंने भावना के उद्येश्यों एवं कार्यक्रमों की सराहना करते हुए कहा कि भावना इसी विचार धारा पर कार्य कर रही है और कदाचित इसीलिए इस संस्था से जुड़े बुजुर्गों में इतना उत्साह तथा इतनी ताजगी देखने को मिल रही है। उन्होंने कहा कि भावना के सदस्य दूसरों की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझकर काम करते हैं और इसीलिए इनके अंदर इतना अधिक सेवाभाव है। उन्होंने भावना का विशिष्ट सदस्य बनने की इच्छा भी व्यक्त की।

सभा को डॉ. सरोजिनी अग्रवाल, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निवर्तमान न्यायाधीश न्यायमूर्ति करण लाल शर्मा, वरिष्ठ नागरिक महासमिति उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष श्री श्यामपाल सिंह, हेल्पेज इंडिया के निदेशक श्री अशोक कुमार सिंह तथा भावना के उन सभी वयोवृद्ध सदस्यों ने भी सम्बोधित किया जिनका सार्वजनिक अभिनन्दन किया गया।

इससे पूर्व अतिथियों का स्वागत करते हुए भावना के अध्यक्ष, श्री विनोद कुमार शुक्ल ने भारत में वर्तमान समय में हो रही वरिष्ठ नागरिकों की दुर्दशा पर संक्षेप में प्रकाश डालते हुए कहा कि भावना-आन्दोलन उनकी दशा सुधारने की दिशा में एक विनम्र किन्तु सुदृढ़ प्रयास है। वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री सुशील शंकर सक्सेना ने भावना द्वारा गत एक वर्ष में किए गए जनहितकारी कार्यों का संक्षिप्त ब्यौरा प्रस्तुत किया तथा भविष्य की योजनायें बताईं। कार्यक्रम का संचालन साहित्य-भूषण श्री देवकी नन्दन 'शान्त' द्वारा अत्यंत कुशलतापूर्वक किया गया।

जगत बिहारी अग्रवाल
महासचिव (प्रशासन)

माँग

'तेरी मांग सितारों से भर दूँ', ऐसा कहने वाले आशिकों को यह नही पता होता है कि वह जिस मांग को सितारों की बजाय केवल चुटकी भर सिंदूर से भरने जा रहा है उसे वह मांग भरने की सजा जीवन भर बीवी की मांगें पूरी करते हुए ही भुगतना है। बीबी चाहे बुढापे में मांग भरना छोड़ दे लेकिन मांग करना नहीं छोड़ती। पति चाहे मांग-मांग कर ही उसकी मांग पूरी करता रहे, चाहे वह मंगता बने या भिखारी लेकिन अपने दिल की सारी मांगों को बलि चढ़ाते हुए उसे बीवी की मांग पूरी करनी ही पड़ती है वरना कैकैयी और कोप भवन, बीवी को हमेशा याद रहते हैं।

जिस मांग ने दिल को मांग लिया, उस मांग को पूरी करना है।
सिन्दूर मांग में भरा था क्यों, नित्य उसको सजा भुगतना है।।

बेगम : मिल जाती है जिसको बेगम। हो जाता है फिर वो, बे-गम।। - अमरनाथ

Bhartiya Varistha Nagrik Samiti

507, Kasmanda Apartments, 2, Park Road, Lucknow

Balance Sheet as at 31st March 2017

Liabilities	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Assets	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)
Capital Fund :					
Opening Fund		814253.28	**Fixed Assets -**		6489.00
Add : Life Membership Fees Received during the year	632940.78		As per annexure "A" enclosed	6489.00	
Add : Life Time Patrika Fee	71550.00		**Current Assets -**		2570280.38
Total	23000.00		Cash in Hand	14751.85	
Add : Excess of Income over Exp.	727490.78		Balance with Schd. Banks	2538515.03	
	86762.50		In Fixed Deposit	349646.00	
	814253.28		In Saving Banks	2188869.03	
Bhawna Old Age Building Fund			Other Current Assets	18714.00	
Building Fund		320000.00	Tax Deducted at Source	17417.00	
	320000.00		L.R.Garg	1297.00	
Loans Liabilities -		2746751.00	**Loans & Advances -**		1370000.00
Loan taken from Anil Kumar Sharma	2746751.00		Yamuna Express Way	1370000.00	
Current Liabilities -		85745.00			
Corpus for Eye & Health Camp for Obra	72435.00				
Amount payable to Anil Kumar Sharma	13310.00				
Total		3345749.39	Total		3945749.38

(Prem Shanker Gautam)
Treasurer

(Jugul Behari Agarwal)
General Secretary

As per our report of even date attached
For Rajeev Chandra Mohan & Associates
Chartered Accountants

(CA. R.K.Srivastava)
Proprietor

Place : Lucknow
Dated : 27-10-2017

Bhartiya Varistha Nagrik Samiti

507, Kasmanda Apartments, 2, Park Road, Lucknow

Income & Expenditure A/c for the year ending 31st March 2017

Expenditure	Amount	Income	Amount (Rs.)
To Education Assistance Expenses (Amount donated to School's for Poor Children's education)	161060.00	By Donations	682800.00
		By Registration Fee	21000.00
		By Interest Received	75522.60
To Dazidra Narain Sewa Exp. (Blanket etc. distributed to Poor People)	132650.00	By Distinguished Membership Fee	173500.00
		By Memb. Fee for Astha & Awadh Hospital	15100.00
To Annual Seminar Exp	56676.00	By Anaupcharik Shiksha	81724.00
To Salary & Wages	68200.00	By Prasadam Sewa	64801.02
To Foundation Day Expenses	63138.00		
To Printing & Stationery	8339.00		
To Publication Charges of Magazine	67165.00		
To Computer Expenses	30210.00		
To Office Expenses	29107.00		
To Postage, Courier & Fax Charges	13249.00		
To Audit Fee	11500.00		
To Expenses on Anaupcharik Shiksha	76353.00		
To Interest on OLD age Home Loan	12751.00		
To Membership for Astha & Awadh Hosp.	19009.00		
To Typing & Photocopy Charges	15570.00		
To Membership Fee	10603.82		
To Prasadam Sewa	56501.00		
To Training Programme	11500.00		
To Festival Seminar & Meeting Expenses	23765.00		
To Legal Fees	23700.00		
To Depreciation on Assets			
- On Furniture & Fittings	568.00		
- On Medical Instrument for Hosp	51.00		
To Excess of Income Over Expenditure	96797.[illegible]		
Total	1044247.60	Total	1044247.60

(Prem Shanker Gautam)
Treasurer

(Jagat Behari Agarwal)
General Secretary

(B. K. Goel)

As per our report of even date attached
For Kuldeep Chandra Mohan & Associates
Chartered Accountants

(CA. K.K. Srivastava)
Proprietor

Place : Lucknow
Dated : 27-10-2017

Bhartiya Varistha Nagrik Samiti

507, Kasmanda Apartments, 2, Park Road, Lucknow

Receipt & Payment A/c for the year ending 31st March 2017

Receipts	Amount (Rs.)	Payments	Amount (Rs.)
To Opening Balances		By Education Assisstance Expenses	193000.00
- Cash in Hand	6374.35	By Daridra Narain Sewa Exp	132650.00
- Cash in Abscon	1614.00	By Salary & Wages	68200.00
- Cash in Hand (At Obra)	7295.00	By Annual Seminar (AGM) Exp.	58670.00
- Fixed Deposit Axis Bank	355349.00	By Foundation Day Expenses	63138.00
- ICICI NCR	155637.00	By Publication Charges of Magazine	67165.00
- Balance with B.O.B., Obra	29289.00	By Printing & Stationery	8339.00
- Fixed Deposit with BOB at Obra	109094.00	BY Festival/Seminar & Meeting Exp.	20765.00
- Axis Bank	8763.13	By Interest on Home Loan	46751.00
- HDFC Bank	6535.30	By Computer Expenses	30210.00
		By Memb. Fee for Astha & Awadh Hosp.	18300.00
To Life Membership Fee	71500.00	By Typing & Photocopy Charges	15570.00
To Life Time Patrika Fee	23000.00	By Postage, Courier & Fax Charges	13280.00
To Bhawna Old Age Home Building fund	3000000.00	By Audit Fee	11500.00
To Distinguished Membership Fee	173500.00	By Membership Fee	1000.00
To Donations	582800.00	By Legal Fees	23798.00
To Interest Received	75522.60	By Prasadam Sewa	59501.00
To Memb. Fee for Astha & Awadh Hosp	15100.00	By Office Expenses	29107.00
To Registration Fee	21000.00	By Anoopcharik Shiksha	76783.00
To Prasadam Sewa	94601.00	By Training Expenses	11500.00
To Anoopcharik Shiksha	81724.00	By Advance for Land to Yamuna Express W	1370000.00
To Loan for Old age Home	2746751.00	By Tax Deducted at Source	12389.00
To Anil Kumar Sharma	12310.00		
		By Closing Balances	
		- Cash in Hand	7438.35
		- Cash in Hand (At Obra)	7295.00
		- Fixed Deposit Axis Bank	237568.00
		- ICICI NCR	2549736.00
		- Balance with B.O.B., Obra	30282.00
		- Fixed Deposit with BOB at Obra	117278.00
		- Axis Bank	106251.03
Total	4880779.38	Total	4880779.38

(Prem Shanker Gautam)
Treasurer

(Jagat Bihari Agarwal)
General Secretary

(M K Goel)
Auditor
Bhawna

As per our report of even date attached
For Ruddeep Chandra Mohan & Associates
Chartered Accountants

(CA. K.K.Srivastava)
Proprietor

Place : Lucknow
Dated : 27-10-2017

Bhartiya Varistha Nagrik Samiti

507, Kasmanda Apartments, 2, Park Road, Lucknow

Depreciation Chart for the Financial Year 2016-2017

Sl. No.	Name of Fixed Assets	Rate of Dep. %	W.D.V. as on 01.04.2016 (Rs.)	Addition During the year 01.04.16 to 30.09.2016 (Rs.)	Addition During the year 01.10.16 to 31.03.2017 (Rs.)	Deletions / Sales during the year (Rs.)	Total as on 31.03.2017 (Rs.)	Cumulative Dep. up to 01.04.2016 (Rs.)	Depreciation for the F.Y. 2016-17 (Rs.)	Cumulative Dep. up to 31.03.2017 (Rs.)	W.D.V. as on 31.03.2017 (Rs.)
1.	Furniture & Fittings	10	5904.00	0.00	0.00	0.00	5904.00	2405.00	590.00	2995.00	5314.00
2.	Medical Instrument	15	206.00	0.00	0.00	0.00	206.00	1785.00	31.00	1816.00	175.00
	Total		6110.00	0.00	0.00	0.00	6110.00	4190.00	621.00	4811.00	5489.00

(Prem Shanker Gautam)
Treasurer

(Jagat Behari Agarwal)
General Secretary

(M.K. Goel)
Auditor
Bhavana

भावना का अठारहवाँ वार्षिक महाधिवेशन

23 फरवरी, 2018

दैनिक जागरण, लखनऊ 24–02–2018

भावना खोलेगी ओल्ड एज होम की श्रृंखला

जागरण संवाददाता, लखनऊ : घर से बेघर होने वाले बुजुर्गों को सहारा देने के लिए भारतीय वरिष्ठ नागरिक समिति (भावना) ओल्ड एज होम की श्रृंखला खोलेगी। पहला अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस वृद्धाश्रम यमुना एक्सप्रेस वे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (येडा) की टाउनशिप में खुलेगा। शुक्रवार को भावना ने अपने 18वें वार्षिक महाधिवेशन में इसकी घोषणा की।

कैसरबाग स्थित राय उमानाथ बली प्रेक्षागृह में आयोजित महाधिवेशन का आगाज मुख्य अतिथि बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के पूर्व वीसी लक्ष्मीकांत माहेश्वरी ने दीप प्रज्ज्वलन कर किया। उन्होंने बुजुर्गों के लिए कार्य करने वाली संस्था भावना के पदाधिकारियों को बधाई दी। साथ ही भावना के सदस्य बनने की इच्छा जाहिर की। पूर्व न्यायमूर्ति कमल शर्मा ने एनसीआर में वृद्धाश्रम बनाने पर बधाई दी। कहा कि भावना वरिष्ठजनों का सहारा बन चुका है। उन्होंने अन्य लोगों से भी समिति में योगदान देने की अपील की। मनीषा मंदिर की संस्थापक अध्यक्ष डॉ. सरोजनी अग्रवाल ने कहा कि उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए गरीब बच्चियों को छात्रवृत्ति दी जाएगी।

महाधिवेशन

- भारतीय वरिष्ठ नागरिक समिति के 18वें वार्षिक महाधिवेशन में की गई घोषणा
- येडा की टाउनशिप में खुलेगा पहला अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस वृद्ध आश्रम

उन्होंने कहा कि मनीषा मंदिर ने फैसला किया है कि इंटर या समकक्ष में 80 फीसद से अधिक अंक हासिल करने वाली गरीब बच्चियों को उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति दी जाएगी। हेल्पेज इंडिया संस्था के निदेशक एके सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश देश का पहला प्रदेश होगा जहां हर जिले में वृद्धाश्रम होंगे। प्रदेश के 75 जिलों में भरण-पोषण अधिनियम के तहत संचालित हैं, जो किसी अन्य प्रदेश में नहीं है। वरिष्ठ नागरिक समिति का गठन भी सदस्यों के एकाकीपन का जवाब है। यह गौरव की बात है कि राज्य नीति में भावना का उल्लेख है। उन्होंने कहा कि परिवहन विभाग द्वारा वरिष्ठजनों को रोडवेज बसों के किराए में छूट के साथ 80 वर्ष आयु से अधिक के साथ एक सहयोगी को किराया में लाभ देने का आश्वासन दिया गया है, जो जल्द ही लागू हो जाएगा। महाधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे भावना के अध्यक्ष वीएन शुक्ला ने समिति की वार्षिक रिपोर्ट पेश की। महाधिवेशन के दूसरे सत्र में भावना के पदाधिकारियों ने अपनी योजनाओं पर विस्तार से विचार-विमर्श किया।

सम्मानित हुईं विभूतियां

महाधिवेशन में सात अपने अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली विभूतियों को सम्मानित किया गया। इसमें विजयश्री फाउंडेशन के संचित विशाल सिंह को किंग जार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में गरीब मरीजों के तीमारदारों को निशुल्क भोजन वितरण करने के लिए प्रसादम सेवा शुरू करने के लिए अति उत्तम व भगीरथ सम्मान से नवाजा गया। साथ ही उनको एक लाख रुपये का चेक भी भेंट किया गया। इसके अलावा जगत बिहारी अग्रवाल, देवेंद्र स्वरूप शुक्ल, अनिल शर्मा, राजेंद्र कुमार गुप्त, जग मोहन लाल वैश्य व ओम प्रकाश पाठक को सम्मानित किया गया।

राष्ट्रीय सहारा, लखनऊ 24–02–2018

विशाल को भागीरथी सम्मान

लखनऊ। भारतीय वरिष्ठ नागरिक समिति का 18वां अधिवेशन कैसरबाग स्थित राय उमानाथ बली प्रेक्षागृह में आयोजित किया गया। महाधिवेशन की अध्यक्षता विनोद कुमार शुक्ल ने की। विजयश्री फाउंडेशन (प्रसादम सेवा) के प्रबंधक विशाल सिंह को उनके द्वारा विभिन्न अस्पतालों में चलाये जा रहे सेवा कार्यों को सराहते हुए 'भागीरथी सम्मान से सम्मानित किया गया तथा प्रशस्ति पत्र एवं स्मृति चिन्ह व एक लाख रुपये का पुरस्कार चेक द्वारा प्रदान किया गया। कार्यक्रम में सुशील शंकर सक्सेना वरिष्ठ उपाध्यक्ष भावना ने संस्था द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के हित लाभ एवं समाजसेवा के कार्यों का गत एक वर्ष का विवरण प्रस्तुत किया।

नवभारत टाइम्स, लखनऊ 24–02–2018

विशाल सिंह को भागीरथी सम्मान

■ एनबीटी, लखनऊ : भारतीय वरिष्ठ नागरिक समिति का 18वां अधिवेशन शुक्रवार को कैसरबाग स्थित राय उमानाथ बली ऑडिटोरियम में हुआ। इस मौके पर अस्पतालों में मरीजों को निःशुल्क खाना उपलब्ध कराने वाले विजयश्री फाउंडेशन के प्रबंधक विशाल सिंह को भागीरथी सम्मान दिया गया। साथ ही भावना संस्था की ओर से एक लाख का आर्थिक पुरस्कार दिया गया।

कार्यक्रम की अध्यक्षता भावना संस्था के अध्यक्ष विनोद कुमार शुक्ल ने की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भावना संस्था के सदस्य और विजयश्री फाउंडेशन के प्रबंधक विशाल सिंह ने सरकारी अस्पतालों में मरीजों को निःशुल्क भोजन व स्वास्थ्य शिविर लगाकर सराहनीय काम किया है। राजेंद्र कुमार, डीएस शुक्ल, अनिल कुमार शर्मा, जगमोहन लाल वैश्य, ओमप्रकाश पाठक को सम्मानित किया गया।

स्वतंत्र भारत, लखनऊ 24–02–2018

विशाल सिंह का सम्मान

संवाददाता, लखनऊ। भारतीय वरिष्ठ नागरिक समिति का १८वां अधिवेशन कैसरबाग स्थित राय उमानाथ बली प्रेक्षागृह में आयोजित किया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता भावना के अध्यक्ष श्रीविनोद कुमार शुक्ल ने की। इस कार्यक्रम में संस्था के कार्यों की समीक्षा की गयी और भावना के संस्थागत सदस्य विजयश्री फाउंडेशन प्रसादम सेवा के प्रबंधक विशाल सिंह को उनके द्वारा विभिन्न अस्पतालों में चलाये जा रहे सेवा कार्यों को सराहते हुए भागीरथी सम्मान से सम्मानित किया गया तथा प्रशस्ति पत्र एवं स्मृति चिन्ह व एक लाख रुपये का पुरस्कार चेक द्वारा प्रदान किया गया।

भावना का अठारहवाँ वार्षिक महाधिवेशन

23 फरवरी, 2018

डेली न्यूज एक्टिविस्ट,
लखनऊ
24–02–2018

भारतीय वरिष्ठ नागरिक समिति ने विशाल सिंह को दिया भागीरथी सम्मान

निष्पक्ष प्रतिदिन,
लखनऊ
24–02–2018

भारतीय वरिष्ठ नागरिक समिति ने विशाल सिंह को दिया 'भागीरथी सम्मान'

भावना का डे–केअर सेन्टर

भावना का डे–केअर सेन्टर 1/22,सेक्टर–सी, प्रियदर्शनी कालोनी, सीतापुर रोड,लखनऊ में दिनांक 15 मई, 2017 को खुल गया है समय सायं 5 से 8 बजे तक। भावना का फीजियो थेरेपी सेन्टर दिनांक 15 मई,2017 को 534/89,के.ए.–1सेक्टर–एम,अलीगंज लखनऊ में खुल गया है। इस सेन्टर को डॉ. अमित सिंह देख रहे हैं। इस सेन्टर पर भावना सदस्य 50 रुपये, अति गरीब 20 रुपये एवम अन्य सदस्य 100 रुपये प्रति सिटिंग पर फीजियो थेरेपी ले सकते हैं। सेन्टर खुलने का समय सायं 5 बजे से 9 बजे है। डॉ. अमित सिंह का मोबाइल नं. 9565998001 है। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि अधिक से अधिक संख्या में थेरेपी सेन्टर में जाकर थेरेपी का लाभ उठाएं।

गरीब, बेसहारा, लावारिस बच्चों के लिए साक्षरता अभियान

भारत एवं भारतवासियों की समग्र प्रगति के लिए देश के उन बच्चों को साक्षर एवं संस्कारित किया जाना नितांत आवश्यक है जो अत्यंत गरीब, बेसहारा और लावारिस हैं तथा जिन्हें हम"जतममज बेपसकतमद कह कर सम्बोधित करते हैं। इसलिए भावना द्वारा ऐसे बच्चों को साक्षर बनाने एवं उन्हें संस्कारित करने के उद्देश्य से झुग्गी–झोपड़ियों की बस्तियों में अनौपचारिक शिक्षण केन्द्रों की शृंखला स्थापित करने तथा संचालित करने का निर्णय लिया गया है। इस अभियान के अंतर्गत पहला शिक्षण केन्द्र लखनऊ में माह मई 2015 से प्रारम्भ किया जा चुका है। जैसे–जैसे संसाधन उपलब्ध होंगे, वैसे–वैसे इस प्रकार के और शिक्षण केन्द्र लखनऊ में तथा अन्य स्थानों पर भी प्रारम्भ किये जायेंगे। एक शिक्षण केन्द्र को स्थापित करने तथा संचालित करने हेतु वार्षिक व्यय लगभग एक लाख रुपये होने का अनुमान है। साक्षरता अभियान के अंतर्गत जो बच्चे अत्यन्त कुशाग्र बुद्धिवाले पाये जायेंगे तथा जिनमें नियमित औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने की अत्यधिक लगन दिखेगी उनके लिए भावना द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों में विधिवत शिक्षण की व्यवस्था भी यथासम्भव की जाएगी।

सुधी, सहृदय एवं संवेदनशील महानुभावों/संस्थाओं से विशेष अनुरोध

देश हित के इस महायज्ञ को यथाशक्ति अपना आर्थिक सहयोग प्रदान करें। एक शिक्षण केन्द्र में दो शिक्षक हैं। प्रत्येक का मासिक वेतन तीन हजार रुपये है। इस प्रकार शिक्षकों के वेतन की मद में ही वर्ष भर में 72,000 रुपये का व्यय होगा। वर्ष भर में अन्य विभिन्न व्यवस्थाओं पर 28,000 रुपये खर्च होने का अनुमान है। एक शिक्षण केन्द्र में अधिकतम 20 बच्चों को पंजीकृत किया जा रहा है। इस प्रकार एक बच्चे को साक्षर एवं संस्कारित करने हेतु एक वर्ष का व्यय 5000 रुपये आ रहा है।

अतः अनुरोध है कि कम से कम एक बच्चे को साक्षर एवं संस्कारित करने हेतु एक वर्ष में व्यय होने वाली धनराशि 5000 रुपये, समिति के साक्षरता अभियान कोष में दान करें ताकि आपके सहयोग से कम से कम एक गरीब, बेसहारा, लावारिस बच्चा साक्षर एवं संस्कारित हो सके। अपने अन्य सक्षम परिजनों तथा इष्ट मित्रों को भी इस पुण्य कार्य में यथा–सामर्थ्य सहयोग देने हेतु प्रेरित करें।

विनोद कुमार शुक्ल	जगत बिहारी अग्रवाल	योगेन्द्र प्रताप सिंह
अध्यक्ष	महासचिव प्रशासन	महासचिव द्धकार्यान्वयनऋ
मो.: 09335902137	मो. 09450111425	मो. 09412417108

ग्राम्यांचल एवं निर्धन-जन सेवा प्रकोष्ठ

भावना निर्धन जनसेवा प्रकोष्ठ के अन्तर्गत दिनांक 24 दिसम्बर 2017 को 83 निराश्रित, विधवा, दिव्यांग, ग़रीब ग्रामवासियों को नए कम्बल वितरित किए गए। अध्यक्ष भावना श्री विनोद कुमार शुक्ल द्वारा केंद्र व राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गयी, संविधान में दिए गए अधिकार व कर्तव्यों पर प्रकाश डाला गया व संविधान की संक्षिप्त पुस्तिका पठन पाठन हेतु वितरित की गयी। वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री सुशील शंकर सक्सेना द्वारा स्वच्छता व नशामुक्ति जीवन जीने हेतु प्रेरित किया गया। शिविर में श्री तुंगनाथ कनौजिया, श्री राम लाल गुप्ता, श्री जगत बिहारी अग्रवाल, श्री योगेन्द्र प्रताप सिंह, श्री देवेंद्र स्वरूप शुक्ला, श्री सुशील कुमार शर्मा, श्री रमेश प्रसाद जायसवाल ने हिस्सा लिया । प्रस्तुत हैं कुछ झलकियाँ

देवेंद्र स्वरूप शुक्ला, उप महासचिव व संयोजक निर्धन जन सेवा प्रकोष्ठ भावना

भावना निर्धन जन सेवा प्रकोष्ठ द्वारा वर्ष 2017-18 में आयोजित शिविर -

(1) दिनांक 24.12.2017 ग्राम सैरपुर ब्लाक चिनहट ज़िला लखनऊ 83 कम्बल वितरण

(2) दिनांक 1.01.2018 ग्राम मिर्ज़ापुर, सुमहारी ब्लाक पूरवा ज़िला उन्नाव 200 कम्बल वितरण

(3) दिनांक 6.01.2018 ग्राम कुरौली ब्लाक हसनगंज ज़िला उन्नाव 100 कम्बल वितरण

(4) दिनांक 14.01.2018 ग्राम कौडिडया बँथरा बाज़ार ब्लाक सरोजिनी नगर ज़िला लखनऊ 100 कम्बल वितरण

(5)दिनांक 15.01.2018 ग्राम नवीपनाह ब्लाक मलीहाबाद ज़िला लखनऊ 110 कम्बल वितरण

(6) दिनांक 17.01.2018 भावना अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र बिजनौर रोड 38 स्वेटर व जैकेट वितरण

(7) दिनांक 18.01.2018 चंडिका देवी मंदिर ब्लाक बी.के.टी. ज़िला लखनऊ में 100+7 = 107 कम्बल वितरण

निर्धन जनसेवा की व्यवहारिक स्थिति की एक झलक

मुझे दिनांक 24.12.2017 को प्रथम शिविर में भाग लेने का सुअवसर प्राप्त हुआ। यह शिविर ग्राम कमलाबाद के छठे मील, बी.के.टी. में सम्पन्न हुआ। यह कार्यक्रम बहुत सुनियोजित ढंग से हमारे माननीय सदस्य श्री देवेन्द्र स्वरूप शुक्ला द्वारा सम्पन्न किया गया जिनके लिए वह बधाई के पात्र हैं। मालूम करने पर ज्ञात हुआ कि जिन लाभार्थियों को मुफ्त कम्बल दिया जाता है उनका चयन एक निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है जिसमें ग्राम प्रधान से अनुशंसा भी प्राप्त की जाती है। ऐसा करने से यह सुनिश्चित हो जाता है कि यह लाभ उसी को दिया जा रहा है जो वास्तव में इसका पात्र है। कार्यक्रम लगभग 12 बजे प्रारम्भ हुआ जिसमें भावना के अध्यक्ष श्री वी.के. शुक्ल ने अपने सम्बोधन में प्रधान जी एवं सभी उपस्थित श्रोताओं का अत्यन्त महत्वपूर्ण जानकारी दी जिसमें राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार द्वारा चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गयी। इस बात पर भी बल दिया गया कि इन योजनाओं की पर्याप्त जानकारी प्रधानों को भी न मिल पाने के कारण पर्याप्त लाभ नहीं मिल पा रहा है। इन महत्वपूर्ण योजनाओं में से कुछ मुख्य योजनाओं का संक्षिप्त ब्यौरा उदाहरण स्वरूप नीचे प्रस्तुत किया जा रहा है।

1) मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना – योजनान्तर्गत जिन परिवारों की वार्षिक आय, शहरी क्षेत्र में रु. 56460 तक ग्रामीण क्षेत्र रु. 46080 तक सीमित है, ऐसे परिवारों के विवाह योग्य आयु के लड़के-लड़कियों के विवाह हेतु व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा। सरकार रु. 15000/- गृहस्थी के समान के क्रय पर व्यय करेगी तथा रु. 20000/- वर वधु के खाते में जमा किया जायेगा।

2) मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वाहित बीमा योजना – इस योजना के अन्तर्गत ऐसे किसानों, पेंशनधारकों, बी.पी.एल. कार्ड धारकों जिनकी वार्षिक आय रु. 75000/- तक सीमित है उनकी दुर्घटना से मृत्यु हो जाने पर सरकार रु. 5 लाख परिवार को देगी।

3) मेधावी छात्रा प्रोत्साहन योजना – ग्राम प्रधान की संस्तुति होने पर योग्यतांक के आधार पर चयनित 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होने पर रु. 10000/- तथा 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होने पर रु. 20000/- छात्रा को प्रोत्साहित करने के लिये दिया जायेगा। प्रत्येक श्रेणी में लाभार्थियों की संख्या 99000 निर्धारित है।

4) भाग्य लक्ष्मी योजना – रु. 2 लाख से कम आय वाले परिवारों में बेटी के जन्म होने पर रु. 50000/- का एक बाण्ड दिया जायेगा तथा रु. 5001/- पुत्री की माता जी को दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त बच्चियों की पढ़ाई हेतु कक्षा छः तक पहुंचने पर रु. 3000/- कक्षा 8 तक पहुंचने पर 5000/-, कक्षा 10 तक पहुंचने पर रु. 7000/- तथा कक्षा 12 तक पहुंचने पर रु. 8000/- सरकार द्वारा सहायता के रूप में शिक्षा के प्रोत्साहनार्थ दिया जायेगा।

उक्त शिविर में भावना के निम्नलिखित माननीय सदस्य उपस्थित थे -

1- श्री वी.के शुक्ल, 2- श्री सुशील शंकर सक्सेना, 3- श्री तुंगनाथ कन्नौजिया, 4- श्री राम लाल गुप्ता, 5- श्री जगत बिहारी अग्रवाल, 6- श्री योगेन्द्र प्रताप सिंह, 7- देवेन्द्र स्वरूप शुक्ला, 8- श्री सुशील कुमार शर्मा, 9- श्री रमेश प्रसाद जायसवाल

अध्यक्ष महोदय के अभिभाषण उपरान्त श्री सुशील शंकर सक्सेना, वरिष्ठ उपाध्यक्ष द्वारा अपने संक्षिप्त अभिभाषण में स्वच्छता तथा नशामुक्त जीवन जीने हेतु सभी को प्रेरित किया।

उपर्युक्त कार्यवही उपरान्त प्रत्येक लाभार्थी को मंच पर बुलाकर भावना के उपस्थित सदस्यों के माध्यम से कुल 83 लाभार्थियों को कम्बल वितरित किये गये। ग्राम प्रधान पूर्णकाल उपस्थित रहे। इस प्रकार यह कार्यक्रम अत्यन्त श्रेष्ठ ढंग से समाप्त हुआ।

सुशील कुमार शर्मा

सम्पादक

भावना द्वारा कम्बल वितरण का एक दृश्य

भावना द्वारा 17.01.2018 को अनौपचारिक शिक्षण केन्द्र, लखनऊ में, पढ़ने वाले बच्चों को ऊनी वस्त्रों का वितरण

भावना द्वारा प्रायोजित एवं वित्तपोषित जन-हित के विभिन्न कार्यक्रमों हेतु आर्थिक सहयोग दाताओं की सूची (08 दिसम्बर,2017 से 10 मार्च,2018 तक)

क्र0 सं0	दाता का नाम	सदस्यता संख्या	प्राप्त सहयोग रुपयों में					
			शिक्षा सहायता	निर्धन जन सेवा	भावना रसोई एवं प्रसादम सेवा हेतु	साक्षरता अभियान सहायता	अन्य कार्यक्रम	योग
1	श्रीमती स्नेहलता पत्नी स्व0 श्री निरंजन दास	S-55/276/Vishist		1000.00				1000.00
2	आस्था सेन्टर फार जीरियोटिक मेडिसिन	A-34/350/ Institutional					25000.00	25000.00
3	श्री लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी	L-2/139		500.00				500.00
4	श्री मुरारी लाल अग्रवाल	M-34/643/Vishist		3000.00				3000.00
5	श्रीमती उमा शशि मिश्रा	U-10/475/Vishist		2500.00				2500.00
6	श्री तुगं नाथ कनैजिया	T-3/106/Vishist		1500.00				1500.00
7	श्री खजान चन्द्रा	K-34/574		2500.00				2500.00
8	श्रीमती नरेन्द्र गैरा	N-16/212		1200.00				1200.00
9	श्री रमेश प्रसाद जायसवाल	R-79/633/Vishist		2500.00				2500.00
10	श्री नरेश चन्द्र रस्तोगी	N-33/531/Vishist	1500.00	2500.00				4000.00
11	श्री सुभाष चन्द्र चावला	S-13/88/Vishist		1100.00				1100.00
12	एस.सी.त्रिवेदी ट्रस्ट एवं अस्पताल	गैर सदस्य					10000.00	10000.00
13	श्री राम मूर्ति सिंह	R-82/653/ Vishist			600.00			600.00
14	श्री दिलीप कुमार वर्मा	गैर सदस्य			2000.00			2000.00
15	श्रीमती नीलम चुघ	N-26/429			1200.00			1200.00
16	श्रीमती दुर्गेश तिवारी	गैर सदस्य			900.00			900.00
17	श्रीमती मधु लता	गैर सदस्य			1500.00			1500.00
18	श्री अशोक वर्मा	गैर सदस्य			600.00			600.00
19	श्रीमती अंजु गुप्ता	गैर सदस्य			600.00			600.00
20	श्री प्रवीन पाल	P-31/525		2500.00				2500.00
21	श्री प्रवीन पाल	P-31/525	5000.00			10000.00	5000.00	20000.00
22	श्रीमती सीमा गुप्ता	गैर सदस्य	2000.00					2000.00
23	श्रीमती सरोज देव	S-42/215/Vishist		1200.00				1200.00
24	श्री संजय श्रीवास्तव	गैर सदस्य		5100.00				5100.00
25	श्री देवेन्द्र स्वरूप शुक्ला	D-24/563/Vishist		5000.00				5000.00
26	श्री सत्य नारायण गोयल	S-133/601/Vishist		2500.00				2500.00
27	श्री जगमोहन लाल जायसवाल	J-17/533/Vishist		500.00				500.00
28	श्री हरी नाथ मिश्रा	H-12/537		500.00				500.00
29	श्री शिव नारायण अगवाल	S-117/544/Vishist		2500.00				2500.00
30	श्री जय प्रकाश अग्रवाल	J-19/647/Vishist		500.00				500.00
31	श्री ए. के. पाण्डेय	गैर सदस्य		500.00				500.00
32	श्री तीरथ रंजन गुप्ता	T-6/706/ Vishist		500.00				500.00

33	श्री सुभाष कक्कड़	S-79/403		1500.00				1500.00
34	श्रीमती सरोज देव	S-42/215/Vishist		1500.00				1500.00
35	श्री देवकी नन्दन 'शान्त'	D-6/131		1000.00				1000.00
36	श्री उदय भान पाण्डेय	U-5/277		1000.00				1000.00
37	श्री नरेन्द्र कुमार मित्तल	N-17/228		1000.00				1000.00
38	श्रीमती आशा गोयल	A-10/119/Vishist		2500.00				2500.00
39	श्री दिनेश कुमार पाण्डेय	गैर सदस्य		500.00				500.00
40	श्री दया शंकर शुक्ला	गैर सदस्य		500.00				500.00
41	निरस्त							0.00
42	श्रीमती मीना कुमारी रस्तोगी	M-16/304/Vishist		10000.00				10000.00
43	श्री श्याम सरण अग्रवाल	S-87/436		5000.00				5000.00
44	श्री दिनेश कुमार	D-21/439/Vishist		1000.00				1000.00
45	श्रीमती वीणा गोरे	V-62/874		10000.00				10000.00
46	श्रीमती नीलम चुघ	N-26/429		500.00				500.00
47	श्री सत्य देव तिवारी	S-76/394		500.00				500.00
48	श्री राम मूर्ति सिंह	R-82/653/ Vishist		1500.00				1500.00
49	श्रीमती मीना कुमारी रस्तोगी	M-16/304/Vishist		10250.00				10250.00
50	श्री दिनेश कुमार	D-21/439/Vishist		2100.00				2100.00
51	श्री बृहस्पती शर्मा	गैर सदस्य		2500.00				2500.00
52	श्री ए. एस. प्रसाद	गैर सदस्य		500.00				500.00
53	श्री पंकज जेतली	गैर सदस्य		1000.00				1000.00
54	श्री कृष्ण कान्त दीक्षित	K-54/813/Vishist		2500.00				2500.00
55	मे.गुन्जन इन्टरप्राइज़ेज	गैर सदस्य			130000.00			130000.00
56	श्री जग मोहन लाल वैश्य	J-16/448/Vishist		5000.00				5000.00
57	श्री राम लाल गुप्ता	R-16/150/Vishist		1250.00				1250.00
58	श्री सुष्मिता सिंह	गैर सदस्य			5000.00			5000.00
59	श्रीमती मधु लता	गैर सदस्य			1000.00			1000.00
60	श्रीमती उषा सक्सेना	गैर सदस्य			900.00			900.00
61	श्री ओ.पी.यादव	गैर सदस्य		500.00				500.00
62	श्री अशोक कुमार श्रीवास्तव	गैर सदस्य		500.00				500.00
63	श्री विनोद कुमार गुप्ता	गैर सदस्य		500.00				500.00
64	श्री बृजेन्द्र नाथ	गैर सदस्य		500.00				500.00
65	श्री बी.पी.मिश्रा	गैर सदस्य		500.00				500.00
66	श्री दीपक शाह	गैर सदस्य		500.00				500.00
67	श्री अवतार सिंह	गैर सदस्य		500.00				500.00
68	श्री ए. एस. प्रसाद	गैर सदस्य		500.00				500.00
69	श्री सुनील कुमार जैन	गैर सदस्य		500.00				500.00
70	श्री एस.एस.एस.रिजवी	गैर सदस्य		500.00				500.00
71	श्री आर.एस.सिन्हा	गैर सदस्य		500.00				500.00
72	श्री एन.एन.गुप्ता	गैर सदस्य		500.00				500.00
73	श्री रास बिहारी लाल	गैर सदस्य		500.00				500.00
74	श्री कपिल देव शुक्ला	गैर सदस्य		1250.00				1250.00
75	श्री पी.के.मित्तल	गैर सदस्य		500.00				500.00
76	श्री एच.एस.भाटिया	गैर सदस्य		500.00				500.00

77	श्री ए.के.पन्त	गैर सदस्य		500.00				500.00
78	श्री यू.सी.गुप्ता	गैर सदस्य		500.00				500.00
79	श्री बेचू लाल	गैर सदस्य		500.00				500.00
80	श्री पुरूषोत्तम चन्द्र मिश्रा	गैर सदस्य		500.00				500.00
81	श्री सोबरन सिंह	गैर सदस्य		500.00				500.00
82	श्री एम.सी.सक्सेना	गैर सदस्य		500.00				500.00
83	श्री दशरथ सिंह	गैर सदस्य		500.00				500.00
84	श्री अशोक कुमार श्रीवास्तव	गैर सदस्य		500.00				500.00
85	श्री ए.एन. सिंह	गैर सदस्य		500.00				500.00
86	श्री जे.एस.यादव	गैर सदस्य		500.00				500.00
87	श्री वी.पी.कपूर	गैर सदस्य		500.00				500.00
88	श्री एम.के.झाम्ब	गैर सदस्य		500.00				500.00
89	श्री ओ.पी.श्रीवास्तवा	गैर सदस्य		500.00				500.00
90	श्री यू.एस.वैसम्पायन	गैर सदस्य		500.00				500.00
91	श्री एस.सी.रस्तोगी	गैर सदस्य		2750.00				2750.00
92	विद्युत पेन्सनर परिषद	V-37/ 462/ Institutional		11500.00				11500.00
93	श्री राकेश चन्द्र श्रीवास्तवा	गैर सदस्य		500.00				500.00
94	श्री वी.एस.सिकरवार	गैर सदस्य		500.00				500.00
95	श्री डी.सी.चौरसिया	गैर सदस्य		500.00				500.00
96	श्री वाई.के.गुप्ता	गैर सदस्य		500.00				500.00
97	श्री हरीश कुमार श्रीवास्तवा	गैर सदस्य		500.00				500.00
98	श्री ओ. एन.पाण्डेय	गैर सदस्य		500.00				500.00
99	श्री शिव मंगल सिंह चौहान	गैर सदस्य			11000.00			11000.00
100	श्री प्रमोद कुमार वर्मा	गैर सदस्य				1000.00		1000.00
101	श्री दिलीप कुमार वीरानी	**D-20/438**				221.00		221.00
102	श्री कमल कुलश्रेष्ठ	गैर सदस्य			20000.00			20000.00
103	श्रीमती आशा गोयल	**A-10/119/Vishist**			3600.00			3600.00
104	श्री राम मूर्ति सिंह	**R-82/653/ Vishist**			600.00			600.00
105	श्रीमती नीलम चुघ	**N-26/429**			600.00			600.00
106	श्री दिलीप कुमार वर्मा	गैर सदस्य			2000.00			2000.00
107	श्रीमती मीना वोहरा	गैर सदस्य			3600.00			3600.00
108	श्री जगत बिहारी अग्रवाल	**J-10/204/Vishist**		2500.00				2500.00
109	श्री अशोक कुमार अरोरा	**A-54/584/Vishist**				2400.00		2400.00
110	श्री लवकुश नारायण सेठ	**L-6/596/Vishist**		2000.00				2000.00
111	डॉ. शिव सागर सिंह	**S-33/158**	15000.00	15000.00		20000.00		50000.00
112	भावना सदर्स्यो द्वारा दिया गया पंजीकरण शुल्क						9600.00	9600.00
113	कु0 अंगिरा भारद्वाज	गैर सदस्य				5000.00		5000.00
114	श्री विनोद कुमार शुक्ला	**V-1/1/Vishist**					28000.00	28000.00
योग			**23500.00**	**155200.00**	**185700.00**	**38621.00**	**77600.00**	**480621.00**

भावना संदेश जनवरी, 2018 के प्रकाशन के बाद बने नये सदस्यों की सूची

सदस्यता क्र.- वी-61/871 (विशिष्ट सदस्य)
श्री वीरेन्द्र कुमार गुप्ता
महानिदेशक (से.नि.), केन्द्रीय लो.निर्माण विभाग
102/4, ओमेक्स नाइल, सेक्टर 49, सोहना रोड,
गुड़गाँव-122018, हरयाणा। फोन : 09910181669
ई.मेलः vkgcpwd@yahoo.co.in
DOB:22/08/1954 MD:12/02/1980

सदस्यता क्र.- आर-107/872 (विशिष्ट सदस्य)
श्रीमती रेखा गुप्ता, गृहणी
102/4, ओमेक्स नाइल, सेक्टर 49,
सोहना रोड, गुड़गाँव-122018 फोन : 09910181669
ई.मेलः vkgcpwd@yahoo.co.in
DOB:03/08/1956 MD:12/02/1980

सदस्यता क्र.- के-60/873
श्री काशीनाथ गोपाल गोरे
संयुक्त सचिव (से.नि.), निर्वाचन विभाग, उ.प्र.
ई-51, पीली कॉलोनी, महानगर विस्तार, लखनऊ
फोनः 0522-2327131/09451314764
ई.मेलः kggore36@gmail.com
DOB:03/06/1936 MD:16/02/1965

सदस्यता क्र.- वी-62/874
श्रीमती वीणा गोरे, गृहणी
ई-51, पीली कॉलोनी, महानगर विस्तार, लखनऊ
फोनः 0522-2327131/09451314764
ई.मेलः kggore36@gmail.com
DOB:01/08/1941 MD:16/02/1965

सदस्यता क्र.- जे-26/875
श्री जीवन गोस्वामी
सतर्कता अधिकारी (से.नि.), एच.ए.एल.
ए-322, एस-2, इन्दिरा नगर, लखनऊ-226016
फोनः 08090229668 ई.मेलः jgoswamiind@gmail.com
DOB:21/11/1955 MD:10/05/1980

सदस्यता क्र.- सी-15/876
श्रीमती चन्द्रप्रभा गोस्वामी, गृहणी
ए-322, एस-2, इन्दिरा नगर, लखनऊ-226016
फोनः 08090229668
ई.मेलः jgoswamiind@gmail.com
DOB:15/04/1958 MD:10/05/1980

सदस्यता क्र.- आर-108/877
श्री राधेश्याम गुप्ता
मुख्य अभियन्ता (से.नि.), लघु सिंचाई वि., उ.प्र.
2/13, विनय खंड, गोमती नगर, लखनऊ-10
फोनः 0522-4365447/09415545316
ई.मेलः radheysgupta1937@gmail.com
DOB:24/12/1937

सदस्यता क्र.- वी-63/878
श्री वीरेन्द्र नाथ ग्रोवर मुख्य अभियन्ता,
कोरस इंजीनियरिंग सोल्यूशन्स लि. तथा
विभागाध्यक्ष, इंद्रप्रस्थ इंजीनियरिंग कॉलेज, गाजियाबाद
एस.डी.-72, शास्त्री नगर, गाजियाबाद-201002
फोनः 0120-4105901/09871195577
ई.मेलः vngrover@gmail.com
DOB:07/01/1947 MD:20/11/1975

सदस्यता क्र.- पी-51/879
श्रीमती पूर्णिमा ग्रोवर, गृहणी
एस.डी.-72, शास्त्री नगर, गाजियाबाद-201002
फोनः 0120-4105901/09871195577
ई.मेलः vngrover@gmail.com
DOB:23/05/1955 MD:20/11/1975

सदस्यता क्र.- एस-188/880
श्री श्याम धर पाण्डेय
वरिष्ठ शाखा प्रबंधक (से.नि.), यूको बैंक
32ए/1, शिव विहार कॉलोनी, सेक्टर 5,
विकास नगर, लखनऊ-226022 फोनः 09415063650
DOB:10/10/1951 MD:15/05/1971

सदस्यता क्र.- एस-189/881
श्रीमती सोनपती पाण्डेय, गृहणी
32ए/1, शिव विहार कॉलोनी, सेक्टर-5,
विकास नगर, लखनऊ-226022 फोनः 09415063650
DOB:09/05/1954 MD:15/05/1971

सदस्यता क्र.- एस-190/882 (विशिष्ट सदस्य)
श्री सुधीर कुमार
महाप्रबंधक (वित्त), इरकॉन इन्टरनेशनल लि.
36/दूसरा तल, शंकर विहार, लक्ष्मी नगर,
शकरपुर (पूर्व), दिल्ली-110092
फोन : 09560595057/09717588993
DOB:08/08/1958 MD:23/04/1990

सदस्यता क्र.- आर-109/883 (विशिष्ट सदस्य)

श्रीमती रेनू गुप्ता, गृहणी
36/दूसरा तल, शंकर विहार, लक्ष्मी नगर,
शकरपुर(पूर्व), दिल्ली-110092
फोन : 09560595057/09717588993
DOB:10/07/1967 MD:23/04/1990

सदस्यता क्र.- एस-191/884 (वि.स.)

श्री शिव प्रसाद सिंह
अपर महानिदेशक (से.नि.), के.लो.नि. विभाग
22बी समय विहार, सेक्टर 13, रोहणी,
दिल्ली-110085 फोन : 09402196431
ई.मेलः spsingh_cpwd07@yahoo.co.in
DOB:02/03/1956 MD:17/06/1981

सदस्यता क्र.- डी-36/885 (विशिष्ट सदस्य)

श्रीमती दमयंती सिंह, गृहणी
22बी समय विहार, सेक्टर 13, रोहणी,
दिल्ली-110085 फोन : 09402196431
ई.मेलः spsingh_cpwd07@yahoo.co.in
DOB:01/01/1961 MD:17/06/1981

सदस्यता क्र.- टी-9/886

श्री तेज चन्द्र द्विवेदी, अधिवक्ता
66/22, छितवापुर रोड, लाल कुआँ,
लखनऊ-226001 फोनः 09415750866
DOB:15/01/1952

सदस्यता क्र.- वाई-11/887

श्री योगेश नाथ लाल
पी.सी.एस. अधिकारी (से.नि.), उ.प्र.
315, नई कॉलोनी, पहली गली, जियामऊ,
लखनऊ-226001 फोनः 09415056143
ई.मेलः yogeshnathlal73@gmail.com
DOB:01/04/1953 MD:20/05/1977

सदस्यता क्र.- पी-52/888

श्रीमती प्रभा सहाय
कार्यालय अधीक्षक (से.नि.), उत्तर रेलवे
315, नई कॉलोनी, पहली गली, जियामऊ,
खनऊ-226001 फोनः 09415056143
ई.मेलः yogeshnathlal73@gmail.com
DOB:20/10/1953 MD:20/05/1977

सदस्यता क्र.- एस-192/889

श्री सुरेश चन्द्र तिवारी
पी.सी.एस. अधिकारी (से.नि.), उ.प्र.
568ख/211, गीतापल्ली, आलमबाग,
लखनऊ-226005 फोनः 09415166743
ई.मेलः sctiwaari89@gmail.com
DOB:28/11/1956 MD:02/06/1971

सदस्यता क्र.- एम-49/890

श्रीमती माया तिवारी, गृहणी
568ख/211, गीतापल्ली, आलमबाग,
लखनऊ-226005 फोनः 09415166743
ई.मेलः sctiwaari89@gmail.com
DOB:27/07/1959 MD:02/06/1971

सदस्यता क्र.- जे-27/891

श्री जितेन्द्र मोहन, व्यवसायी (भू सम्पत्ति)
सरस्वती भवन, सेक्टर बी, अलीगंज,
लखनऊ-226024 फोनः 09415021318
ई.मेलः ceo.mmm@gmail.com
DOB:12/09/1942 MD:20/07/1969

सदस्यता क्र.- यू-20/892

डॉ. (श्रीमती) उषा मोहन
चिकित्साधिकारी (से.नि.), चि.एवं स्वा.वि., उ.प्र.
सरस्वती भवन, सेक्टर बी, अलीगंज, लखनऊ
फोनः 09415021318 ई.मेलः ceo.mmm@gmail.com
DOB:07/02/1948 MD:20/07/1969

भारतीय वरिष्ठ नागरिक समिति की प्रबन्धकारिणी की 11 जनवरी, 2018 को हुई बैठक का कार्यवृत्त

सौजन्य से : माननीय श्री देवेन्द्र स्वरूप शुक्ल, श्री हरीश चन्दर, श्री राज देव स्वर्णकार, श्री ललित कुमार तथा श्री मुरारी लाल अग्रवाल।

उपस्थिति :- 1- प्रबंधकारिणी के संरक्षक, प्रबंधकारिणी के सदस्य तथा स्थाई आमंत्री - कुल 21 सदस्य

2- अन्य विशिष्ट सदस्य तथा विशेष आमंत्री - 13 सदस्य

3- अनुपस्थित पदाधिकारी - 51 सदस्य

कार्यवाही विवरण : माननीय अध्यक्ष महोदय के सभापतित्व में हुई इस बैठक में सर्वसम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिए गए:-

1. प्रबन्धकारिणी की 05 नवम्बर, 2017 को हुई बैठक का कार्यवाही विवरण विचारोपरान्त अनुमोदित कर दिया गया।

2. भावना के नये बने/बनने वाले सदस्यों का परिचय कराया गया। इन सदस्यों में श्री काशीनाथ गोरे, श्रीमती वीणा गोरे, श्री जीवन गोस्वामी एवं श्रीमती चन्द्रप्रभा गोस्वामी के नाम उल्लेखनीय हैं। सभा में उपस्थित सभी सदस्यों ने करतल ध्वनि से नये सदस्यों का स्वागत किया।

3. 23 फरवरी, 2018 को होने वाले अठारहवें वार्षिक महाधिवेशन में प्रमुख महासचिव द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला प्रतिवेदन उनके अनुपस्थित होने के कारण प्रस्तुत नहीं हो सका। सभा ने इसे बाद में कोर ग्रुप द्वारा अनुमोदित कराने की सहमति दे दी।

4. कोषाध्यक्ष की अनुपस्थिति मे महासचिव(प्रशासन) ने वर्ष 2016-17 की चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा प्रमाणित तथा सम्प्रेक्षक द्वारा परीक्षित बैलेन्स शीट तथा आय-व्यय लेखा सभा के समक्ष प्रस्तुत किया। तदोपरान्त वर्ष 2016-17 के बजट की विभिन्न मदों के सापेक्ष हुए वास्तविक आय-व्यय का तुलनात्मक अध्ययन भी प्रस्तुत किया। सभा ने इन अभिलेखो को समिति की वार्षिक साधारण सभा की बैठक में प्रस्तुत करने हेतु अनुमोदित कर दिया।

5. कोषाध्यक्ष की अनुपस्थित मे महासचिव (प्रशासन) ने वर्ष 2018-19 के लिए प्रस्तावित बजट सभा के समक्ष प्रस्तुत किया जिसे सदस्यों ने कुछ संशोधनों के साथ वार्षिक साधारण सभा की बैठक में प्रस्तुत करने हेतु अनुमोदित कर दिया।

6. अध्यक्ष महोदय के प्रस्ताव पर विचारोपरान्त सभा ने निर्णय लिया कि समिति की नियमावली में निम्न लिखित संशोधनों का प्रस्ताव वार्षिक साधारण सभा की बैठक में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाए ''वर्तमान नियम 16 के बाद नया नियम 17 निम्नानुसार स्थापित कर दिया जाएगाः

पत्राचार का माध्यम : सभी प्रकार की बैठकों की सूचनायें, बैठकों के कार्यवृत्त तथा अन्य विवरण सदस्यों को सामान्यतः इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से ही प्रेषित किये जायेंगे। किन्तु किसी सदस्य द्वारा माँगे जाने पर उसे सम्बंधित जानकारी की कागजी प्रतिलिपि भी अवश्य ही उपलब्ध कराई जाएगी।

वर्तमान नियम ''17. लेखा वर्ष'' का शीर्ष बदल कर ''18. लेखा वर्ष'' कर दिया जाएगा।

वर्तमान नियम का ''18. विघटन'' शीर्ष बदल कर ''19. विघटन'' कर दिया जाएगा।''

7. अध्यक्ष जी ने सभा को अवगत कराया कि अठारहवें वार्षिक महाधिवेशन हेतु मुख्य अतिथि का चयन शीघ्र कर लिया जायेगा। अन्य व्यवस्थाओं हेतु महासचिव(प्रशासन) व अन्य पदाधिकारियों को निर्देश दिये गये।

8. अध्यक्ष जी की अनुमति से भावना के सम्मानित वरिष्ठ सदस्य श्री हरीश चन्दर जी ने सभा में उपस्थित सदस्यों को अपनी ओर से उपहार दिये जिसके लिये अध्यक्ष महोदय ने उनको धन्यवाद दिया।

9. नये बने आजीवन सदस्य श्री काशीनाथ गोरे जी ने निर्धन-जन सेवा हेतु 10,000 रुपये का चेक दिया जिसपर सभा ने करतल ध्वनि से उनको धन्यवाद दिया।

10. श्री देवेन्द्र स्वरूप शुक्ला ने सभा को अवगत कराया कि 18 जनवरी, 2018 को निर्धन-जन सेवा शिविर चन्द्रिका देवी मंदिर में रखा गया है, जो सदस्य इस शिविर में सम्मिलित होना चाहें वे पूर्वाह्न 10.30 बजे ब्रज की रसोई, सीतापुर रोड, पर एकत्र होने का कष्ट करें। कार्यक्रम के अंत में सभा में उपस्थित सभी सदस्यों की ओर से तथा अपनी ओर से भी अध्यक्ष महोदय ने बैठक के मेजबान सदस्यों माननीय श्री देवेन्द्र स्वरूप शुक्ल, श्री हरीश चन्दर, श्री राज देव स्वर्णकार, श्री ललित कुमार तथा श्री मुरारी लाल अग्रवाल को धन्यवाद दिया एवं सभी को स्नेहभोज के लिये आमंत्रित किया।

श्री जे.बी. अग्रवाल-महासचिव प्रशासन द्वारा अपने
पत्रांक भावना/9-005/2678 दि. 13.3.18 द्वारा प्रसारित।

शिवालय एक गाथा

शिवरात्रि प्रत्येक हिन्दु माह की कृष्ण चतुर्दशी, जो माह का अंतिम दिन होता है के दिन मनाई जाती है। माघ मास की कृष्ण चतुर्दशी, महाशिवरात्रि के रूप में, पूरे भारतवर्ष में धूमधाम से मनाई जाती है। इसके दूसरे दिन से हिंदु वर्ष के अंतिम मास फाल्गुन का आरंभ हो जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान शंकर एवं मां पार्वती का विवाह सम्पन्न हुआ था तथा इसी दिन प्रथम शिवलिंग का प्राकट्य हुआ था। शिवरात्रि के दिन भगवान शिव की आराधना की जाती है। इस दिन शिव भक्त पूरे दिन उपवास रखते हैं, भगवान शिव का अभिषेक करते हैं तथा पंचक्षरी मंत्र का जाप करते हैं। हिन्दु शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव मनुष्य के सभी कष्टों एवं पापों को हरने वाले हैं। सांसारिक कष्टों से एकमात्र भगवान शिव की पूजा करके जान-अनजाने में किए पाप कर्म के लिए क्षमा मांगने और आने वाले मास में भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने का प्रावधान है। शास्त्रों के अनुसार, शुद्धि एवं मुक्ति के लिए रात्री के निशीथ काल में की गई साधना सर्वाधिक फलदायक होती है। अतः इस दिन रात्री जागरण करके निशीथ काल में भगवान शिव की साधना एवं पूजा करने का अत्यधिक महत्व है।

महाशिवरात्री वर्ष के अंत में आती है अतः इसे महाशिवरात्री के रूप में मनाया जाता है एवं इस दिन पूरे वर्ष में हुई त्रुटियों के लिए भगवान शंकर से क्षमा याचना की जाती है तथा आने वाले वर्ष में उन्नति एवं सद्गुणों के विकास के लिए प्रार्थना की जाती है। भगवान शिव सब देवों में वृहद हैं, सर्वत्र समरूप में स्थित एवं व्यापक हैं। इस कारण वे ही सबकी आत्मा हैं। भगवान शिव निष्काल एवं निराकार हैं। भगवान शिव साक्षात ब्रह्म का प्रतीक है तथा शिवलिंग भगवान शंकर के ब्रह्म तत्व का बोध कराता है। इसलिए भगवान शिव की पूजा में निष्काल लिंग का प्रयोग किया जाता है। सारा चराचर जगत बिन्दु नाद स्वरूप है। बिन्दु देव है एवं नाद शिव इन दोनों का संयुक्त रूप ही शिवलिंग है। बिन्दु रूपी उमा देवी माता है तथा नाथ स्वरूप भगवान शिव पिता है। जो इनकी पूजा सेवा करता है उस पर इन दोनों माता-पिता की अधिकाधिक कृपा बढ़ती है। वह पूजक पर कृपा करके उसे अतिरिक्त ऐश्वर्य प्रदान करते हैं।

आंतरिक आनंद की प्राप्ति के लिए शिवलिंग को माता-पिता के स्वरूप मानकर उसकी सदैव पूजा करनी चाहिए। भगवान शिव प्रत्येक मनुष्य के अंतःकारण में स्थित अवयक्त आंतरिक अधिष्ठान तथा प्रकृति मनुष्य की सुव्यक्त आंतरिकत अधिष्ठान है। नमः शिवायः पंचतत्वमक मंत्र है इसे शिव पंचक्षरी मंत्र कहते हैं। इस पंचक्षरी मंत्र के जप से ही मनुष्य संपूर्ण सिद्धियों को प्राप्त कर सकता है। इस मंत्र के आदि में ॐ लगाकर ही सदा इसका जप करना चाहिए। भगवान शिव का निरंतर चिंतन करते हुए इस मंत्र का जाप करें। सदा सब पर अनुग्रह करने वाले भगवान शिव का बारंबार स्मरण करते हुए पूर्वाभिमुख होकर पंचक्षरी मंत्र का जाप करे। भक्त की पूजा से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। शिव भक्त जितना भगवान शिव के पंचक्षरी मंत्र का जप कर लेता है उतना ही उसके अंतकरण की शुद्धि होती जाती है एवं वह अपने अंतकरण में स्थित अव्यक्त आंतरिक अधिष्ठान के रूप में विराजमान भगवान शिव के समीप होता जाता है। उसके दरिद्रता, रोग दुख एवं शत्रुजनित पीड़ा एवं कष्टों का अंत हो जाता है एवं उसे परम आनंद की प्राप्ति होती है।

महाशिवरात्रि बोलचाल में शिवरात्रि कहलाने वाला हिन्दुओं का एक प्रमुख त्यौहार है। यह भगवान शिव का प्रमुख पर्व है। फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को शिवरात्रि पर्व मनाया जाता है। माना जाता है कि सृष्टि के प्रारंभ में इसी दिन मध्यरात्रि में भगवान शंकर का ब्रह्मा से रूद्र के रूप में अवतरण हुआ था। प्रलय की बेला में इसी दिन प्रदोष के समय भगवान शिव तांडव.. ..... इसीलिए इसे महाशिवरात्रि अथवा कालरात्रि कहा गया। कई स्थानों पर यह भी माना जाता है कि इसी दिन भगवान शिव का विवाह हुआ था। साल में होने वाली 12 शिवरात्रियों में ये महाशिवरात्रि को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। हिन्दू धर्म पुराणों के अनुसार शिवजी जहां-जहां स्वयं प्रगट हुए उन बारह स्थानों पर स्थित शिवलिंगों को ज्योर्तिलिंगों के रूप में पूजा जाता है। ये संख्या में 12 हैं। सौराष्ट्र प्रदेश (काठियावाड़ा) में श्री सोमनाथ, श्रीशैल पर श्रीमल्लिकार्जुन, उज्जयिनी (उज्जैन) मेकं श्री महाकाल, ऊँकारेश्वर अथवा अमलेश्वर, परली में वैद्यनाथ, डाकिनी नामक स्थान में श्रीभीमाशंकर, सेतुबंध पर श्री रामेश्वर, दारूकावन में नागेश्वर, वाराणसी (काशी) में श्री विश्वनाथ, गौतमी (गोदावरी) के तट पर श्री त्रयम्बकेश्वर, हिमालय पर केदारखंड में श्री केदार और शिवालय में श्रीधुश्मेश्वर। हिन्दुओं में मान्यता है कि जो मनुष्य प्रतिदिन प्रातःकाल संध्या के समय में इन बारह ज्योतिर्लिंगों का नाम लेता है, उसके सात जन्मों का किया हुआ पाप इन लिंगों के स्मरण मात्र से मिट जाता है। शिवलिंग पर मात्र जल चढ़ाने से सारी मनोकामना पूरी होती है। ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करने वाला प्राणी सबसे सौभाग्यशाली है।

ॐ एवं गायत्री मंत्रजप के अद्‌भुत परिणाम

गायत्री मंत्र में असीम शक्ति व सामर्थ्य सन्निहित है। मंत्र जपकर्ता की प्राणरक्षा करता है। इष्टदेव से तादात्म्य स्थापित करने, एकाकार होने का माध्यम भी वही है। गायत्री महामंत्र को ही लें तो दिखने में वह छोटा-सा शब्द-समुच्चय मात्र दिखाई पड़ता है, किन्तु इसमें सृष्टि का समूचा ज्ञान एवं शक्तियां-सभी बीज रूप में सन्निहित हैं। भाव एवं श्रद्धा से भरे अंतःकरण से बार-बार लयबद्ध तरीके से इसे दोहराते रहने पर वह बीज प्रस्फुटित होकर पल्लवित, पुष्पित होने लगता है और आत्मिक विभूतियों एवं भौतिक सिद्धियों से परिपूर्ण हो साधक का जीवन धन्य बन जाता है। नर से नारायण, मानव से महामानव बनते उसे देर नहीं लगती। कतिपय अनुसंधानकर्ताओं ने मंत्रशक्ति पर गहन अध्ययन, अनुसंधान किए हैं। उनके अनुसार, प्रणव संयुक्त गायत्री महामंत्र का नित्य-नियमित रूप से जप करते रहने पर शरीर और मन के बीच एक लयात्मकता उत्पन्न होती है और दोनों के अंदर विद्यमान विषाक्ता, कषाय-कल्मषता दूर होती है। जप से उत्पन्न प्रकंपन, शरीर के सूक्ष्मतंत्रों तथा हार्मोन प्रणाली पर अपना गहरा प्रभाव डालते हैं, जिससे उनकी सक्रियता बढ़ जाती है और समुचित मात्रा में हार्मोन का स्राव होने लगता है। इसका असर शारीरिक क्रियाप्रणाली पर पड़ता है।

यही स्थिति मन की होती है। निरंतर उछल-कूद करने वाला चंचल मन अपने ध्येय पर एकाग्र होने लगता है और यहीं से सफलता का सोपान आरंभ हो जाता है। योगशास्त्र, मन की शक्ति-सामर्थ्य को असीम बताते हैं। सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक आंद्रे ने अपनी कृति-योगा-सेल्फ टॉट में कहा है कि अकेले ॐ मंत्र का यदि नित्य नियमित रूप से जप किया जाए तो इसका मन और शरीर पर सुनिश्चित रूप से आश्चर्यजनक प्रभाव पड़ता है।

प्रयोग परीक्षणों में पाया गया है कि पद्‌मासन या सुखासन में बैठकर गहरे श्वास लेते हुए जब ॐ का उच्चारण किया जाता है, तो प्राकृतिक रूप से ॐ की लंबी ध्वनि स्वरयंत्र को प्रकंपित करते हुए निकलती है। यह मधुर भी हो सकती है और भारी भी। इसका अनुभव इस प्रकार भी किया जा सकता है कि सही उच्चारण करते हुए सीने पर हाथ रखकर देखा जाए तो पता चलेगा की गरदन की हड्डियों में कंपन हो रहा है। मुंह को बंद रखते हुए जब प्रश्वास को नासिक से बाहर निकालते हैं और पेट की मांसपेशियों को अंदर की ओर सिकोड़कर बची हुई वायु को भी बाहर निकालते हैं, उस समय एक गहरी मर्मर की-सी ध्वनि सुनाई देती है, जिसे मस्तिष्क प्रकंपन कहा जा सकता है। इसके अतिरिक्त मस्तिष्क के ऊपरी भाग में भी इस कंपन की अनुभूति की जा सकती है।

भारतीय योगविद्या विशारदों एवं अध्यात्मवेत्ताओं ने अपने गहन अध्ययन-अनुसंधान के आधार पर बहुत पहले ही यह ज्ञात कर लिया था कि मंत्रजप का मनुष्य के शरीर और मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। पाश्चात्य वैज्ञानिकों ने भी अब इस संदर्भ में गहरी रुचि दिखाई है और अपने गहन प्रयोग-परीक्षणों के आधार पर उक्त तथ्य की पुष्टि की है। मूर्द्धन्य वैज्ञानिक लिजाबेथ के अनुसार, जब ॐ शब्द का उच्चारण करते हैं तो वक्षस्थल प्रकंपित होने लगता है। इससे सिद्ध होता है कि यह कंपन फेफड़े के निचले भाग तक पहुंच गया है और उसकी अंदरूनी संरचना अर्थात एल्वियोलाइ की सूक्ष्म कोमल परत, जो प्राणवायु के सीधे संपर्क में आती है-वह भी कंपन करने लगी है। इससे पल्मोनरी सेल्स-फुफ्फुसीय कोशिकाएं सक्रिय हो उठती हैं और गैसों का आदान-प्रदान सुचारू रूप से होने लगता है।

मंत्र विज्ञान पर अनुसंधानरत वैज्ञानिकों ने यह भी खोज निकाला है कि इस तरह के कंपन का अंतःस्रावी ग्रंथियों पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। इस संदर्भ में सुविख्यात वैज्ञानिक डॉ. लेसर लसारियो का कहना है कि मंत्रजप का मनुष्य पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। लगभग तीन दशकों तक की लंबी अवधि तक अनुसंधान करने के पश्चात उन्होंने निष्कर्ष निकाला है उन्होंने कि जब हम किसी शब्द या मंत्र का उच्चारण करते हैं तो उन ध्वनि तरंगों से यह कंपन, कोशिकाओं एवं स्नायुकोशों के अंदर गहराई तक प्रवेश कर जाते हैं और रक्त-प्रवाह की गति को तीव्र कर देते हैं, जिससे शरीर के सभी अंग अधिक सक्रिय भूमिका निभाने लगते हैं।

पिट्‌यूरी, पीनियल, थाइरॉइड जैसी अंतःस्रावी ग्रंथियां-जो अपने हार्मोन स्राव को सीधे रक्त एवं लिंफ में उड़ेलती हैं, वे सभी मंत्रजप से उद्दीप्त हो उठती हैं। इन कंपनों का सर्वाधिक प्रभाव भावनाओं के उद्दीपन के रूप में मिलता है और इसी कारण ॐ एवं गायत्री महामंत्र के जप से एक प्रकार के सुखद वातावरण का निर्माण होता है। इससे श्वास-प्रश्वास की दर कम हो जाती है, जिसके अनेकों भौतिक एवं आध्यात्मिक लाभ योगशास्त्रों में बताए गए हैं।

देखा गया है कि मात्र ॐ के उच्चारण से फेफड़े पूरी तरह खाली हो जाते हैं, जिसका सीधा प्रभाव श्वसन गति पर पड़ता है। इसके कारण दुबारा खींचा गया श्वास गहरा होता है। इससे फेफड़ों का आयतन बढ़ने के साथ ही प्राणवायु की अधिक मात्रा भी जपकर्ता को मिल पाती है। प्राण ही जीवन का वह मूल आधार है, जिसकी मात्रा की अधिकता साधक को सफलता के द्वार तक ले जाती है।

इसके साथ ही मंत्रजप का प्रभाव सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एवं वेगस नर्व पर भी पड़ता है। इसी समय श्वसन तंत्र की मांसपेशियों में शिथिलता आ जाती है, फलतः उनमें भी नवजीवन आ जाता है। श्वसन प्रक्रिया में सुधार होते ही पूरे शरीर में प्राणवायु का समुचित संचार होने लगता है। प्रयोग-परीक्षणों में पाया गया है कि ॐ के उच्चारण से उत्पन्न ध्वनि तरंगों से पेट एवं वक्षस्थल के भीतर स्थित कोमल अंग-अवयवों की भी अच्छी तरह से मालिश हो जाती है।

वस्तुतः मंत्रजप से एक प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं, जो समूचे शरीर में फैलकर अनेक गुना विस्तृत हो जाती हैं। इससे प्राण-ऊर्जा की क्षमता एवं शक्ति में अभिवृद्धि होती है और ओजस, तेजस एवं वर्चस का विकास होता है। चित्त पर चढ़ी हुई कषाय-कल्मषों की परतें हटती हैं और मन ध्येय पर एकाग्र होने लगता है। साथ ही मस्तिष्कीय अल्फा तरंगों में भी अभिवृद्धि होने लगती हैं, जिसके फलस्वरूप साधक ध्यान की गहराई में प्रवेश करने लगता है। मन की एकाग्रता बढ़ाने से साधक, साधना समर की आधी लड़ाई स्वतः जीत लेता है।

लेसर लसारियो जैसे वैज्ञानिकों के अनुसंधानों से यह सिद्ध हो गया है कि मंत्रजप के नित्य-नियमित प्रयोग से उत्पन्न ध्वनि तरंगों से समूचा कायतंत्र रिलैक्सेशन या शिथिलन की अवस्था में आ जाता है, जिसके लिए सामान्य अवस्था में कठिन अभ्यास की आवश्यकता पड़ती है। इससे न केवल भीतरी अंग-अवयवों को नवजीवन मिलता है, वरन मानसिक शक्तियों में भी समस्वरता आने लगती है।

संकलन : डॉ. नरेन्द्र देव
सचिव-स्वास्थ्य, भावना, लखनऊ
साभार : अखण्ड ज्योति, माह 12/वर्ष 2017

बैंक में होती है दवाओं की जमा - निकासी

इससे अलग हटकर पटियाला में एक ऐसा बैंक है, जहां न तो रुपये जमा होते हैं और न ही कर्ज के रूप में रुपये मिलते हैं। इस बैंक में लोग दवाएं जमा करवाते हैं। यहां से गरीब मरीजों को दवाएं ही निःशुल्क मिलती है। हम बात कर रहे पटियाला के मेडिसिन बैंक की। इस बैंक की स्थापना ग्रेड थिंकर एनजीओ के सदस्यों ने कीहै। इस संस्था के सदस्य बेसहारा व आर्थिक रूप से कमजोर बीमार लोगों की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। वह उनकी मदद उनके घर पर पहुंचकर करते हैं। इस नेक कार्य में मेडिसिन बैंक अहम भूमिका अदा करता है। इस संस्था के 50 से ज्यादा सदस्य हैं। संस्था के सदस्य लोगों को मेडिसिन पौधे भी निःशुल्क बांटते हैं। इन पौधों में कचनार, फालसा, नीम, हारशिंगार, अर्जुन, बेल, आंवला, लसूड़ा, तुलसी, एलोवेरा, जगजीनिया, लेमनग्रास व अजवाइन आदि शामिल हैं। संस्था के प्रधान कंवलजीत सिंह सेखों व महासचिव गुरकिरत सिंह ने फेसबुक पेज बना रखा है, जिसका नाम प्लांट एट डोर रखा हुआ है। इस पेज को बनाने का मकसद लोगों तक मेडिसिन पौधे पहुंचाने के अलावा उन्हें इन पौधों से होने वाले लाभ की जानकारी देना है। संस्था के सदस्यों ने इस पेज पर अपने-अपने मोबाइल नंबर दे रखे हैं। अगर कोई व्यक्ति पौधे लेने के लिए फोन करता है तो उसे पौधे मुहैया करवाए जाते हैं।

मेडिसिन बैंक में उन लोगों से भी दवाएं एकत्रित की जाती है, जिनके पास एक्स्ट्रा दवाएं पड़ी रहती है। इन दवाओं को जरूरतमंद लोगों तक निःशुल्क पहुंचाया जाता है। संस्था के सदस्यों के अलावा अन्य दानी लोग भी बैंक में दवाएं दान करते हैं। इसके अलावा संस्था समय-समय पर मेडिकल कैंप भी लगाती है। अब तक संस्था 70 से ज्यादा मेडिकल कैंप लगा चुकी है।

दैनिक जागरण - 12.3.2018

बच्चों के मन से परीक्षा का डर दूर करने के साथ ही उनके सम्पूर्ण जीवन की परीक्षाओं को सफल बनाने में भी अत्यन्त ही सहायक है- माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया गया मंत्र!

- डॉ. जगदीश गाँधी,
शिक्षाविद् एवं संस्थापक-प्रबन्धक, सिटी मोन्टेसरी स्कूल, लखनऊ

(1) देश भर के बच्चों के मन से परीक्षा का डर दूर करने के लिए ऐतिहासिक पहलः भारत के इतिहास में पहली बार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बच्चों के मन से परीक्षा का डर दूर करने के लिए देश भर के बच्चों न केवल सम्बोधित किया बल्कि काफी हद तक वे बच्चों के मन से परीक्षा का डर निकालने में सफल भी रहें। नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में परीक्षा के कार्यक्रम के दौरान उपस्थित बच्चों एवं वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के द्वारा प्रधानमंत्री द्वारा दिये गये गुरु मंत्र न केवल बच्चों को विभिन्न शैक्षिक प्रतियोगिताओं में सफल बनाने में प्रेरणा का काम करेंगे बल्कि उन्हें अपने सारे जीवन में आने वाली किसी भी परीक्षा को भी सफल बनाने में अत्यन्त ही सहायक होंगे।

(2) अंक और परीक्षा जीवन का आधार नहीं हैंः इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि वर्तमान में जीने की आदत एकाग्रता के लिए एक रास्ता खोल देती है। उन्होंने बच्चों से कहा कि आप खुद के साथ स्पर्धा कीजिए कि मैं जहां कल था उससे 2 कदम आगे बढ़ा क्या, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप आगे बढ़े हैं तो यही आपकी विजय है। इसलिए कभी भी किसी दूसरे के साथ कम्पटीसन नहीं बल्कि खुद के साथ कम्पटीसन कीजिए क्योंकि अंक और परीक्षा जीवन का आधार नहीं हैं। देश भर के बच्चों को सम्बोधित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा बच्चों को दिये गये मंत्र इस प्रकार हैं :-

(3) आत्मविश्वास के बिना किसी भी परीक्षा में सफलता हासिल नहीं कि जा सकती : बच्चों की मेहनत में कोई कमी नहीं होती है। छात्र के साथ उसके माता-पिता और शिक्षक भी तैयारी करते हैं, लेकिन अगर छात्र में आत्मविश्वास नहीं है तो परीक्षा देना मुश्किल हो जाता है। पेपर जब हाथ में आता है तो छात्र सब पढ़ा-पढ़ाया भूल जाता है। इस तरह आत्मविश्वास के बिना किसी भी परीक्षा में सफलता हासिल नहीं कि जा सकती, इसलिए आत्मविश्वास का होना बेहद जरूरी है। अगर आत्मविश्वास नहीं तो 33 करोड़ देवी-देवता भी कुछ नहीं कर सकते।

(4) आत्मविश्वास कैसे हासिल किया जाए : आत्मविश्वास कोई जड़ी-बूटी नहीं है, जो खाने से आ जाएगी। ना ही मां द्वारा दी गई कोई दवाई है जो परीक्षा के समय मिल जाए तो काम आ जाएगी। यह तो तभी संभव है जब छात्र खुद को परीक्षा की कसौटी पर कसे। तभी जीत हासिल हो सकती है। आप खुद के साथ प्रतिस्पर्धा कीजिए कि मैं कल जहां था उससे दो कदम आगे बढ़ा क्या? अगर आपको ऐसा लगता है तो यही आपकी विजय है। कभी भी दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा मत कीजिए, खुद के साथ अनु-स्पर्धा कीजिए।

(5) किताबों से सिर्फ बुद्धि ही नहीं मन को भी जोड़े : एकाग्रता के सवाल पर पीएम ने कहा एकाग्रता के लिए किसी एक्टिविटी की जरूरत नहीं है। आप खुद को जांचिए परखिए। बहुत से लोग कहते हैं कि मुझे याद नहीं रहता है लेकिन यदि आपको कोई बुरा कहता है तो 10 साल बाद भी आपको वह बातें याद रहती है। इसका मतलब है कि आपकी स्मरण शक्ति में कोई कमी नहीं है। जिन चीजों में सिर्फ बुद्धि नहीं आपका मन भी जुड़ जाता है, वह जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। वर्तमान में जीने की आदत एकाग्रता के लिए एक रास्ता खोल देती है।

(6) यह सोच कर परीक्षा में बैठें कि आप ही अपना भविष्य तय करेंगे : छात्रों को ध्यान देना चाहिए कि कौन सी बातें उनका ध्यान भटका रही हैं। इसके लिए खुद को जांचना और परखना जरूरी है, ताकि उन्हें अपनी कमियों का एहसास हो सके और वे पढ़ाई में ध्यान केंद्रित कर सकें। 'स्कूल जाते समय यह बात दिमाग से निकाल दीजिए कि कोई आपका एग्जाम ले रहा है। कोई आपको अंक दे रहा है। इस बात को दिमाग में रखिए कि आप खुद का एग्जाम ले रहे हैं। इस भाव के साथ बैठिए की आप ही अपना भविष्य तय करेंगे।

(7) आप खुद ऐसा बनें कि दूसरे आपसे प्रतिस्पर्धा करें : युद्ध और खेल के विज्ञान दोनों में एक नियम है कि आप अपने मैदान में खेलिए। जब आप अपने मैदान में खेलते हैं तो आपकी जीत के अवसर बढ़ जाते हैं। दोस्तों के साथ

बच्चों के मन से परीक्षा का डर दूर करने के साथ ही उनके सम्पूर्ण जीवन की परीक्षाओं को सफल बनाने में भी अत्यन्त ही सहायक है- माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया गया मंत्र!

- डॉ. जगदीश गाँधी,
शिक्षाविद् एवं संस्थापक-प्रबन्धक, सिटी मोन्टेसरी स्कूल, लखनऊ

(1) देश भर के बच्चों के मन से परीक्षा का डर दूर करने के लिए ऐतिहासिक पहलः भारत के इतिहास में पहली बार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बच्चों के मन से परीक्षा का डर दूर करने के लिए देश भर के बच्चों न केवल सम्बोधित किया बल्कि काफी हद तक वे बच्चों के मन से परीक्षा का डर निकालने में सफल भी रहें। नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में परीक्षा के कार्यक्रम के दौरान उपस्थित बच्चों एवं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा प्रधानमंत्री द्वारा दिये गये गुरु मंत्र न केवल बच्चों को विभिन्न शैक्षिक प्रतियोगिताओं में सफल बनाने में प्रेरणा का काम करेंगे बल्कि उन्हें अपने सारे जीवन में आने वाली किसी भी परीक्षा को भी सफल बनाने में अत्यन्त ही सहायक होंगे।

A Report on International Conference of ISU3As at New Delhi

A two days International Conference of ISU3As was organised at India International Centre, New Delhi on 12-13 March, 2018 in collaboration with Senior Citizens Council of Delhi. The conference was attended by large no of delegates, institutes related to welfare of senior citizens, from all over India and abroad. Many members of Bhavana who are also members of ISU3As, attended the conference. The theme of conference was 'ELDER CARE-CHALLENGES AND SOLUTIONS".

The conference was inaugurated by Hon'ble Minister Sri R.K. Gautam NCR Govt of Delhi. The Ambassador of Bhutan & KP Fabian were also the part of this conference. The most attraction of the conference was video conference by Prof. Roger Anusen, Ohio university USA on the topic-Mind Ramping for Elders and by Mr Tom Hollway Oxford United Kingdom on the topic Idea and achievements in the last decade. Another VC was by Prof Mukul Asher Lee Kwan University Singapore on the topic-Elder care in Asia Cultures.

The other topics covered by renowned presenters are-'The role of NGOs in Elder care' By Mr Sailesh Mishra Silver Innings NGO Mumbai, 'Elder Abuse : International Responses' By Prof Mala Kapur, Delhi, 'State Govt 7 Elder Care' by Dr Mathew Cherian Helpage India New Delhi', Role of Community in Elder Care' by Ms Sheilu Srinivasan Dignity foundation Mumbai, 'Role of Self Help and Spirituality in Elder care' by Swami Hari Prasad, 'Role of Leisure Games to combat Loneliness' by Dr Balambal Ramaswamy University of Madras Chennai, 'Health Insurance for Elders' by Mr PC Tripathi Star Health Insurance New Delhi, 'Training Care Givers for Elders' by J.M. Foundation & Elder care Chennai. The other distinguished presented were Sri J.R. Gupta President Senior Citizen Council New Delhi & Executive Advisor ISU3As, Dr R.K. Garg General Secretary ISU3As, Sri R.N. Mittal, Chief Patron ISU3As Hyderabad, Mr. Grover Vice President Age Care New Delhi, Mr. P. Vyasmoorthy ISU3As Hyderabad, Mr Hanumantha Rao Vice President AISCCON Hyderabad, who presented very useful information on the theme of Conference.

In Valedictory session feedback, declaration and resolutions of the conference were pronounced. In a nut-shell, those who did not attend this conference have missed a golden opportunity to have healthy & useful feeds for their brains.

Satpal Singh
Zonal Secretary, Central Zone, ISU3As Lucknow, U.P.

SHIVAJI

COL. R. N. KALRA (RETD.)

How little most of us know about this well-known warrior of our own is an eye opener to learn from the views of victors and known warriors of his times who dared to face him and suffered as well as what eminen leaders have said from time to time about him .

Had Shivaji been born in England, we would not only have ruled earth but the whole Universe

--Lord Mountbatten, England

If India needs to be made independent then there is only one way out, "Fight like Shivaji"

--Netaji Subhashchandra

Netaji, your country do not require any Hitler to throw out British, all you need to teach is Shivaji's history. -- Adolf Hitler

Shivaji is just not a name,it is an energy source for Indian youth, which can be used to make India free. -- Swami Vivekananda

Had Shivaji been born in America, we would nomenclared him as SUN. --Barrack Obama

Had Shivaji lived for another ten years, the British would not have seen the face of India.

-- A British Governor

From Kabul to Kandahar my Taimur family created the Mogul Sultanate. Iraq,Iran,Turkistan and many more my army defeated ferocious Warriors. But in India Shivaji put brakes on us.

I spent my maximum energy on Shivaji but could not bring him to my knees.

Ya Allah, you gave me an enemy, feerless and upright, please keep your doors to heaven open for him because the world's best and large hearted warrior is coming to you.

--Aurangzeb (After Shivaji's death while reading Namaz)

That day Shivaji just didn't chop of my fingers but also chopped off my pride. I fear to meet him even in my dreams. --Shahista Khan

Is there no Man left to defeat Shivaji in my kingdom. - Frustrated Begum Ali Adil Shah

In 17th century in Europe a famous and leading newspaper by name "London Gazette", mentions Shivaji as the "The King of India", but unfortunately his untimely death at young age changed the pages of history books. Shivaji was King with International fame In span of 30 yrs of his career he fought with only two Indian Warriors well known all the others were outsiders.

Shahista Khan who feared Shivaji even in his dreams was King of Abu Taliban and Turkistan. Behlolkham Pathan, Sikandar Pathan, Chidarkhan Pathan were all warrior sardars of Afghanistan. Dilerkhan Pathan was the great warrior of Mangolia. All of them bitted dust in front of Shivaji.

Sidhhi Jowhar and Sidhi salaba to Khan we're Iranian Warriors who got defeated Sidhhi Jowhar later resorted to sea fort and became difficult for which Shivaji raised navy, the first Indian Navy but before accomplishing the task Shivaji left this world.(He was poisoned).

The most famous war of Umberkhind has its mention in Guinness book of world record where in Kartalab Khan from Uzbekistan (Russia) was defeated with his 30,000 soldiers by mere 1000 mawalas.

Not a single Uzbeki was left alive to return back home.

Dear friends, please Google " Shivaji the Management Guru" a full Subject in Boston University. So much respect for an Indian Hindu king.

नववर्ष मिलन समारोह

इं. अमरनाथ
प्रधान संपादक

लखनऊ कुर्सी रोड पर टेढ़ी पुलिया से लगभग दो किलोमीटर की दूरी पर स्थित जेनेसिस क्लब से सटे गोयल फार्म हाउस पर 07 फरवरी, 2018 को भारतीय वरिष्ठ नागरिक समिति (भावना) ने नववर्ष-मिलन समारोह आयोजित किया। भावना के संसाधन प्रकोष्ठ के संयोजक और सम्प्रेक्षक इं. मनोज कुमार गोयल के इस निजी फार्म हाउस पर उनकी पत्नी श्रीमती अर्चना गोयल ने, जो भावना की महिला सशक्तिकरण प्रकोष्ठ की सचिव भी हैं, पूरे तन-मन-धन से इस आयोजन की मेजबानी की। श्री मनोज कुमार गोयल का हाथ बँटाने के लिए श्री नरेन्द्र देव, श्री एस.एन. अग्रवाल, एस.एन. गोयल, एन.सी. मित्तल, श्री टी.एन. कन्नौजिया जी आगे बढ़े।

भावना के अध्यक्ष श्री विनोद कुमार शुक्ल द्वारा दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारम्भ किया गया। भावना के सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के सचिव, साहित्यभूषण श्री देवकी नन्दन शांत, जो स्वयं में एक अच्छे शायर भी हैं, ने इस आयोजन का संचालन किया। उन्होंने सभी को नववर्ष की शुभकामनायें देते हुए कहा- हो या न हो, जरूर यह नववर्ष आ रहा, सुख, शान्ति, शौर्य, क्रांति को जो साथ ला रहा। संसार में कहीं भी, अंधेरा रहे न शान्त, इन्सानियत के सोच का सूरज उगा रहा। श्री उदयभान पाण्डेय एवं श्री देवकी नन्दन शांत जी ने वाद्ययंत्रों की धुन पर फिल्म बैजू बावरा का प्रसिद्ध गीत 'तू गंगा की मौज मैं, गंगा की धारा' तथा 'अकेली मत जइयो री, राधे तू जमना के तीर' सुना कर पूरे सभागार का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। 'ये नए साल चलो एहतराम कर लें जरा, पुराने साल का किस्सा तमाम कर लें जरा' के द्वारा श्री उदय भान पाण्डेय ने सभी को नए साल के आगमन की बधाईयाँ दी। उन्हीं के द्वारा, 'पांव कभी न डिगने पाए, ओ! भारत के वीर जवान' जब सुनाया गया तो पूरे फार्म हाउस में राष्ट्रभक्ति की लहर दौड़ गई। यह रचना 19 नवम्बर 2017 को जबलपुर में आयोजित राष्ट्रीय शौर्य काव्य सम्मेलन में भी श्री पाण्डेय जी द्वारा सुनाई गई थी और उसी अवसर पर प्रकाशित स्मारिका राष्ट्रीय शौर्य काव्य चेतना में प्रकाशित भी हुई। श्री मनोज कुमार गोयल जी ने सभी मेहमानों का स्वागत करते हुए तथा नववर्ष की बधाई देते हुए कहा कि-

'हर किसी को खुश रख सकूँ वो तरीका मुझे नहीं आता
जो मैं नहीं हूँ वैसे दिखने का सलीका मुझे नहीं आता
दिल में कुछ, और जुबां पर कुछ, ये बाजीगरी का कमाल मुझे नहीं आता।'

फिर कहा कि 'रिश्तों की डोरी तब कमजोर होती है, जब इंसान गलत फहमी में पैदा होने वाले सवालों का जवाब खुद ही बना लेता है।

श्री दीपक कुमार पंत जी द्वारा फिल्म बैजू बावरा का प्रसिद्ध गीत 'बचपन की मुहब्बत को दिल से न जुदा करना...' जब अपनी सुमधुर आवाज में सुनाया तो पूरा सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूँज उठा। प्रसिद्ध पर्यावरणविद् एवं समाजसेवी श्री चन्द्रभूषण तिवारी जी द्वारा सुनाए गए जन कल्याण की भावना से ओतप्रोत गीत को -

'इस धरती पर, इस धरती पर, बनूँगा मैं एक अच्छा इंसान, इस धरती पर। सबको मेरा प्रणाम, इस धरती पर' सभी ने मुक्त कंठ से सराहा। इसके बाद ही उन्होंने दूसरा गीत 'यह दुनिया पागल खाना है' सुनाकर जनमानस की तालियां बटोरी। भावना के ही सदस्य कवि डॉ. श्रीकृष्ण सिंह अखिलेश द्वारा 'जाने कितनी देर लगा दी, तुमने आने में' सुनाया तो सभी मंत्रमुग्ध हो गए। श्री जगमोहन लाल जायसवाल जी ने 'जब से घनश्याम इस दिल में आने लगे, तब से न जाने, क्या-क्या रंग दिखाने लगे' को गुनगुना कर सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। श्री अमरनाथ जी द्वारा सभी को नववर्ष की बधाई देने हेतु गीत सुनाया गया 'शुभ, शुभ, शुभ हो, मंगलमय हो, नया वर्ष यह, सदा आपको।' इसी फार्म हाउस पर काम करने वाले श्री बलवंत रावत जी द्वारा बांसुरी का सुमधुर वादन करके सभी का मन मोह लिया। भावना के अध्यक्ष श्री विनोद कुमार शुक्ल जी द्वारा गाये गए गीतों को सभी ने सराहा। श्री प्रभात कुमार चौरसिया जी ने हास्य-व्यंग्य की फुलझड़ियाँ छोड़ते हुए कहा कि- झूठों ने झूठों से कहा, सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है, सच बोलो।

घर के अंदर झूठों की एक मंडी है, दरवाजे पर लिखा हुआ है, सच बोलो।

फिर सभी को नववर्ष की बधाई देते हुए चौरसिया जी बोले -

नये इस साल में सबको यही इक बात कहना है।
बदलते दौर की तल्खी से अब महफूज रहना है।
दुआ देता नहीं मैं, आपको फूलो व फलने की
दुआ ये है, सभी को साल भर नीरोग रहना है।'

वास्तव में यही सच्ची दुआ है, वरिष्ठ नागरिकों के लिए। उनके फलने-फूलने के दिन तो लद चुके, अब केवल स्वस्थ

रहने की तमन्ना ही शेष है। सही है सच्चा चौ-रस, जो चौरसिया जी द्वारा बरसाया गया।

भावना के अध्यक्ष जी द्वारा सामान्य ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों से सम्बन्धित एक प्रश्नावली रखते हुए सभी के सामान्य ज्ञान की परीक्षा ली गई। कोई भी सदस्य पुरस्कार पाने की श्रेणी में नहीं पहुंच सका। श्रीमती अर्चना गोयल एवं श्रीमती रेखा मित्तल जी द्वारा एक लघु हास्य नाटिका का आयोजन किया गया, जिसमें वरिष्ठ नागरिक बन चुके दम्पत्ति को वर-वधू के रूप में सात फेरे लेने और एक दूसरे को जयमाल पहनाने तथा अन्य वैवाहिक रीति-रिवाज पूरे करने में उनके द्वारा लिये गये समय की जांच की गई। जिसने सबसे कम समय लिया वह प्रथम पुरस्कार पाने वाली दम्पत्ति श्री/श्रीमती आर.के. जैन की थी। इसी क्रम में दूसरे तथा तीसरे स्थान पर रहने वालों में श्री देवकी नन्दन शांत तथा श्री उदयभान पाण्डेय जी का युगल रहा। इस नाटिका में भाग लेने वाले अन्य युगल थे-श्री सत्यनारायण गोयल, श्री आर.के. चुघ, श्री राजदेव स्वर्णकार।

कार्यक्रम के समापन पर भावना के सदस्य श्री हरीश चन्दर द्वारा अपनी ओर से कुछ पुरस्कार वितरित किए। सबसे अधिक उम्र वाले उपस्थित सदस्य डॉ. श्रीकृष्ण सिंह अखिलेश, (पुरूष वर्ग), श्रीमती रेखा मित्तल (महिला वर्ग) कार्यक्रम की संयोजिका श्रीमती अर्चना गोयल, संचालक श्री देवकी नन्दन शांत, विशेष पुरस्कार श्री विनोद कुमार शुक्ल, श्री मनोज कुमार गोयल जी को प्रदान किया गया।

यह समारोह यद्यपि भारतीय वरिष्ठ नागरिक समिति द्वारा ही आयोजित था, लेकिन इसकी भव्यता और सफलता का अधिकांश श्रेय श्री मनोज कुमार गोयल और उनके हृदय की अर्चना, श्रीमती अर्चना गोयल को जाता है। निरन्तर चलता हुआ नाश्ते का दौर एवं लजीज भोजन की व्यवस्था करना, दिलों को सहेजते हुए सभी का स्वागत करना इस दम्पत्ति से सभी को सीखना चाहिए। पलक पांवड़े बिछाने वाली कहावत को मूर्त रूप लेते हुए यहीं पर देखा। श्री देवकी नन्दन शांत जी का सधा हुआ संचालन सभी को मंत्रमुग्ध कर रहा था। इस आयोजन को सफलतम बनाने हेतु आगे बढ़ने वाले श्री नरेन्द्र देव, श्री एस.एन. अग्रवाल, एस.एन. गोयल, एन.सी. मित्तल, श्री टी.एन. कन्नौजिया भी पूरे मनोयोग से जुटे रहे। सभी उपस्थित सदस्यों ने अत्यन्त उत्साह से भागीदारी करके इस कार्यक्रम को सफलता के उच्चतम सोपान तक पहुंचाया।

नववर्ष मिलन, होली मिलन समारोह पर सांस्कृतिक कार्यक्रम करने वाले कुछ सदस्य (जिनके फोटो उपलब्ध हो सके)

कोमल प्रसाद वार्ष्णेय

वी.के. शुक्ला

डॉ. नरेन्द्र देव

एम.के. गोयल

देवकी नन्दन 'शांत'

उदय भान पाण्डेय

अशोक मेहरोत्रा

प्रभात किरण चौरसिया

दीपक कुमार पंत

चन्द्रभूषण तिवारी

डॉ. श्रीकृष्ण सिंह अखिलेश

श्री जगमोहन लाल जायसवाल

अमरनाथ

श्रीमती अर्चना गोयल

श्रीमती रेखा मित्तल

भारतीय वरिष्ठ नागरिक समिति(भावना) का होली मिलन समारोह

इंजी.अमरनाथ, प्रधान संपादक

भावना ने अपना होली मिलन समारोह १३ मार्च को डिप्लोमा इंजी.संघ, उ.प्र. के संघ भवन, लखनऊ में सोल्लास मनाया। साहित्य भूषण एवं प्रसिद्ध ग़ज़लकार इंजी. देवकी नंदन शांत जी के कुशल संचालन एवं इंजी. अशोक मेहरोत्रा जी के सह-संयोजन में यह आयोजन पूरी भव्यता के साथ सम्पन्न हुआ। होली की विशेष मिठाई गुझिया, गरमागरम पकोड़ियाँ, शानदार ठंडाई के लजीज नाश्ते के साथ सभी सदस्यों का स्वागत करते हुए होली की प्रेममयी शुभकामनायें अर्पित की गई।

इंजी.अशोक मेहरोत्रा, श्रीमती रेखा मित्तल तथा इंजी.शांत जी द्वारा सरस्वती वंदना के पश्चात भावना के संकल्प गीत 'भावना सहयोग सेवा, स्वाबलंबन से चले' के सामूहिक गायन के बाद होली का रँगारंग कार्यक्रम का शुभारम्भ श्री शांत जी द्वारा, 'सबको मुबारक होली' गाकर किया गया। भावना के संरक्षक इंजी.के.पी.वार्ष्णेय जी द्वारा भावना परिवार की ओर से सभी को होली की शुभकामनायें व्यक्त करते हुए बरसाने में होने वाली लट्ठमार होली के बारे में सविस्तार बताया गया। सांस्कृतिक प्रकोष्ठ की टीम की सदस्य श्रीमती अर्चना गोयल, श्रीमती रेखा मित्तल, श्रीमती दया शुक्ला, श्रीमती उषा जी द्वारा होली गीत का सामूहिक गायन किया गया जिस पर श्रीमती रेणु जी ने मनोहारी नृत्य पेश कर सबके मन को मोह लिया। श्रीमती नीना गुप्ता जी ने सुन्दर भजन सुनाकर सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। श्रीमती विमला तिवारी जी द्वारा होली पर एक सुन्दर गीत पेश किया गया।

लाल गुलाल रंग डालो रे, होली आई रसिया।
लाल रंग डालो, गुलाबी रंग डालो-२
क्सरिया रंग सिर डालो रे, होली आई रसिया।
होली खेलन शंकर जी आए-२
शंकर जी आए, संग गौरा जी को लाए
आए कैलाश के सारे रसिया, होली आई रसिया।
होली खेलन कान्हा जी आए-२
कान्हा जी आए, संग राधा जी को लाए
आए ब्रज के सारे रसिया, होली आई रसिया।
होली खेलन श्रीराम जी आए-२
श्रीराम जी आए, संग सीता जी को लाए
आए अवध के सारे रसिया, होली आई रसिया।
लाल गुलाल रंग डालो रे, होली आई रसिया।

श्री दीपक कुमार पंत जी ने अपनी मधुर आवाज में फिल्मी गाने सुनाये। श्रीमती अर्चना गोयल, श्रीमती रेखा मित्तल, श्रीमती उषा कपूर द्वारा एक हास्य लघु नाटिका 'अक्लमंद नौकर' प्रस्तुत की जिसमें श्रीमती रेखा मित्तल अक्लमंद नौकर, श्रीमती उषा कपूर मालिक तथा श्रीमती अर्चना गोयल डाक्टर बनी। श्री शांत जी द्वारा बसंत आगमन पर, 'द्वार पर आया बसंत..' गाकर सबका मनमोह लिया। श्री अशोक मेहरोत्रा जी द्वारा कैसी बंशी बाजी, रंग खुशियों के आपके जीवन में बरसाए, होली खेलन आयो री, मेरो बारों सौ कन्हैया' आदि सुमधुर गीत गाकर सबको होली के रंग में रंग दिया। श्री अमरनाथ ने अपनी युवावस्था की प्रेमिका की आँखों के सौन्दर्य को याद करते हुए एक गीत सुनाया- देखा है, फिर देखेंगे, सरकार तुम्हारी आँखों में। उसके बाद दो मुक्तक के माध्यम से मीठी बोली सुनने से होनें वाली हानियों का वर्णन किया। 'सुन सुन तेरी मीठी बोली, मधुमेह मुझे हो जाता है। भावना के वरिष्ठ उपाध्यक्ष इंजी.श्री सुशील शंकर सक्सेना जी द्वारा 'जिधर लोग चलने का साहस न करते, उसी पथ पर चलना हमें आ गया है।' इसके बाद 'बच्चे बूढे और जवान, रिश्तो नातों की हमजोली' गाकर सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। श्री शांत जी ने नंदलाला होली खेले ब्रज में गाकर एक बार फिर सबको मोह लिया। श्रीमती वार्ष्णेय जी ने अपनी मधुर आवाज में 'होली कैसे

खेलूँ री! सँवरिया के संग.? गाकर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। श्री प्रभातकुमार चौरसिया जी ने कुछ हास्य-व्यंग्य की फुलझड़ियाँ छोड़कर एक अति सुन्दर गीत सुनाया।

राधिका के गाल पै, गुलाल जो लगान चलै, कान्हा देख्यो गाल तो गुलाल बिन लाल है।
पूछत है गोरी कैसे ये कौतुक भयो, मौसे पैले कौन तोहे, मल गयो गुलाल है?
मद भरी चितवन, चितचोर ओर डारि कै, बोली राधा, साँवरै तिहारो ही कमाल है।
श्याम छवि नैन बसी, श्याम रोम रोम में, श्याम रंग डूबि के, कपोल भये लाल है।।

इसके बाद श्री प्रेमचंद तिवारी जी ने होली के दोहे और मुक्तक सुनाये। भावना के अध्यक्ष श्री विनोद कुमार शुक्ल जी ने प्रसिद्ध फिल्म 'दो आँखें, बारह हाथ' के लोकप्रिय भजन 'ऐ मालिक तेरे बंदे हम..' पर आधारित पैरोडी जब सुनाई तो पूरा सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूँज उठा।

ऐ मालिक तेरे बंदे हम। किए ऐसे क्या हमने करम?
ये जो नेता दिए, सभी हैं बहुरूपिए, इनमें से कुछ तो कर दे तू कम।
अथवा सबको ही कर दे खतम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम।।
ये इलेक्शन है फिर आ रहा, तेरा वोटर भी घबरा रहा
हो रहा बेखबर, वोट डाले किधर, वोट देके पछता रहा।
कोई ज्यादा तो, कोई है कम। लूट चोरी है इनका है धरम।
ऐ मालिक तेरे बंदे हम।।

इस कार्यक्रम का आयोजन यद्यपि भारतीय वरिष्ठ नागरिक समिति द्वारा किया गया था लेकिन इसके संयोजन के मुख्य सूत्रधार श्री देवकीनंदन शांत, श्री अशोक मेहरोत्रा, श्री उदयभान पाण्डेय तथा भावना का समूचा सांस्कृतिक प्रकोष्ठ था। श्री विनोदकुमार शुक्ल, श्री प्रेमशंकर गौतम,श्री आदित्यप्रकाश सिंह, श्री जगमोहनलाल वैश्य, श्री लक्ष्मीकांत झुनझुनवाला, श्री दिनेशचन्द्र वर्मा तथा श्री दिनेशचन्द्र वार्ष्णेय जी की आर्थिक मेजबानी से जीवन्त यह आयोजन स्वादिष्ट रात्रि सहभोज के बाद समाप्त हुआ।

इंजी. सुशील शंकर सक्सेना,
(वरिष्ठ उपाध्यक्ष, भावना)

होली बच्चे, बूढे और जवान, रिश्ते नाते, हमजोली।
ले पिचकारी हाथ में, निकल पड़ी मस्तों की टोली।
लाल हरे, नीले पीले, रंगों की हो रही बौछार।
मुबारक हो, मुबारक हो, सभी को होली का त्योहार।।
अबीर गुलाल लिए हाथों में, दिल में ले के प्यार
ढूँढ रहे हैं अपनी अपनी प्रेमिका, नहीं होता अब इंतजार।
लगा गुलाल गालों पर, डाल रंगों की बौछार
हर कोई करना चाह रहा, अपने प्यार का इजहार।
मुबारक हो, मुबारक हो, सभी को होली का त्योहार।।
हमको भी यारों! हो गया, अपनी भावना से प्यार
गले मिलकर आओ करें, अपने प्यार का इजहार।
बीच में आये न कभी, कटुता की दीवार
सुखदुख मेंएकजुट रहें, यह भावना परिवार।
हर दिल में हो मानवता, हर दिल में हो प्यार।
मुबारक हो, मुबारक हो, सभी को होली का त्योहार।।

पर्व होली का
-डॉ.किरण मराली, लखनऊ

आज पर्व है होली का, सभी खेलते है रंग रोली।
तुम क्यों सुस्त बैठे हो, आओ, हम सब खेले संग होली।
सब सखियाँ मिल हुड़दंग करती, सबको रंग लगाती है।
आज न कोई बाप है भइया, सभी हमारे हैं संगतिया
कोई कहता मर्यादा का, ध्यान जरा सा रख लो
रंगों से पुते ये चेहरे, एक ही जैसे लगते हैं।
एक ही रिश्ता आज है सबसे, सब पर रंग डालो, और हँस लो
आज किसी को छोड़ेंगे नहीं, सबको रंग में रंग देंगे।
खुशियाँ आज मना लें खुलकर, हँसकर सबको गले लगा लें।
आज जहाँ भी मौका मिल गया, रंग की वहीं पुताई कर देंगे।
आज उन्मुक्त होली का दिन है, हँसेंगे, गायेंगे, खेलेंगे होली।
साल भर के बन्धन को हम आज तोड़कर नाचेंगे।
रंग से सराबोर कर देंगे, झूमझूम कर गायेंगे।
होली का दिन सबसे सुन्दर, आज मना लो जी भरकर।
मन भर कर गुझिया सब खाओ, मालपुआ को खूब उड़ाओ
ढेर उड़ाओ लाल गुलाल।

'मुसल्लस ग़ज़ल : होली मुबारक हो'

उदयभान पाण्डेय 'भान'

मुबारक हो, जो होली का, मदिर त्यौहार आया है
ज़माने भर की खुशियाँ लेके अपने द्वार आया है

जलाकर होलिका में हम सभी की नफ़रतें सारी
लिए पिचकारियों में प्यार की बौछार आया है

हुये हैं लाल ये रुख़्सार रंगों से, गुलालों से
फ़िज़ाँ में फागुनी मस्ती लिए दमदार, आया है

सजे हैं थाल मिष्ठानों से, गुझिया से, इमरती से
खिलाने के लिए दिल में, लिये मनुहार आया है

मिले जो भंग थोड़ी सी ये ठंढाई ग़ज़ब ढाती
सबब गुस्ताख़ियों का लेके फिर इक बार आया है

हुआ रंगीन आने से तेरे, त्यौहार ये, वरना
हमारी ज़िन्दगी में, यूँ तो बारम्बार आया है

भुलाकर सब गिले-शिकवे,चलो मिल लें गले सबसे
यही पैग़ाम लेकर 'भान' का किरदार आया है।

होली में मजा

-अमर नाथ

किसी शायर को मिलता, अपनी ग़ज़ल सुनाने में।
मजा सदा पनखव्वा पाता, जो पान के चबाने में।
मजा भंगड़ी को जो मिलता, बस भांग को चढ़ाने में
मिलता गालों को बुढ़िया के, वो, रंगीन बनाने में।।

मजा मिले है जो खुजियल को, अपना दाद खुजाने में
मजा सदा पाता जो आशिक, माशूक को पटाने में
चुपके-चुपके पर-नारी से, मिलता नैन लड़ाने में।
वही मजा पाता है पति भी, बीबी के धमकाने में।।

होली के रंग

- डा.निधि अग्रवाल, झांसी

नीले रंग की नादानी, पीले रंग के गीत लिए।
हरा रंग हर्षाय जीवन, लाल ललितमयी प्रीत लिए।
नोंक झोंक नारंगी मृदुल, गुलाबी सा अहसास लिए।
रंग बिखेरे इन्द्रधनुष से, शुभ खुशियों का उजास लिए।।

सबको मुबारक होली, फागुन रुत शुभ अलबेली
घर-घर आँगन अबीर उड़त है, गलियाँ रंग-रंगोली
तुम रंग लो सब अपने रंग में, अपने मन की चोली
सबको मुबारक होली

- देवकी नन्दन 'शांत'

चलो इक बार फिर से हम गले लग जायँ होली में...
न मैं तुमसे ये पूछूँगा कि तुमने साथ क्यों छोड़ा
न तुमये सोचना शीशा-ए-दिल कब किसने क्यों तोड़ा
न हम चर्चा करेंगे भूलकर भी तल्ख मुद्दों पर,
करें हम शुक्रिया उनका जिन्होंने फिर हमें जोड़ा
चलो इक बार फिर से हम गले लग जायें होली में...

हमारे सोच का हो दायरा विस्तृत गगन जैसा
हमारे प्यार की खुशबू का झोंका हो पवन जैसा
हम आदर एक दूजे का सदा से करते आए हैं
हमारा भाव सम्बोधन भी हो बिल्कुल नयन जैसा
चलो इक बार फिर से हम गले लग जायें होली में...

क्षमा इक दूसरे को करके माफी माँग लें हम तुम
घरों में कब तलक बैठे रहेंगे हम यूँ ही गुम-सुम
कभी गुस्से से बेकाबू थे लेकिन अब हँसें खुलकर
हमारे भाल पर होली ने रख दी नेह की कुम-कुम
चलो इक बार फिर से हम गले लग जायँ होली में...

रंगों में 'शान्त' होली के हर इक चेहरा बदल जाए
मगर भीतर ही भीतर मोम सा पत्थर पिघल जाए
ये होली-ईद-दीवाली के मौसम का तकाजा है-
कि मनुहारों से बहका हर कदम खुद ही सँभल जाए
चलो इक बार फिर से हम गले लग जायें होली में...

होली का संदेश

- इं.बिमल कुमार, बिहार

रंग से हो पूर्ण यौवन, नूर से अभिसिक्त जीवन
बाँटती संदेश होली, पूज्य हो रससिक्त जीवन।
कंठ से आ, सद्य पिक यह, प्रेम मय मृदु गान गाती
इस धरा पर भार ही है, प्रेम से यदि रिक्त जीवन।।१।।
रंग की सौगात होली, नेह मय हर रात होली
वंद्य उर आनन्द होली, प्रीत की बारात होली
निंद्य जड़ता काटती, औ' मुक्त है खुशियाँ लुटाती
चेतना का गान होली, गंध मृदु बरसात होली।।२।।
राग का अनुराग का है, रंग का त्योहार होली।
मरु यौवन का सुवासित, रति-मदन अभिसार होली।
है प्रकृति की दुंदुंभि, यह, रुक्षता को धर लताड़े
सुप्त बैठे तंतुओं में रक्त का संचार होली।।३।।

विरहन की होली

विरही जोगन मैं पिया, बनी रही अति दीन।
मिलते नैनन जब पिया, बैन रही मधु बीन।।
पिया पधारे अँगनवा, सौंधी मन की बात।
लागे बिखरन सपनवा, झूम रही अब रात।।
देखो मद्धम चँदनियाँ, पहरा धवल उजास।
पवन करे अठखेलियाँ, छितरा नेह सुवास।।
मन वीणा बजने लगी, मीठे हैं सब गान।
अकथ कथा सुनने लगी, छेड़ी कैसी तान।।
थी अब तक तृषित सरिता, प्रेम पिवन की आस।
सकल मधुर सा घुल रहा, छाया मदन विलास।।
साँसों की स्वर लहरियाँ, रचती अनहद नाद।
हैं प्रस्फुटित हृदयकलियाँ, पिया मिलन के बाद।।
मधु सुर फिर बजने लगे, अनंत स्वर के राग।
सपने है मन बावरे, खेलें नच-नच फाग।।
है पल में सुख मिलन का, दामन भर किल्लोल।
इसका तोलूँ मोल क्या, निधि सब दूँ मैं तोल।।

- श्रीमती स्मिता-श्री, बिहार

होली

- श्रीमती शशि शर्मा 'खुशी'

सखी सहेली,करें ठिठोली, करती है वे कलोल
रंगों की है आई होंली, हवेली के पट खोल।
मैं न खेलूँअपने पिया बिन,चाहे जोर लगा लो
आते होंगे प्रीतम प्यारे,धड़कन रही है बोल।।

दिल

फेंकती वो दिल को, फुटबाल की तरह
प्यार लिखे फेसबुक, की वॉल की तरह।
वे बेवफा, बेयकीं, आवारा बनीं
प्यार वो बदलती रोज शॉल की तरह।। - अमरनाथ

आई होली

- श्रीमती प्रतिभा यादव दीवानी

नवरंग अपने साथ लिए, देखो आई होली
सब दिलों में अनुराग लिए, देखो आई होली
मधुर रुनझुन झंकार लिए, मयूर मन का बोले
पिय का बसंती प्यार लिए, देखो आई होली।।

होली

लुटाती रंग मधुमासी, हृदय रसबोर होली में।
फड़कते प्रीत के बस हो, अधर के कोर होली में।
प्रकृति के सात रंगों से, सुशोभित गात प्रेमी के।
बनी है आज रति, राधा, मदन चितचोर होली में।।

श्रीमती अनुराधा अमरनाथ पाण्डेय, किशन गंज, बिहार

सराबोर बरसाना है।
वार पर वार पिचकारियों की धार का है,
लोक लाज को न मिला, होली में ठिकाना है।
दृश्य देखने को रहे तरस सुरेश अति,
इतना गुलाल ने सघन छत्र ताना है।
श्याम राधिका की टोलियों में होड़ ऐसी लगी
जाना न किसी ने पग पीछे को हटाना है।
आज प्रात ही से रस रंग रँगा गोकुल है
और भोर से ही, सराबोर बरसाना है।।

श्री अशोक कुमार पाण्डेय 'अशोक',लखनऊ

करवा चौथ-

करवा चौथ के व्रत पर कुछ भारतीय सुहागिनों ने अपने पति की आयु वृद्धि के लिए व्रत रखा। एक ने अपने अंधे पति के पैर छूते हुए भगवान से जन्म-जन्मान्तर तक ऐसे ही पति की कामना कर डाली। दूसरी औरत का पति लूला था। दोनों हाथ कटे हुए थे। उसने भी उसके पैरों में फूल अर्पित करते हुए उसके दीर्घ जीवन की कामना की। तीसरी सुहागिन का पति लंगड़ा था। पैर धूल में बुरी तरह से सने हुए थे। चन्द्रमा निकल रहा था। भूखप्यास से व्याकुल उसने अपने पति के धूलधूसरित पैरों को थाली में रखकर धोया और फिर चरणामृत समझते हुए पी गई। चौथी सुहागिन तेजतर्रार थी। दबंग और फर्राटा। उसका पति निकम्मा था। हर समय घर में पड़े रहना और छोटे से छोटे काम से भी जी चुराना। व्रत तोड़ने का समय हो चुका था। पतिदेव कमरे में गहरी नींद सोए पड़े थे। उसने बड़बड़ाते हुए कमरे में प्रवेश किया और झकझोरते हुए उठाते हुए बोली, 'उठो! संडराते रहते हो हर वक्त, सांड की तरह। काम के न काज के। अपने पैर नीचे उतारो, मुझे इनको छूकर अपना व्रत तोड़ना है। हे राम! तुम ही लिखे थे मेरी तकदीर में। ऐसे खसम से तो क्वारी ही भली थी। भगवान जाने कब पीछा छूटेगा?

क्या है जीडीपी, क्या हैं इसके मायने?

किसी देश में एक साल में कृषि, उद्योग और सेवाओं के रूप में कितना उत्पादन हुआ? उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है? यह जानने का प्रचलित तरीका सकल घरेलू उत्पादन (ग्रॉस डोमेस्टिक प्रॉडक्ट) यानी जीडीपी है।

किसी देश में एक निश्चित अवधि में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य (रूपये के हिसाब से मूल्य) को जीडीपी कहते हैं। हालांकि जीडीपी का आंकलन करते वक्त सकल मूल्यवर्द्धन यानी जीवीए में टैक्स को जोड़ दिया जाता है और इसमें से सब्सिडी को घटा दिया जाता है। जीडीपी दो प्रकार से व्यक्त होता है-प्रचलित मूल्य यानी वर्तमान कीमतों पर और स्थायी मूल्य यानी आधार वर्ष पर (जैसे 2011-12 के मूल्य स्तर पर)। जीडीपी जब स्थायी मूल्यों पर होता है तो उसमें से मुद्रास्फीति के प्रभाव को हटा दिया जाता है। यही वजह है कि जब किसी तिमाही या वर्ष में जीडीपी वृद्धि स्थायी मूल्यों पर व्यक्त की जाती है, तो उसे 'विकास दर' कहते हैं।

संयुक्त राष्ट्र राष्ट्रीय लेखा प्रणाली (यूएनएसएनए) के तहत सभी देश अपने यहां राष्ट्रीय उत्पादन या कहें राष्ट्रीय आय की गणना के लिए जीडीपी का तरीका अपनाते हैं। हमारे देश में केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) जीडीपी की गणना करता है। सैद्धांतिक तौर पर जीडीपी गणना तीन आधार-उत्पादन, आय और व्यय पर होती है। सीएसओ के मुताबिक 'जीडीपी एक संदर्भ अवधि में अर्थव्यवस्था के लिए सभी निवासी उत्पादक इकाइयों के सकल मूल्य वर्द्धन (जीवीए) का कुल योग होता है। इससे स्पष्ट है कि जीडीपी समझने के लिए तीन बातों-'संदर्भ अवधि', निवासी उत्पादक इकाइयां' और 'सकल मूल्य वर्द्धन को समझना' जरूरी है। संदर्भ अवधि से आशय तिमाही या वित्त वर्ष से है, जो एक अप्रैल से अगले साल 31 मार्च तक होता है। वित्त वर्ष चार तिमाहियों-अप्रैल से जून, जुलाई से सितंबर, अक्टूबर से दिसंबर और जनवरी से मार्च-तक होता है और प्रत्येक तिमाही के लिए जीडीपी के अलग आंकड़े आते हैं। उदाहरण के लिए 28 फरवरी को जीडीपी में 7.2 प्रतिशत वृद्धि का जो आंकड़ा सीएसओ ने जारी किया वह चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही (अक्टूबर-दिसंबर) का था। इस तरह इसमें संदर्भ अवधि तीसरी तिमाही थी। ध्यान देने वाली बात यह है कि जीडीपी में वृद्धि का यह आंकड़ा वित्त वर्ष 2017-18 की तीसरी तिमाही के जीडीपी की तुलना वित्त वर्ष 2016-17 की तीसरी तिमाही के जीडीपी से कर के ज्ञात किया गया। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप इस साल किसी तिमाही के जीडीपी वृद्धि के आंकड़े पर गौर कर रहे हैं तो उसकी तुलना पिछले साल की समान तिमाही से ही करनी होगी क्योंकि पूर्व तिमाही से तुलना करने पर विसंगति आ जाती है।

अब हम 'निवासी उत्पादक इकाइयों' का अर्थ समझते हैं। दरअसल जब व्यक्ति या कंपनी भारत में छह माह से अधिक रहते हैं और उनका मुख्यतः आर्थिक हित भारत में ही है तो उन्हें निवासी इकाइयां माना जाता है। यहां यह जानना जरूरी है कि निवासी उत्पादक इकाई की परिभाषा में आने के लिए भारतीय नागरिक या भारतीय कंपनी होना जरूरी नहीं है। उदाहरण के लिए यदि कोई अमेरिकी कंपनी भारत में अपना कारखाना लगाती है तो उसका उत्पादन भारत के जीडीपी में शामिल होगा। अब हम 'सकल मूल्य वर्द्धन' को समझते हैं क्योंकि जीवीए में टैक्स को जोड़ने और सब्सिडी को घटाने पर ही जीडीपी का आंकड़ा प्राप्त होता है। दरअसल जब किसी उत्पाद के मूल्य से उसकी इनपुट लागत को घटा दिया जाता है तो जो राशि बचती है उसे जीवीए कहते हैं। उदाहरण के लिए अगर कोई कंपनी 20 रुपये में ब्रेड का पैकेट बेचती है और इसे बनाने में 16 रुपये का इनपुट इस्तेमाल होता है तो उस स्थिति में जीवीए चार रुपये माना जाएगा। इस तरह भारत में अर्थव्यवस्था के तीन सेक्टर-प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक को मुख्यतः आठ क्षेत्रवार समूहों में विभाजित कर जीवीए का अनुमान लगाया जाता है।

दैनिक जागरण - 12.3.18

वृक्ष कल्याणम्

– आई.के. भारद्वाज

मित्रों, व्यस्त सड़क के किनारे छाया देते वृक्ष को देखो, उसके नीचे रोजी रोटी के लिये बैठे किसी नाई...मोची को ध्यान से देखो...पेड़ उनके लिये दुकान है रोजी-रोटी है। तेज धूप बरसात में भाग कर पेड़ के नीचे शरण लेती अस्त व्यस्त भीड़ को देखो.... देखकर भी शरण लेकर भी पेड़ को धन्यवाद न देते लोगों पर सोचो। कस्बों...गांवों... शहर के अन्जान बसे इलाकों में पेड़ के नीचे झोपड़ी बनाये गरीबों को देखो, पेड़ उनका आश्रयदाता है। फलदार पेड़ों को देखो...फलदार वृक्ष रोजी...रोटी...मकान...दुकान... सब कुछ है।

भारतवर्ष गरीबों का देश है...चन्द अमीर दूरदर्शिनी ख्वाब जैसे हैं। अमीर, अमीरी के लिए काम करते राजनीतिज्ञ और नौकरशाह गरीबों के लिए सपने बेचते हैं...हकीकत में पेड़ों के विषय में गम्भीर नहीं हैं। देश के अधिकांश लोग इतने गरीब हैं कि वे न तो रोजी-रोटी के लिए दुकान खरीद सकते हैं...न सिर छिपाने के लिए मकान।

यह मत भूलो कि पेड़ लगाना केवल रोजी-रोटी मकान ही देता है पेड़ लगाने से लोगों ने शासन सत्ता में दैवीय सफलता पायी है। लुटेरे क्रूर शासकों ने भी भारत में जगह-जगह फलदार पेड़ों के बाग लगाये...लगभग 800 वर्ष तक शासन किया...विदेशी ब्रिटिश शासकों ने भी सड़कों के किनारे फलदार पेड़ लगाये...150 वर्ष तक राज किया। अभी आजादी के बाद कुछ लोगों ने जमीन सुखाने वाले पेड़ लगाये...सत्ता की जमीन सूख गयी। कुछ नेताओं ने बेरहमी से सड़कों के किनारे से बड़े-बड़े वृक्ष कटवाये...कटवाने वालेनिरीह प्रभावहीन हो गये। जैसे पेड़ लगवाओगे...वैसे ही फल पाओगे...गरीबों को रोजी-रोटी मकान देने के लिए फलदार पेड़ लगाओ...दैवीसत्ता से मदद पाओगे।

मित्रों हमारी संस्था 'वृक्ष कल्याणम्' ने ऊपर वाले पर भरोसा कर एक करोड़ फलदार वृक्ष लगाकार उनके फल 10 वर्ष तक के बच्चों को पहुंचाने का संकल्प लिया है, लोग अक्सर पूछते हैं कि कितने लगा लिये...कैसे होगा...अविश्वास करते हैं....लेकिन मित्रों गच्छन् पीपिलिको याति योजनानाम् शतान्यपि...अगच्छन् वैनतेयोषि पदमेकम् न गच्छति (चलती हुई चीटी सहस्त्रों योजन चली जाती है, न चलता हुआ गरूड़ एक कदम भी नहीं जाता) हम कार्यरत हैं और हमारा विश्वास ऊपर वाले पर है...कुछ हिसाब किताब हम रखते हैं लेकिन मृत्यु प्राप्त वृक्षों एवं सीमित साधनों के कारण हमारे सामने कठिनाइयां हैं।...हमें अपने काम से तकनीकी मददगारों की आवश्यकता है। कार्य कठिन लेकिन भारतीय युवाओं के आत्मबल से सम्भव है। मित्रों, इतिहास गवाह है...जिरह बख्तर से सुरक्षित...साढ़े छः फुट लम्बे...अपने से कई गुनी ताकत वाले शस्त्र सज्जित गोलियत को अकेले दाउद ने गोफन के एक पत्थर से मार गिराया था। छोटे कद के शिवाजी ने आत्मबल से...अपने से कई गुनी पशु शक्ति वाले...शस्त्र सुज्जित अफजल खां को बघनखे से फाड़ डाला था...कार्य सिद्धी सत्वे भवति।

रथस्य एकम् चक्रः भुजयमिताः।। मार्गश्चरण साराथि अपि विकलांगः।।
ततो अपि सूर्य याति अपार नभसः। कार्य सिद्धि सत्वे भवतिः नोपकरणै।।

(रथ में एक ही पहिया, सर्प की रज्जु, सारथी भी विकलांग, तब भी सूर्य प्रतिदिन अपार नभ के पार जाता है, कार्य सिद्धि सत्व पर निर्भर है सहायक उपकरणों पर नहीं)

मित्रों, हमें भारतीयों के आत्मबल पर विश्वास है...हम एक दिन अवश्य सफल होंगे।

कवर पृष्ठ 3 से आगे...

महासचिव(एडवोकेसी)
श्री अशोक कुमार मल्होत्रा
चीफ़ मैनेजर (प्रोजेक्ट्स) (से.नि.),
एच.ए.एल., लखनऊ
फोन : 0522–2357738 / 09451133617
ई मेलः akmalhotra123@rediffmail.com

उप–महासचिव सम्बद्ध महासचिव(प्रशासन)
संयोजक, शिक्षा सहायता प्रकोष्ठ
श्री जगमोहन लाल जायसवाल
सहायक अभियंता (से.नि.),
सिंचाई विभाग, उ.प्र.
फोनः 09450023111

उप–महासचिव सम्बद्ध महासचिव(एडवोकेसी)
संयोजक, वाह्य सम्पर्क प्रकोष्ठ तथा
सदस्य, अनौपचारिक शिक्षण प्रकोष्ठ
श्री सतपाल सिंह
अधीक्षण अभियंता (से.नि.), सिंचाई विभाग, उ.प्र.
फोनः 09839043458 ई.मेलः satpalsngh@yahoo.com

सह–कोषाध्यक्ष
सदस्य, ग्राम्यांचल एवं निर्धन–जन सेवा प्रकोष्ठ
श्री आदित्य प्रकाश सिंह
स्पेशल असिस्टेंट (से.नि.),
सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इन्डिया
फोनः 09628180153

सह–कोषाध्यक्ष (अस्थाई सृजित अतिरिक्त पद)
श्री हरीश चन्द्र शुक्ल
वरिष्ठ शाखा प्रबंधक (से.नि.), सिन्डिकेट बैंक
फोनः 09455275441 / 08400121385
ई.मेलः shukla.harish@yahoo.co.in

सचिव, अनौपचारिक शिक्षण प्रकोष्ठ, प्रधान सम्पादक, सम्पादन प्रकोष्ठ, सदस्य, सहयोग एवं सेवा प्रकोष्ठ–
प्रभारी, कानपुर रोड तथा रायबरेली रोड के दोनों ओर का क्षेत्र
श्री अमर नाथ
अवर अभियंता (से.नि.), लोक निर्माण विभाग, उ.प्र.
फोन : 09451702105

सचिव, वैकल्पिक चिकित्सा प्रकोष्ठ
सदस्य, शिक्षा सहायता प्रकोष्ठ
डॉ. नरेन्द्र देव
वरिष्ठ अधीक्षण अभियन्ता (से.नि.), सिंचाई विभाग, उ.प्र.
फोन : 0522–2356158 / 09451402349
ई. मेल : deonarendra740@gmail.com

सचिव, प्रसादम् सेवा प्रकोष्ठ तथा सदस्य, सहयोग एवं सेवा प्रकोष्ठ– प्रभारी महानगर तथा आस पास का क्षेत्र
श्री राजेन्द्र कुमार चुघ
वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक (से.नि.), उ.प्र. निर्यात निगम
फोनः 0522–2330614 / 09450020659
ई.मेलः rajanchugh53@gmail.com

सचिव, प्रशिक्षण गोष्ठियाँ एवं कार्यशालायें प्रकोष्ठ
सदस्य, सहयोग एवं सेवा प्रकोष्ठ–
प्रभारी निराला नगर तथा आस पास का क्षेत्र
डॉ. छेदा लाल वर्मा
प्रोफेसर (से.नि.), बौटनी विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय
फोनः 0522–2787872 / 09919960317
ई.मेलः dr.clverma@rediffmail.com

उप–महासचिव सम्बद्ध प्रमुख महासचिव
संयोजक, सहयोग एवं सेवा प्रकोष्ठ
श्री रमा कान्त पाण्डेय
अपर सचिव (से.नि.), उ.प्र. पावर कॉर्पोरेशन लि.
फोनः 0522–2355973 / 09839395439 / 09415584568
ई.मेलः aark_p@rediffmail.com

उप–महासचिव सम्बद्ध महासचिव(कार्यान्वयन)
संयोजक, ग्राम्यांचल एवं निर्धन–जन सेवा प्रकोष्ठ एवं सदस्य, सहयोग एवं सेवा प्रकोष्ठ– प्रभारी, इन्दिरानगर तथा आसपास का क्षेत्र
श्री देवेन्द्र स्वरूप शुक्ल
अधीक्षण अभियंता (से.नि.), उ.प्र. राज्य विद्युत परिषद
फोन : 0522–4006191 / 09198038889
ई.मेलः devpreet1977@yahoo.com

कोषाध्यक्ष
श्री प्रेम शंकर गौतम
महाप्रबन्धक (से.नि.),
उ.प्र. वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन लि.
फोन : 0522–2713283 / 09451134894

सम्प्रेक्षक
संयोजक, संसाधन प्रबंध प्रकोष्ठ
श्री मनोज कुमार गोयल
अधिशाषी अभियन्ता (से.नि.), उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद
फोन : 0522–2329439 / 09335248634
ई. मेल : goel_mk10@rediffmail.com

सचिव, महिला सशक्तिकरण प्रकोष्ठ
सदस्य, शिक्षा सहायता प्रकोष्ठ
श्रीमती अर्चना गोयल
गृहणी एवं सामाजिक कार्य
फोन : 0522–2329439 / 09389193715

सचिव, सांस्कृतिक कार्य प्रकोष्ठ
श्री देवकी नन्दन 'शांत'
उप महाप्रबन्धक (से.नि.),
उ.प्र. पावर कार्पोरेशन लि.
फोन : 09935217841 / 09889098841
ई. मेल : deokinandan@medhaj.com

सचिव, पर्यावरण संरक्षण प्रकोष्ठ
श्री पाल प्रवीण
अध्यक्ष (से.नि.),
काशी ग्रामीण बैंक (यूनियन बैंक का उपक्रम)
फोनः 09919238189
ई.मेलः palpravin@rediffmail.com

सचिव, डे सेन्टर प्रबंधन प्रकोष्ठ
सदस्य, वाह्य सम्पर्क प्रकोष्ठ
श्री सुभाष चन्द्र विद्यार्थी
अवर अभियन्ता (से.नि.), लोक निर्माण विभाग, उ.प्र.
फोनः 0522–2756481 / 09415151323
ई.मेलः vidyarthisubhashchandra@gmail.com

सचिव, विधि तथा RTI प्रकोष्ठ
श्री अवधेश कुमार सिंह राठौर
भारतीय प्रशासनिक सेवा (से.नि.)
फोन : 0522–2328112 / 09452687233
ई.मेलः to.aksrathore@gmail.com

सदस्य, वाह्य सम्पर्क प्रकोष्ठ
श्री सत्य देव तिवारी
वरिष्ठ शाखा प्रबंधक (से.नि.), यूनियन बैंक ऑफ़ इन्डिया
फोनः 0522–2772874 / 09005601992
ई. मेल : satyadeo1948@gmail.com

सदस्य, वाह्य सम्पर्क प्रकोष्ठ
श्री विनोद कुमार कपूर
फ़ेकल्टी (से.नि.), कॉलेज ऑफ़ टेक्नोलॉजी, पंतनगर
फोनः 0532–2321002 / 09984245000
ई.मेलः vinodhkapur@rediffmail.com

सदस्य, ग्राम्यांचल एवं निर्धन–जन सेवा प्रकोष्ठ
श्री शैलेन्द्र कुमार तिवारी
चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर (से.नि.), एच.ए.एल.
फोन : 0522–2701126 / 4011486 / 09450664880
ई. मेल : shalkirty@gmail.com

सदस्य, ग्राम्यांचल एवं निर्धन–जन सेवा प्रकोष्ठ
सदस्य, प्रसादम् सेवा प्रकोष्ठ
श्री राम मूर्ति सिंह
सहायक अभियन्ता (से.नि.),
उ.प्र. पावर कॉर्पोरेशन लि.
फोनः 09415438548
ई.मेलः rmmurtisingh231218@gmail.com

सह–सम्पादक, भावना प्रकाशन
सदस्य, प्रशिक्षण गोष्ठियाँ एवं कार्यशालायें प्रकोष्ठ
डॉ.(कु) अवनीश अग्रवाल
प्रोफेसर, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान
फोनः 09451244456 ई.मेलः dravneesh@yahoo.com

सदस्य, महिला सशक्तिकरण प्रकोष्ठ
सदस्य, सांस्कृतिक कार्य प्रकोष्ठ
श्रीमती रेखा मित्तल
फोन : 0522–2746862 / 09415089151

सदस्य, महिला सशक्तिकरण. प्रकोष्ठ
श्रीमती रंजना मिश्रा
फोनः 0522–4017161 / 09415759280
ई.मेलः ranjanamisra50@gmail.com

सदस्य, शिक्षा सहायता प्रकोष्ठ
सदस्य, संसाधन प्रबंध प्रकोष्ठ
श्री सुमेर अग्रवाल
व्यापारी–तीरथ पीके वेन्चर
फोनः 0522–3919319 / 09415025151
ई.मेलः sumeragarwal@gmail.com

सदस्य, शिक्षा सहायता प्रकोष्ठ
श्री सिद्धेश्वर नाथ शर्मा
अधीक्षण अभियंता (से.नि.), सिंचाई विभाग, उ.प्र.
फोनः 07524968080 ई.मेलः siddheshwar.sharma@gmail.com

सदस्य
श्री पुरुषोत्तम केसवानी
वरिष्ठ प्रबंधक (से.नि.), सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इन्डिया
फोनः 0522–2321461 / 09450021082 / 08604967902
ई.मेलः purshottam.keswani@gmail.com

सदस्य, ग्राम्यांचल एवं निर्धन–जन सेवा प्रकोष्ठ
श्री रमेश प्रसाद जायसवाल
अपर आयुक्त ग्रेड–1 (से.नि.),
उ.प्र. वाणिज्य कर विभाग
फोनः 09760617045
ई.मेलः jaiswalrp1954@gmail.com

सदस्य, ग्राम्यांचल एवं निर्धन–जन सेवा प्रकोष्ठ,
सदस्य, डे सेन्टर प्रबंधन प्रकोष्ठ
श्री विश्व नाथ सिंह
प्रगतिशील कृषक,
फोनः 09415768055 ई.मेलः yogendra.lko20@yahoo.com

सम्पादक, भावना प्रकाशन, सदस्य, सांस्कृतिक कार्य प्रकोष्ठ
सदस्य, सहयोग एवं सेवा प्रकोष्ठ–
प्रभारी जानकीपुरम (विस्तार सहित) एवं आसपास
श्री सुशील कुमार शर्मा
अपर निदेशक (से.नि.), प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उ.प्र.
फोनः 0522–2735951 / 08765351190
ई.मेलः sksharma.ed@gmail.com

सदस्य, महिला सशक्तिकरण प्रकोष्ठ
श्रीमती श्याम बाला सिंह
फोनः 0522–2739439 / 09565945179
ई.मेलः dramvira@gmail.com

सदस्य, महिला सशक्तिकरण. प्रकोष्ठ
श्रीमती वीना सक्सेना
फोनः 09415103378

सदस्य, शिक्षा सहायता प्रकोष्ठ
श्रीमती आशा गोयल
फोन : 09415470638
ई. मेलः arvindasha68@gmail.com

सदस्य, शिक्षा सहायता प्रकोष्ठ
सदस्य, संसाधन प्रबंध प्रकोष्ठ
श्री सत्य नारायण गोयल
व्यवसायी (ह्यूम पाइप तथा लॉकिंग टाइल्स निर्माता)
फोनः 09335243519

सदस्य, शिक्षा सहायता प्रकोष्ठ
श्री गुरू दयाल शुक्ला
जिला लेखापरीक्षा अधिकारी (से.नि.), वित्त विभाग, उ.प्र.
फोनः 0522–2759277 / 09415003605

सदस्य, अनौपचारिक शिक्षण प्रकोष्ठ
श्री शैलेन्द्र मोहन दयाल
मुख्य अभियन्ता (से.नि.), उ.प्र.रा. विद्युत परिषद
फोनः 0522–2446086 / 09455550616
ई.मेलः smdayal39@gmail.com

सदस्य, अनौपचारिक शिक्षण प्रकोष्ठ
श्री महेश चन्द्र सक्सेना
उप महाप्रबंधक (से.नि.), उ.प्र. पावर कार्पोरेशन लि.
फोन : 0522–2423567 / 08960687921
ई.मेल : mcsaxena000@gmail.com

सदस्य, सांस्कृतिक कार्य प्रकोष्ठ
सदस्य, संसाधन प्रबंध प्रकोष्ठ
श्री उदय भान पाण्डेय
मुख्य महाप्रबंधक, (से.नि.) उ.प्र. पावर कार्पोरेशन लि.
फोन : 0522–2393436 / 09415001459
ई मेलः udaibhanp@yahoo.com

सदस्य, सहयोग एवं सेवा प्रकोष्ठ–
प्रभारी राजेन्द्रनगर, मोतीनगर, आर्यनगर, ऐशबाग एवं आसपास का क्षेत्र
श्री विनोद चन्द्र गर्ग
व्यापारी– चन्द्रा मेटल कम्पनी, लखनऊ
फोन : 0522–2339298 / 09415012307

सदस्य, सहयोग एवं सेवा प्रकोष्ठ–
प्रभारी अलीगंज एवं आस पास का क्षेत्र
श्री ओम् प्रकाश पाठक
विशेष सचिव (से.नि.), अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ.प्र.
फोनः 0522–2323728 / 09415022932
ई.मेलः pathak.op@gmail.com

सदस्य, सहयोग एवं सेवा प्रकोष्ठ–
प्रभारी त्रिवेणीनगर, प्रियदर्शिनीनगर, केशवनगर सहित सीतापुर रोड तथा आई.आई.एम. रोड के दोनों ओर का क्षेत्र
श्री दीन बन्धु यादव
क्षेत्रीय प्रबंधक (से.नि.),
उ.प्र. सह. ग्राम विकास बैंक लि. फोनः 0522–6533261 / 09956788187

सदस्य, भावना प्रसादम् सेवा प्रकोष्ठ
श्री नरेश भार्गव
पी.ए.सी. मुख्यालय में सेवारत
फोनः 09918927315 / 08188057464

सदस्य, पर्यावरण संरक्षण प्रकोष्ठ
श्री इन्द्र कुमार भारद्वाज
उप महाप्रबंधक (से.नि.), उ.प्र. पावर कार्पोरेशन लि.
फोनः 09415911702
ई.मेलः ikbhlkw@yahoo.co.in

सदस्य, संसाधन प्रबंध प्रकोष्ठ
श्री महेश चन्द्र निगम
सहायक अभियन्ता, वि. / याँ. (से.नि.),
लोक निर्माण विभाग, उ.प्र.
फोन : 0522–2325716 / 09335905126
ई.मेलः maheshnigam77@yahoo.com

सदस्य, डे सेन्टर प्रबंधन प्रकोष्ठ
श्री राजदेव स्वर्णकार
मुख्य प्रबंधक (से.नि.), सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इन्डिया
फोनः 0522–4045984 / 09450374814
ई.मेलः rajdeo.swarnkar@yahoo.in

सदस्य, अनौपचारिक शिक्षण प्रकोष्ठ
सदस्य, पर्यावरण संरक्षण प्रकोष्ठ
श्री चन्द्र भूषण तिवारी
पर्यावरण संरक्षण कार्यकर्ता
फोनः 09415910029

सदस्य, सांस्कृतिक कार्य प्रकोष्ठ
सदस्य, संसाधन प्रबंध प्रकोष्ठ
श्री अशोक कुमार
अधिशासी निदेशक (से.नि.), उ..प्र. पावर ट्रांसमिशन कार्पो. लि.
फोनः 0522–2780177 / 09794122946
ई.मेलः mehrotra_ak2006@yahoo.co.in

सदस्य, सहयोग एवं सेवा प्रकोष्ठ–
प्रभारी विकास नगर एवं आसपास का क्षेत्र
श्री रामा नन्द मिश्रा
उप निदेशक (से.नि.), दूर–दर्शन, लखनऊ
फोनः 0522–4017161 / 09415062778
ई.मेलः rnmisra48@gmail.com

सदस्य, सहयोग एवं सेवा प्रकोष्ठ–
प्रभारी गोमती नगर का सम्पूर्ण क्षेत्र
श्री तीर्थराज मौर्य
शाखा प्रबंधक (से.नि.), यूनियन बैंक ऑफ़ इन्डिया
फोनः 09412169590
ई.मेलः rajmaurya1950@gmail.com

सदस्य, वैकल्पिक चिकित्सा प्रकोष्ठ
श्री सुरेन्द्र नारायण सिंह टंडन
उपायुक्त (से.नि.),
वाणिज्यकर विभाग, उ.प्र.
फोनः 09651562123 ई.मेलः snstandon54@gmail.com

सदस्य, पर्यावरण संरक्षण प्रकोष्ठ
सदस्य, संसाधन प्रबंध प्रकोष्ठ
श्री अरुण कुमार
महाप्रबन्धक (से.नि.), उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लि.
फोन : 09839420999 / 09838203598
ई. मेल : arunksaxena1949@rediffmail.com

सदस्य, संसाधन प्रबंध प्रकोष्ठ
श्री शिव नारायन अग्रवाल
पूर्व सी.एम.डी., उ.प्र. जलविद्युत उत्पादन निगम लि.
फोन : 0522–2326000 / 09839022390 / 09415313364
ई.मेलः agarwalsn@rediffmail.com

सदस्य, संसाधन प्रबंध प्रकोष्ठ
श्री हरीश चन्दर
मुख्य अभियन्ता (से.नि.),
उ.प्र. राज्य विद्युत परिषद
फोनः 0522–4011541 / 09696670165

सदस्य, डे सेन्टर प्रबंधन प्रकोष्ठ
श्री ललित कुमार
जे.एम.टी., लेसा
फोनः 09455836176

सदस्य, डे सेन्टर प्रबंधन प्रकोष्ठ
डॉ. अमित कुमार सिंह
फिजियोथेरेपिस्ट (परास्नातक)
फोनः 09565998001
ई.मेलः draksingh301280@yahoo.com

सदस्य, विधि तथा RTI प्रकोष्ठ
श्री कपिल देव त्रिपाठी
भारतीय प्रशासनिक सेवा (से.नि.)
फोन : 0522–2395443 / 09935045827
ई.मेलः kdt0811@gmail.com

सदस्य, प्रशिक्षण गोष्ठियाँ एवं कार्यशालायें प्रकोष्ठ
डॉ.(कु) अंजली गुप्ता
मनोचिकित्सक, नूर मंजिल मनोचिकित्सा केन्द्र
फोनः 09935224997
ई.मेलः njl_omer@yahoo.co.in

सदस्य, प्रशिक्षण गोष्ठियाँ एवं कार्यशालायें प्रकोष्ठ
डॉ. भानु प्रकाश सिंह
प्रोफेसर (से.नि.), कृषि विश्वविद्यालय, फैजाबाद
फोनः 09450766586 / 07408274462
ई.मेलः bpskn2014@gmail.com

सदस्य, प्रशिक्षण गोष्ठियाँ एवं कार्यशालायें प्रकोष्ठ
श्री सुभाष मणि तिवारी
अग्निशमन अधिकारी (से.नि.), उ.प्र. पावर कॉर्पोरेशन लि.
फोनः 09415086952 / 07054065111
ई.मेलः smt1946@yahoo.co.in

संस्थापक सदस्य
श्री हरिवंश कुमार तिवारी
मुख्य अभियन्ता (से.नि.), लोक निर्माण विभाग, उ.प्र.
फोनः 07259938899 ई. मेलः harivanshsavitri@gmail.com

अध्यक्ष, सोनभद्र शाखा
श्री देवी दयाल गुप्ता
व्यापारी
फोन : 05445–262392 / 09415323335–7

अध्यक्ष, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शाखा
श्री अनिल कुमार शर्मा
विशेष मुख्य महानिदेशक (से.नि.), केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग
फोनः 09868525057 / 09794427788
ई.मेलः aksharmacpwd@yahoo.com

अध्यक्ष, उन्नाव शाखा
श्री कमला शंकर अवस्थी
एडवोकेट
फोन : 0515–2823124 / 09695639563;
ई. मेलः n.awasthi@nic.co.in

सदस्य, विधि तथा RTI प्रकोष्ठ
श्री सुशील कुमार
आई.ए.एस. (से.नि.), पूर्व मंडलायुक्त, बस्ती
फोनः 09415086130
ई.मेलः sushil.alka@gmail.com

सदस्य, विधि तथा RTI प्रकोष्ठ
श्री श्री राम वाजपेयी
डिप्टी कमिश्नर (से.नि.), वाणिज्यकर विभाग, उ.प्र.
फोनः 0522–2399000 / 09415367088
ई.मेलः shriram_vajpayee@yahoo.com

सदस्य, प्रशिक्षण गोष्ठियाँ एवं कार्यशालायें प्रकोष्ठ
डॉ. यदुनाथ सिंह भदौरिया
निदेशक (से.नि.), नियोजन विभाग, उ.प्र.
फोनः 09450390052
ई.मेलः ysb40@yahoo.com

सदस्य, प्रशिक्षण गोष्ठियाँ एवं कार्यशालायें प्रकोष्ठ
प्रो. काशी राम कनौजिया
निदेशक (से.नि.), कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पंतनगर
फोनः 09411159498
ई.मेलः kashiramkanaujia@yahoo.com

सदस्य, प्रशिक्षण गोष्ठियाँ एवं कार्यशालायें प्रकोष्ठ
श्री युगल किशोर गुप्त
अधीक्षण अभियन्ता (से.नि.), उ.प्र. पावर कॉर्पोरेशन लि.
फोन : 08756125555
ई मेलः yugalbina@yahoo.co.in

संस्थापक सदस्य
श्री अशोक कुमार मिश्र
मुख्य अभियन्ता (से.नि.),
भारतीय रेल सेवा
फोन : 0522–2782136 / 2782137

संस्थापक सदस्य
श्री कृष्ण देव कालिया
अधिशाषी अभियन्ता (से.नि.), उ.प्र. राज्य विद्युत परिषद
फोन : 0522–2309245 / 09956287868

सचिव, सोनभद्र शाखा
डॉ. उदय नारायण सिंह
होम्योपैथी चिकित्सक
फोन : 05445–262043 / 09936181902

सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शाखा
श्री मुकुल चतुर्वेदी
इरकॉन इन्टरनेशनल लि. में सेवारत
फोनः 09868158676
ई.मेलः drmukulchaturvedi@yahoo.co.in

सचिव, उन्नाव शाखा
श्री शिव शंकर प्रसाद शुक्ल
अधिशाषी अभियन्ता (से.नि.), उ.प्र. पावर कार्पोरेशन लि.
फोन : 0515–2820614 / 09415058113
ई.मेलः sspshukla123@gmail.com

कवर पृष्ठ 2 का शेष

स्वास्थ्य एवं जड़ी बूटी विकास संस्थान
डॉ. जी. पार्थ प्रॉतिम, सचिव
फोन : 0522–6592459 / 09235878417
ई. मेलः drparthaprotimgain@yahoo.com

कॉमर्सियल टैक्स रिटायर्ड ऑफिसर्स एसोसिएशन उत्तर प्रदेश (COMRAN)
श्री मदन मोहन कटियार, कोषाध्यक्ष
फोन : 09412207784
ई. मेलः madanmkatiyar@yahoo.in

परमहंस योगानन्द सोसायटी फॉर स्पेशल अनफोल्डिंग एन्ड मोल्डिंग (PYSSUM)
डॉ. नवल चन्द्र पंत, अध्यक्ष एवं अधिशाषी निदेशक
फोन : 0522–6545944 / 09452062323
ई. मेलः pyssum@gmail.com

श्री तारीफ़ सिंह धर्मार्थ ट्रस्ट
श्रीमती शिखा सिंह, महासचिव
फोन : 09990103691

रुद्राक्ष वरिष्ठ नागरिक कल्याण समिति बगहा
अशोक कुमार सिंह, अध्यक्ष
फोन : 08874924774

सदस्य, विधि तथा RTI प्रकोष्ठ
वरिष्ठ नागरिक समिति (ग्रामीण) हरौनी
श्री राम स्वरूप यादव, सचिव
फोन : 09455508230
ई. मेलः yadav.ramswaroop@yahoo.com

विद्युत पेन्शनर्स परिषद उत्तर प्रदेश
श्री हरीश कुमार श्रीवास्तव, प्रमुख महासचिव
फोन : 0522–2636011
ई. मेलः vidyutpensioners_lko@rediffmail.com

वेटरन सहायता समिति
कैप्टेन (डॉ.) आर.वाई.एस. चौहान, उपाध्यक्ष कार्यवाहक अध्यक्ष
फोन : 09935713181
ई. मेलः rcdhyanprem@yahoo.co.in

भारतीय वरिष्ठ नागरिक समिति (ग्रामीण) भौली
श्री हरि नारायण शुक्ल, अध्यक्ष
फोन : 09415768055

पलाश ग्रामीण वरिष्ठ नागरिक कल्याण समिति
श्री विमलेश दत्त मिश्र, सचिव
फोन : 09412417108

सदस्य, भावना प्रसादम् सेवा प्रकोष्ठ
विजय श्री फ़ाउन्डेशन (प्रसादम् सेवा)
श्री विशाल सिंह, सचिव
फोन : 09935888887
ई. मेलः vishalvirat@gmail.com

एल.एस.जी.ई.डी./
उ.प्र. जल निगम पेंशनर्स एसोसिएशन
श्री नवीन चन्द्र पाण्डेय, महासचिव
फोन : 0522–2352748 / 09450365052
ई. मेलः ncpandey32@rediffmail.com

प्रबंधकारिणी के निर्वाचित तथा मनोनीत सदस्य

अध्यक्ष
श्री विनोद कुमार शुक्ल
मुख्य महाप्रबन्धक (से.नि.), उ.प्र. पावर कॉर्पोरेशन लि.,
फोन : 0522–4016048 / 09335902137,
ई. मेल : vk_shukla@hotmail.com

उपाध्यक्ष
श्री तुंग नाथ कनौजिया
अधिशासी अभियन्ता (से.नि.),
उ.प्र. राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि.
फोन : 09936942923 / 08738948562
ई. मेलः kartikeya.investments@yahoo.co.in

महासचिव(प्रशासन),
सदस्य, संसाधन प्रबंध प्रकोष्ठ
श्री जगत बिहारी अग्रवाल
वरिष्ठ अधिशासी अभियन्ता (से.नि.), उ.प्र. जल निगम,
फोन : 0522–3245636 / 09450111425
ई. मेल : jagatagarwal2@gmail.com

वरिष्ठ उपाध्यक्ष
श्री सुशील शंकर सक्सेना
अधीक्षण अभियन्ता (से.नि.), सिचांई विभाग, उ.प्र.
फोन : 0522–2350763 / 09415104198
ई.मेलः sushilshanker2003@yahoo.com

प्रमुख महासचिव
श्री राम लाल गुप्ता
उप कृषि निदेशक (से.नि.), उत्तर प्रदेश
फोन : 0522–2392341 / 09335231118
ई मेलः guptarlguptalko67@gmail.com

महासचिव(कार्यान्वयन),
श्री योगेन्द्र प्रताप सिंह
जिला उद्यान अधिकारी (से.नि.),
उद्यान विभाग, उ.प्र.
फोनः 09412417108
ई.मेलः yogendrapratap610@gmail.com

शेष अन्दर पृष्ठ 61 पर

सूचनायें

1. भावना के अठारहवें महाधिवेशन में आन्तरिक सत्र में समाप्ति से पूर्ण श्री सुशील कुमार शर्मा ने एक भजन तथा श्री उदयभान पाण्डेय ने एक गीत प्रस्तुत किया जिससे हाल तालियों से गूँज उठा।
2. गत् वर्ष 25.11.2017 को लोरेटो कान्वेन्ट महाविद्यालय में वृद्धजनों के सम्मान में सम्पन्न कार्यक्रम में डॉ. नरेन्द्र देव के द्वारा निरोगी एवं सफल जीवन जीने के लिये लिखी गयी अपनी पुस्तिका 'आहार-विहार के प्रभावी सूत्र' कालेज को मुफ्त दी गयी तथा कुछ स्वास्थ्य संबंधी महत्वपूर्ण परामर्श भी दिया गया जिसकी बहुत सराहना की गयी।

श्री एस.के. शर्मा
ने 72 वर्ष की आयु में
Junior Diploma in Music
प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण किया है।

डॉ. राजेन्द्र नाथ कालरा को 19.11.2017 को Individual Achievements & National Economic Growth का Award दिया गया। यह Global Economic Progress & Research Association (GEPRA) New Delhi द्वारा दिया गया।

दिनांक 14.1.2018 किशनपुर कौड़िया (ब्लाक-सरोजनी नगर) में कम्बल वितरण कार्यक्रम